

वर्ष 2017-18 के समेकित वार्षिक लेखों
लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित
**Consolidated Annual Accounts with
Audit Report for the Year 2017-2018**



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation

**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2017-2018**



EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN 14, BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110 066

INDEX

S. NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Consolidated Annual Accounts (Common Format)	1
2.	Audit Report	43
3.	Audit Certificate	50
4.	Management Letter	53

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31-03-2018			
		Amount-Rs.	
	Schedule	Current Year	Previous Year
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND - MEMBERS A/C			
Members Operative A/c	1	50,07,09,23,69,582.36	43,11,15,25,20,655.86
Members Inoperative A/c	2	5,46,57,86,67,858.45	4,50,93,41,44,840.45
RESERVES AND SURPLUS			
Special Reserve Fund	3	3,44,44,58,771.67	3,17,32,55,700.95
Interest A/c - EPF Contribution Fund	4	2,70,06,83,12,307.99	2,05,53,02,52,035.90
Investment Fluctuation Account		2,70,07,98,358.13	2,70,07,98,358.13
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5	5,55,71,80,20,715.25	4,29,50,04,02,127.53
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		63,85,60,26,27,593.85	54,02,99,13,73,718.82
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND	6	39,31,13,04,38,910.28	33,68,45,31,58,636.61
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	7	4,91,35,98,188.96	7,70,95,83,026.59
SUB -TOTAL - PENSION FUND		39,36,04,40,37,099.24	33,76,16,27,41,663.20
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND	8	2,40,29,23,24,184.92	2,09,35,93,99,381.99
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	9	16,13,24,235.68	28,93,99,697.55
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		2,40,45,36,48,420.60	2,09,64,87,99,079.54
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF - ADMINISTRATION FUND	10	2,22,84,72,51,258.00	2,08,02,35,07,055.80
RESERVES AND SURPLUS			
Staff Provident Fund- Interest A/c	11	2,29,91,52,655.91	1,69,51,95,614.33
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS			
Building Construction Fund	12	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Staff Provident Fund A/c	13	10,77,69,45,963.80	10,23,85,85,201.80
Staff Pension-cum-Gratuity A/c	14	66,88,99,82,403.82	44,80,24,38,855.29
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	15	3,35,86,15,490.05	2,09,40,98,957.86
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		3,15,04,44,89,668.62	2,75,72,63,67,582.13
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND	16	29,06,38,78,672.78	26,71,07,88,240.48
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	17	49,32,31,588.47	43,83,66,194.45
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		29,55,71,10,261.25	27,14,91,54,434.93
GRAND TOTAL		1,09,06,70,19,13,043.60	92,91,67,84,36,478.62

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31-03-2018			
		Amount-Rs.	
	Schedule	Current Year	Previous Year
ASSETS			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	18	62,45,14,65,10,480.52	53,08,52,08,87,524.59
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	19	1,40,45,61,17,113.33	94,47,04,86,194.23
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		63,85,60,26,27,593.85	54,02,99,13,73,718.82
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	20	37,76,74,37,18,923.40	32,64,19,41,43,431.61
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	21	1,59,30,03,18,175.84	1,11,96,85,98,231.59
SUB -TOTAL - PENSION FUND		39,36,04,40,37,099.24	33,76,16,27,41,663.20
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	22	2,35,91,54,14,156.47	2,07,50,19,68,196.72
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	23	4,53,82,34,264.13	2,14,68,30,882.82
SUB -TOTAL - EDLI CONTRIBUTION FUND		2,40,45,36,48,420.60	2,09,64,87,99,079.54
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
FIXED ASSETS	24	4,08,36,52,051.42	4,06,36,91,101.01
CAPITAL WORK IN PROGRESS		17,44,85,209.40	8,76,23,98,511.53
EPF ADMINISTRATION FUND - INVESTMENTS	25	2,18,10,85,09,245.10	2,02,51,99,32,086.37
STAFF PROVIDENT FUND - INVESTMENTS	26	15,62,80,13,290.03	14,12,08,67,904.72
PENSION CUM GRATUITY FUND - INVESTMENTS	27	65,50,94,88,346.93	44,34,75,48,230.33
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	28	11,54,03,41,525.74	1,91,19,29,748.17
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		3,15,04,44,89,668.62	2,75,72,63,67,582.13
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND - INVESTMENTS	29	28,13,94,12,147.16	26,11,10,87,221.30
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	30	1,41,76,98,114.09	1,03,80,67,213.63
SUB -TOTAL - EDLI ADMINISTRATION FUND		29,55,71,10,261.25	27,14,91,54,434.93
GRAND TOTAL		1,09,06,70,19,13,043.60	92,91,67,84,36,478.62

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
SCHEDULE No. 1			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS OPERATIVE A/C			
	Opening Balance	43,11,15,25,20,655.86	36,02,75,59,19,659.11
Add :			
1.	Contribution (including refund of withdrawal / loans and transferred securities) received	9,32,23,41,68,766.00	8,06,80,00,60,563.10
2.	Contributions received by way of transferred securities (H.Q. Office contra.)	1,23,29,52,212.33	6,09,36,81,030.23
3.	Interest credited to members Account	3,40,01,34,18,257.00	3,16,21,71,39,826.18
4.	Transferred from Inoperative A/c during the year	0.00	0.00
5.	Other Receipts	49,74,58,40,181.42	60,05,68,37,458.17
6.	Past Accumulations (A/c No. 1)	1,22,01,82,789.14	0.00
	Total	56,35,59,90,82,861.75	47,91,92,36,38,536.79
Less :			
1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	3,47,00,63,68,335.61	2,64,87,45,41,490.21
2.	Premia paid on members life insurance policy	14,05,92,640.00	13,98,85,127.00
3.	Withdrawals / Loan paid during the year to the members	1,22,35,22,33,580.00	63,65,56,35,523.00
4.	Transferred to Inoperative A/c during the year	1,31,83,01,69,148.00	94,75,18,72,000.72
5.	Miscellaneous payment amount of securities transferred back to exempted establishments	27,17,73,49,575.78	57,34,91,83,740.00
	Total	6,28,50,67,13,279.39	4,80,77,11,17,880.93
	Balance as on 31st March	50,07,09,23,69,582.36	43,11,15,25,20,655.86
SCHEDULE No. 2			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS INOPERATIVE A/C			
	Opening Balance	4,50,93,41,44,840.45	4,08,65,13,81,748.73
Add :			
1.	Amount transferred from Operative A/c during the year	1,31,83,01,69,148.00	94,75,18,72,000.72
2.	Interest credited to members Account	0.00	0.00
	Total	5,82,76,43,13,988.45	5,03,40,32,53,749.45
Less :			
1	Amount transferred to Operative Members A/c during the year	0.00	0.00
2	Payment made during the year to members on settlement	36,18,56,46,130.00	52,46,91,08,909.00
	Total	36,18,56,46,130.00	52,46,91,08,909.00
	Balance as on 31st March	5,46,57,86,67,858.45	4,50,93,41,44,840.45
SCHEDULE No. 3			
Special Reserve Fund :			
	Balance as per last Balance Sheet	3,17,32,55,700.95	2,92,06,22,776.30
Add :			
1.	Amount recovered from Employers	0.00	0.00
2.	Interest on S.R.F. Account	27,13,13,362.43	25,26,33,870.15
	Total	3,44,45,69,063.38	3,17,32,56,646.45
Less :			
1.	Amount paid from Special Reserve Fund	1,10,291.71	945.50
2.	Amount transferred to Death Relief Fund	0.00	0.00
	Total	1,10,291.71	945.50
	Balance as on 31st March	3,44,44,58,771.67	3,17,32,55,700.95

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
SCHEDULE No. 4			
Interest A/c - EPF Contribution Fund			
	Opening Balance	2,05,53,02,52,035.90	2,09,42,62,87,218.58
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPF Contribution Fund	64,53,80,60,272.09	-3,89,60,35,182.68
	Balance as on 31st March	2,70,06,83,12,307.99	2,05,53,02,52,035.90
SCHEDULE No. 5 (Current Liabilities and Provision)			
I - CURRENT LIABILITIES			
1	TDS Payable-deducted on claim settlements	20,83,99,123.00	9,69,44,699.00
2	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	96,24,54,812.81	70,36,16,853.78
b	Irregular payments	5,88,22,330.22	5,83,80,282.22
c	Over Payments	6,35,12,425.91	5,51,37,323.42
	B. Central :		
a	Amount credited to Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional) but not debited to A/c No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
b	Excess credits to Account No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	1,40,85,57,910.55	1,52,06,99,598.99
c	Excess credits in EPF investment A/c	-63,66,142.99	-63,66,142.99
d	Advance from Govt. towards Disabilities Scheme	50,52,729.00	0.00
3	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	10,54,11,88,059.74	9,48,28,16,000.29
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	4,73,72,44,211.19	0.00
4	Others	0.00	0.00
	Total	18,10,01,78,798.43	12,03,25,41,953.71
II - PROVISIONS			
a	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2017-18	4,60,16,34,00,000.00	3,91,97,93,00,000.00
b	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	77,45,44,41,916.82	25,48,85,60,173.82
	Total	5,37,61,78,41,916.82	4,17,46,78,60,173.82
	Balance as on 31st March	5,55,71,80,20,715.25	4,29,50,04,02,127.53
Employees' Pension Scheme, 1995			
SCHEDULE No. 6			
EPS Contribution Fund			
	Opening Balance	33,68,45,31,58,636.61	28,94,64,23,01,542.46
Add :			
	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPS Contribution Fund	5,62,67,72,80,273.67	4,73,81,08,57,094.15
	Balance as on 31st March	39,31,13,04,38,910.28	33,68,45,31,58,636.61
SCHEDULE No. 7 -CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
	Sundry Credits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	32,84,22,195.63	34,22,44,954.69
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	2,05,74,24,477.84	2,26,80,08,602.84
3.	Excess credits in EPS Investment A/c	-26,39,271.78	-26,39,271.78
	Cash Book Balance		
4.	State Bank of India (Over Draft)	0.00	3,60,91,68,729.03
	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	2,53,03,90,787.27	1,49,28,00,011.81
	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
5.	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March :	4,91,35,98,188.96	7,70,95,83,026.59

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
SCHEDULE No. 8			
	EDLI Contribution Fund		
	Opening Balance	2,09,35,93,99,381.99	1,83,82,22,47,814.35
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Contribution Fund	30,93,29,24,802.93	25,53,71,51,567.64
	Balance as on 31st March	2,40,29,23,24,184.92	2,09,35,93,99,381.99
SCHEDULE No. 9- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
Sundry Credits :			
1.	Excess credit in A/c No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)	3,86,63,800.59	3,84,17,259.84
2.	Excess credit in A/c No. 25 (EDLI Cont. A/c -Central)	9,60,91,369.21	9,60,91,369.21
3.	Excess credit in R.B.I. A/c	13,44,061.55	13,44,061.55
4.	Excess credits in EDLI Investment A/c	-40,84,516.66	-40,84,516.66
5.	Amount payable to EDLI Adm. A/c	2,93,09,520.99	2,93,09,520.99
6.	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	0.00	12,83,22,002.62
	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
	Balance with SBI	0.00	0.00
7.	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	16,13,24,235.68	28,93,99,697.55
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</i>			
SCHEDULE No. 10			
EPF - ADMINISTRATION FUND			
	Opening Balance	2,08,02,35,07,055.80	1,89,39,35,35,485.33
Add :			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	1,33,032.56	7,94,94,165.07
2.	Excess of Income over Expenditure during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	14,85,07,04,285.56	18,54,99,51,739.40
3.	Others	0.00	0.00
	Total	2,22,87,43,44,373.93	2,08,02,29,81,389.80
Less			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	2,70,93,115.93	-5,25,666.00
2.	Excess of Expenditure over Income during the year	0.00	0.00
3.	Others	0.00	0.00
	Total	2,70,93,115.93	-5,25,666.00
	Balance as on 31st March	2,22,84,72,51,258.00	2,08,02,35,07,055.80

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
SCHEDULE No. 11			
Staff Provident Fund Interest Account :			
	Opening Balance	1,69,51,95,614.33	1,47,83,55,239.14
Add :			
1.	Interest realised on investment of securities	1,00,53,69,310.25	79,44,78,831.97
2	Interest accrued but not due on Investments	39,54,83,108.36	20,45,98,905.07
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest on S.B. Account	46,380.00	43,688.50
5	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	3,09,60,94,412.94	2,47,74,76,664.68
Less :			
1.	Interest credited to members account	78,16,42,811.00	77,81,67,948.00
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of Investment	1,52,98,946.03	41,13,102.35
3	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	79,69,41,757.03	78,22,81,050.35
	Balance as on 31st March	2,29,91,52,655.91	1,69,51,95,614.33
SCHEDULE No. 12			
Building Construction Fund :			
	Opening Balance	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Add :			
1.	Provision made during the year	0.00	0.00
2	Interest credited to the Fund	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
SCHEDULE No. 13			
A. Staff Provident Fund :			
	Opening Balance	10,10,51,00,974.93	9,52,26,32,289.93
Add :			
1.	Contribution (including refund of withdrawal)	3,48,52,41,039.15	3,30,79,00,760.00
2.	Interest credited to member's account	78,16,42,811.00	77,81,67,948.00
3.	Other receipts	0.00	0.00
	Total	14,37,19,84,825.08	13,60,87,00,997.93
Less :			
1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	2,24,84,18,940.00	1,92,92,04,465.00
2.	Premia paid on members life insurance policy	0.00	0.00
3.	Loan paid during the year to members	27,25,68,410.00	29,95,30,585.00
4.	Other Payments (Transfer to other Regions)	1,25,69,87,303.00	1,27,48,64,973.00
	Total	3,77,79,74,653.00	3,50,36,00,023.00
	Balance as on 31st March	10,59,40,10,172.08	10,10,51,00,974.93
B. S.P.F. A/c transferred from other Regions :			
	Opening Balance	13,34,84,226.87	5,77,20,430.87
Add : Amount transferred out to the Regions			
	Total	1,25,69,87,303.00	1,27,48,64,973.00
	Total	1,39,04,71,529.87	1,33,25,85,403.87
Less Amount received from other Regions			
	Total	1,20,75,35,738.15	1,19,91,01,177.00
	Balance as on 31st March	18,29,35,791.72	13,34,84,226.87
	Total (A+B)	10,77,69,45,963.80	10,23,85,85,201.80

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
SCHEDULE No. 14			
Staff Pension-cum-Gratuity Fund			
	Opening Balance	44,80,24,38,855.29	27,44,51,67,053.81
Add :			
1.	Amount transferred from Account No. 4 (EPF	17,28,80,02,352.03	15,00,05,42,380.77
2.	Interest realised on S.B. Account	24,63,652.00	20,63,088.00
3.	Interest realised on Securities during the year	3,55,23,57,767.41	1,94,78,72,086.92
4.	Interest accrued but not due on Investments	1,37,80,72,390.63	44,44,56,378.98
5.	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
6.	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
7.	Amount paid by the Regions from A/c No. 2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	4,94,79,21,454.51	2,51,23,84,722.90
	Total	71,97,12,56,471.87	47,35,24,85,711.38
Less :			
1.	Payment made by the Regions	4,94,79,21,454.51	2,51,23,84,722.90
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of Investment during the year	13,33,52,613.54	3,76,62,133.19
3.	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	5,08,12,74,068.05	2,55,00,46,856.09
	Balance as on 31st March	66,88,99,82,403.82	44,80,24,38,855.29
SCHEDULE No. 15 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
I -CURRENT LIABILITIES			
1	New Pension Scheme Contribution Payable	3,82,50,373.51	2,22,72,164.00
2	Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable	0.00	2,22,72,164.00
3	Security Deposit Refundable	1,82,91,614.39	1,77,78,195.46
4	Group Insurance Scheme (New)	29,41,384.22	23,40,925.02
5	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Admn. Fund)	20,57,71,343.07	51,70,71,904.97
	B. Central :		
a	Excess credits to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
b	Excess credits to Account No. 9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	8,29,780.00	8,29,780.00
c	Amount payable to EPF Contribution A/c	7,13,37,470.56	7,13,37,470.56
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India : (Over Draft)		
	EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	29,32,55,710.19	28,92,47,973.45
	EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
	Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)	0.00	0.00
	Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	0.00	0.00
	Head Office	63,69,620.44	15,95,45,617.12
	PDNASS	39,55,628.19	50,63,631.20
	EPF Appellate Tribunal	0.00	0.00
7	Proportionate (1%) of Total Administration Cost Excess received from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)	1,33,42,24,451.05	95,46,66,231.74
8	Others (Excess credit Pen. Cum Gratuity Fund Inv. A/c)	-5,12,594.54	-5,12,594.54
	Total	2,00,69,00,275.96	2,09,40,98,957.86

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
II - PROVISIONS			
a	Provision for amount transferable to A/c 9 (Staff Pension Cum Gratuity Fund)	0.00	0.00
b	Provision for Rent, Rates & Taxes Payable	0.00	0.00
c	Other Expenses Payable	1,35,17,15,214.09	0.00
	Total	1,35,17,15,214.09	0.00
	Balance as on 31st March	3,35,86,15,490.05	2,09,40,98,957.86
<i>EDLI Scheme, 1976 - Administration Fund</i>			
SCHEDULE No. 16			
EDLI Administration Fund			
	Opening Balance	26,71,07,88,240.48	23,84,85,15,191.52
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Administration Fund	2,35,30,90,432.30	2,86,22,73,048.96
	Balance as on 31st March	29,06,38,78,672.78	26,71,07,88,240.48
SCHEDULE No. 17- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
a	Sundry Credits :		
1	Excess credit in A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,38,14,386.11	1,38,21,785.06
2	Excess credit in A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges - Central)	4,83,75,930.89	4,83,75,930.89
b	Proportionate (1%) of Total Administration Cost transferrable to A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
c	Cash Book Balance : (Over Draft)		
	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	6,15,488.74	23,73,035.03
	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	43,04,25,782.73	37,37,95,443.47
d	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	49,32,31,588.47	43,83,66,194.45
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
SCHEDULE No. 18			
Employees' Provident Fund -Investments		62,45,14,65,10,480.52	53,08,52,08,87,524.59

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
SCHEDULE No. 19 (Current Assets, Loans & Advances)			
I - CURRENT ASSETS			
1	Amount in Transit :		
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	20,22,38,782.43	20,10,37,618.43
2	Cash Book Balance		
	State Bank of India :		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	0.00	1,37,24,98,988.72
	Reserve Bank of India :		
	E.P.F. Investment Account	76,82,20,289.41	47,73,52,549.76
3	Interest on EPF Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	1,36,94,86,47,290.60	89,41,31,33,919.58
	Interest due but not received on Investments	26,48,918.43	5,49,18,884.42
	Interest accrued on FDRs	88,26,086.95	74,50,45,344.56
4	Sundry Debits :		
a	Suspense Account (Unclassified) :		
	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	87,76,07,376.04	82,73,39,191.78
b	Irregular Payments	5,88,22,330.22	5,83,80,282.22
c	Over Payments	6,35,12,425.91	5,51,37,323.42
d	Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9 :		
i	Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 5 from A/c No.1 and vice-versa	40,80,96,451.70	40,80,96,451.70
ii	Extra debit made to Account No. 5 by bank	31,98,32,570.55	6,02,32,863.55
iii	Amount debited to A/c No. 5 but not credited to A/c No.1 & vice-versa	3,67,26,624.29	3,67,26,624.29
5	Amount receivable from EPF Admn. A/c	7,13,37,470.56	7,13,37,470.56
6	Others	0.00	0.00
	Total	1,39,76,65,16,617.09	93,78,12,37,512.99
II - LOAN & ADVANCES			
	Special Reserve Fund (Recoverable) :		
	Balance as per last Balance Sheet	68,92,48,681.24	68,87,57,635.21
Add :	Amount paid to Members during the year	3,51,815.00	5,11,867.00
Less	Amount received from Employers	0.00	20,820.97
	Total	68,96,00,496.24	68,92,48,681.24
	Balance as on 31st March	1,40,45,61,17,113.33	94,47,04,86,194.23
Employees' Pension Scheme, 1995			
SCHEDULE No. 20			
Employees' Pension Fund -Investments		37,76,74,37,18,923.40	32,64,19,41,43,431.61

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
SCHEDULE No.21- CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
a	Cash Book Balance :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	4,08,09,27,535.17	0.00
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
3.	Balance with SBI Mumbai	33,67,00,057.00	46,49,75,997.70
b	Sundry Debits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	1,29,53,66,387.37	1,32,63,58,259.44
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	10,74,15,950.98	6,95,28,578.98
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 10 to 11 & vice-versa	20,17,63,057.60	20,17,63,057.60
4.	Amount debited to A/c No.11 but not credited to A/c No. 10 & vice-versa	5,78,92,982.20	5,78,92,982.20
c	Remittance in Transit	62,90,05,444.68	21,52,00,427.68
d	Interest on EPS Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	60,65,12,94,608.83	42,12,25,08,757.24
	Interest due but not received on Investments	5,08,204.40	7,06,12,500.00
	Interest accrued on FDRs	64,14,130.43	81,30,31,458.75
	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	16,63,76,07,826.00	0.00
	Interest receivable under Minimum Pension scheme	2,20,62,86,163.18	0.00
e	Pension contribution receivable from Central Govt.	73,08,91,35,828.00	66,62,67,26,212.00
f	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	1,59,30,03,18,175.84	1,11,96,85,98,231.59
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
SCHEDULE No. 22			
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS		2,35,91,54,14,156.47	2,07,50,19,68,196.72
SCHEDULE No.23-CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
a	Cash Book Balance :		
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	25,83,19,928.46	0.00
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	3,66,34,563.22	5,76,21,123.09
3.	Balance with SBI	1,11,36,485.36	45,74,504.19
b	Remittance in Transit :		
1.	From A/c No. 21 to 25	9,74,96,579.96	9,74,96,579.96
2.	From Bank to A/c No. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
c	Sundry Debits :		
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	10,49,75,206.01	7,40,60,183.87
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	1,65,96,337.50	1,65,96,337.50
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 21 to 25 & vice-versa	1,29,32,466.14	1,29,32,466.14
d	Interest on EDLI Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	3,34,92,15,180.81	1,64,79,81,984.47
	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
	Interest accrued on FDRs	92,565.03	4,35,479.45
	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	65,03,02,727.49	23,46,00,000.00
e	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	4,53,82,34,264.13	2,14,68,30,882.82

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET		
	Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund		
SCHEDULE No. 24		
FIXED ASSETS	4,08,36,52,051.42	4,06,36,91,101.01
SCHEDULE No. 25		
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS		
Special Deposit Account	2,16,00,85,09,245.10	2,00,41,99,32,086.37
FDRs	2,10,00,00,000.00	2,10,00,00,000.00
Balance as on 31st March	2,18,10,85,09,245.10	2,02,51,99,32,086.37
SCHEDULE No. 26		
EPF STAFF PROVIDENT FUND -INVESTMENTS	15,62,80,13,290.03	14,12,08,67,904.72
SCHEDULE No. 27		
EPF STAFF PENSION CUM GRATUITY FUND -INVESTMENTS	65,50,94,88,346.93	44,34,75,48,230.33
SCHEDULE No.28-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES		
1 Amount in Transit :		
a EPF A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	5,18,03,113.18	5,18,03,113.18
b Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	1,22,68,499.25	1,22,68,499.25
Total	6,40,71,612.43	6,40,71,612.43
2 Cash Book Balance		
(A) State Bank of India :		
a EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c- Regional)	0.00	0.00
b EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c- Central)	30,76,33,433.43	18,20,88,851.56
c Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)	5,895.82	2,31,37,957.71
d Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	5,492.88	3,799.13
e Head Office	0.00	0.00
f PDNASS	0.00	0.00
g EPF Appellate Tribunal	2,24,48,715.62	31,27,78,472.62
Total	33,00,93,537.75	51,80,09,081.02
(B) Reserve Bank of India :		
a S.P.F. Investment Account	72,93,151.88	5,90,325.01
b Pension-cum-Gratuity Investment A/c	22,00,473.33	1,02,14,746.80
Total	94,93,625.21	1,08,05,071.81
(C) Imprest Account	67,289.70	50,062.79
3 Sundry Debits :		
Suspense Account (Unclassified) :		
a. Suspense Account (Admn. Fund)	22,76,32,264.88	22,76,81,077.16
4 Erroneous Debit to Account Nos. 8 & 9 :		
a Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 8 from A/c No. 2 and vice-versa	2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
b Erroneous debit made to A/c No.8 (Staff Prov. Fund A/c)	1,78,339.00	1,78,339.00
c Erroneous debit made to A/c No.9 (Staff Pen cum Gr. A/c)	0.00	0.00
Total	2,06,17,133.97	2,06,17,133.97

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
5	Recoverable Advances (Staff)		
a	Conveyance advance	75,67,525.04	1,43,88,796.24
b	House Building advance	6,05,46,599.39	2,58,15,117.69
c	Fan advance	74,744.80	91,503.10
d	Warm Clothing advance	1,234.75	4,384.75
e	Festival advance	21,39,814.30	75,80,711.30
f	Natural Calamity advance	1,87,607.45	7,45,540.00
g	Advance of Pay	24,90,794.00	33,82,101.00
h	Advance of DA/TA	1,80,54,433.54	1,86,20,424.34
i	Food grain advance	1,216.75	1,216.75
j	Advance to Staff Co-operative Canteen/Stores	2,18,574.00	3,15,370.00
k	Computer Advance	3,00,41,430.55	3,07,57,507.85
l	Unorganised Workers Social Security Scheme	0.00	0.00
m	Miscellaneous Payments	57,01,620.12	45,64,729.72
	TOTAL	12,70,25,594.69	10,62,67,402.74
6	Prepaid Expenditure	0.00	0.00
7	Interest on EPF Adm. Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Special Deposit A/c	0.00	0.00
	Interest due but not received on Special Deposit A/c	0.00	0.00
	Interest accrued on FDRs	7,10,42,345.00	27,14,26,425.00
8	Interest on Staff Provident Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	39,54,83,108.36	20,45,98,905.07
	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
9	Interest on Pension cum Gratuity Fund Investment		
	Interest accrued but not due on Investments	1,37,80,72,390.63	44,44,56,378.98
	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
10	Propotionate (1%) of Total Administration Cost receivable from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
11	Security Deposits (Advance to parties)	3,05,54,082.20	3,02,90,092.20
12	Others (TDS refundable)	1,36,56,505.00	1,36,56,505.00
13	Advance to Agencies/Contractors (Capital Work)	8,87,25,32,035.92	0.00
14	Accrued Interest recoverable on Advances paid to staff	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	11,54,03,41,525.74	1,91,19,29,748.17

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Fund</i>			
SCHEDULE No. 29			
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS			
	Special Deposit Accounts	28,13,94,12,147.16	26,11,10,87,221.30
SCHEDULE No.30-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES			
A Cash Book Balance :			
1.	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	0.00	0.00
2.	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
B Remittance in Transit :			
1.	From A/c No. 22 to 24	1,54,32,020.07	1,54,32,020.07
C Sundry Debits :			
1.	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,02,91,652.62	1,02,18,971.47
2.	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	1,18,32,348.32	1,18,32,348.32
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c 22 to 24 & vice -versa	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
D Interest on EDLI Adm. Fund Investment receivable			
	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
E Amount receivable from EDLI Contribution A/c			
	Excess Transfer of Propotionate (1% share) of Total Administration Cost A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c Central)	1,33,42,24,451.05	95,46,66,231.74
G Others			
		0.00	0.00
Balance as on 31st March		1,41,76,98,114.09	1,03,80,67,213.63

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2018			
		Amount-Rs.	
	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF- Contributions Fund			
Interest Income during the year	31	5,23,37,73,54,185.32	3,85,08,57,86,647.54
Other Income during the year	32	6,90,73,41,428.96	5,69,88,54,984.81
TOTAL INCOME- EPF CONTRIBUTION FUND (A)		5,30,28,46,95,614.28	3,90,78,46,41,632.35
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND			
Income from Pension Contribution	33	4,23,75,65,42,068.61	3,84,04,19,47,639.67
Interest Income during the year	34	3,04,90,87,27,602.03	2,43,50,08,76,160.14
Other Income	35	4,66,34,74,935.62	3,00,30,12,704.56
TOTAL INCOME - PENSION FUND (B)		7,33,32,87,44,606.26	6,30,54,58,36,504.37
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND			
Income from Contribution from employers		17,31,15,88,878.61	14,28,48,46,257.85
Interest Income during the year	36	19,34,96,70,024.03	14,95,16,71,687.89
Other Income	37	26,72,72,063.76	21,68,74,698.95
TOTAL INCOME -EDLI CONTRIBUTION FUND (C)		36,92,85,30,966.40	29,45,33,92,644.69
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF - Administration Fund			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	38	38,64,68,12,989.86	40,58,71,23,628.51
Interest income during the year	39	15,58,35,02,420.35	14,72,93,35,205.03
Receipt from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central) -Proportionate share (1%) of Total Administrative Expenses of EPFO for the current year (receivable) & arrears for earlier years received		39,91,64,290.14	37,30,30,128.45
Other Income - Miscellaneous Receipts		13,76,53,599.45	16,34,75,622.08
TOTAL INCOME - EPF ADMINISTRATION FUND (D)		54,76,71,33,299.80	55,85,29,64,584.07
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	40	72,35,28,926.31	1,32,06,27,625.86
Interest income during the year	41	2,02,87,58,630.28	1,91,48,05,025.10
Other Income -Receipts from A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c -Regional)		8,362.00	1,317.00
Other Income -Receipts from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)		-	-
TOTAL INCOME -EDLI ADMINISTRATION FUND (E)		2,75,22,95,918.59	3,23,54,33,967.96

		Amount-Rs.	
EXPENDITURE	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
EPF- Contributions Fund			
Interest payment to the Members	42	4,60,16,34,00,000.00	3,91,97,93,00,000.00
Interest paid to vendors on purchase of securities		4,95,98,20,184.15	2,10,30,44,237.56
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Interest accrued on SRF		27,13,13,362.43	25,26,33,870.15
Interest on overdraft paid to Banks		35,21,01,795.61	34,56,98,707.32
Misc-Intt. paid on deposits refunded to exempted trusts		-	-
TOTAL EXPENDITURE - EPF CONTRIBUTION FUND (A-1)		4,65,74,66,35,342.19	3,94,68,06,76,815.03
I - Excess of Income (A) over Expenditure (A-1) carried to Balance Sheet		64,53,80,60,272.09	(3,89,60,35,182.68)
<u>Employees' Pension Scheme, 1995</u>			
EPS CONTRIBUTION FUND			
Amount paid to outgoing members / beneficiaries	43	1,65,97,03,89,956.24	1,55,10,22,87,706.52
Commission to Banks for disbursement of pension		54,67,96,555.67	71,65,27,910.84
Accrued Interest paid on purchase of Investments (Securities)		2,30,20,94,149.68	90,01,58,044.86
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Other payments:			
A/c No. 10 (EPS Contribution A/c Regional)		1,83,21,83,671.00	1,60,05,748.00
A/c No. 11 (EPS Contribution A/c Central)		-	-
TOTAL EXPENDITURE - PENSION FUND (B-1)		1,70,65,14,64,332.59	1,56,73,49,79,410.22
II- Excess of Income (B) over Expenditure (B-1) carried to Balance Sheet		5,62,67,72,80,273.67	4,73,81,08,57,094.15
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
EDLI CONTRIBUTION FUND			
Assurance Benefits paid		5,79,43,34,727.02	3,86,45,99,465.80
Accrued Intt. paid on purchase of Invest. (Securities)		20,08,98,537.70	5,10,46,746.76
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Other payments:			
A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)		3,72,898.75	5,94,864.49
A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c - Central)		-	-
TOTAL EXPENDITURE-EDLI CONTRIBUTION FUND (C-1)		5,99,56,06,163.47	3,91,62,41,077.05
III- Excess of Income (C) over Expenditure (C-1) carried to Balance Sheet		30,93,29,24,802.93	25,53,71,51,567.64
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
EPF - Administration Fund - (100% Expenditure of EPFO)			
A- Establishment Expenses			
Salaries of Officers and Staff & Bonus		11,36,93,49,145.25	10,78,31,31,631.00
Allowances and Honorarium		2,73,38,87,816.64	1,98,23,39,143.00
Grants - Welfare Funds etc		6,72,23,157.00	8,07,84,188.00
Contribution to Staff Pension cum Gratuity Fund		22,23,59,23,806.54	19,74,57,78,711.58
S.P.F., D.L.I. Benefits		9,97,674.00	23,97,139.00
TA & LTC		27,11,69,882.00	21,37,78,439.70
TOTAL A		36,67,85,51,481.43	32,80,82,09,252.27
B- Other Administrative Expenses			
Electricity Expenses		26,99,90,596.09	24,16,41,807.00
Postage		8,30,14,109.00	8,89,74,840.00
Printing & Stationery		12,39,69,076.79	12,71,25,066.00
Rent, Rates & Taxes		25,91,96,336.95	23,66,01,882.00
Vehicle Running & Maintenance Expenses		1,46,05,693.00	1,37,51,743.00
Telephone, Internet & Communication Charges		5,50,12,842.00	5,04,35,059.00
Insurance Expenses		0.00	0.00
Water Charges		1,76,28,196.00	1,25,22,346.00
Staff Paid from contingencies		70,14,26,471.00	42,06,68,375.25
Advertisement & Publicity		2,35,48,529.00	16,76,01,469.00
AMC - Computers, Servers, Elect. Equip. & other Office		44,96,30,704.22	69,71,20,854.00
Travelling Expenses		5,30,51,681.00	4,05,49,677.00
Other Charges (Recurring/Non-Recurring)		71,65,20,809.49	1,80,58,06,999.23
Maintenance of Office Buildings/Staff Quarters		17,71,43,963.40	16,94,54,018.72
Net Depreciation on Fixed Assets		29,25,87,310.87	40,02,77,292.19
Loss/Gain on Liquidation of Assets		5,51,214.00	0.00
Provision for Building Construction Fund		0.00	0.00
Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable		0.00	2,22,72,164.00
Total B		3,23,78,77,532.81	4,49,48,03,592.39
TOTAL EXPENDITURE- EPF ADMINISTRATION FUND (D-1)		39,91,64,29,014.24	37,30,30,12,844.66

IV- Excess of Income (D) over Expenditure (D-1) carried to Balance Sheet		14,85,07,04,285.56	18,54,99,51,739.40
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Propotinate share (1%) in the total administrative expenditure of EPFO		39,91,64,290.14	37,30,30,128.45
Other payment:			
Account No. 22		41,196.15	1,29,698.05
Account No. 24		-	1,092.50
TOTAL EXPENDITURE -EDLI ADMINISTRATION FUND (E-1)		39,92,05,486.29	37,31,60,919.00
V- Excess of Income (E) over Expenditure (E-1) carried to Balance Sheet		2,35,30,90,432.30	2,86,22,73,048.96
TOTAL EARNING OF THE EPFO (I + II + III + IV + V)		6,75,35,20,60,066.55	5,16,86,41,98,267.48

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
<u>EPF Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 31			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	3,76,29,40,83,355.27	2,94,87,00,43,909.71
2	Interest accrued but not due on Investments	1,36,94,86,47,290.60	89,41,31,33,919.58
3	Interest due but not received on Investments	26,48,918.43	5,49,18,884.42
4	Profit on Sale of ETF Securities	10,11,83,32,562.60	0.00
5	Interest accrued on FDRs	88,26,086.95	74,50,45,344.56
6	Interest on Regional Savings Bank Account	48,15,971.47	11,29,022.27
7	Interest on Securities received from estts.	0.00	15,15,567.00
8	Interest from subscribers / members on loans	0.00	0.00
9	Excess Provision of Interest payable for earlier year - written back	0.00	0.00
Total		5,23,37,73,54,185.32	3,85,08,57,86,647.54
SCHEDULE No. 32			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	3,90,60,88,311.88	2,67,58,29,798.83
2	7Q Interest collected during the year	2,99,04,32,698.08	3,02,16,45,377.98
3	Other receipts (INTEREST ON CENTRAL S.B. A/C)	1,08,20,419.00	13,79,808.00
Total		6,90,73,41,428.96	5,69,88,54,984.81
<u>EPS CONTRIBUTION FUND</u>			
SCHEDULE No. 33			
Income from Pension Contribution			
1	Pension contribution received from employers	3,66,18,23,32,452.61	3,21,08,65,21,427.67
2	Pension contribution received from Central Govt.	-15,51,49,26,212.00	-3,67,13,00,000.00
3	Pension contribution receivable from Central Govt.	73,08,91,35,828.00	66,62,67,26,212.00
Total		4,23,75,65,42,068.61	3,84,04,19,47,639.67
SCHEDULE No. 34			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	1,46,09,89,37,809.41	1,19,70,61,35,306.69
2	Interest accrued but not due on Investments	60,65,12,94,608.83	42,12,25,08,757.24
3	Interest due but not received on Investments	5,08,204.40	7,06,12,500.00
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	64,14,130.43	81,30,31,458.75
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	79,25,69,92,174.00	80,77,20,00,000.00
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	16,63,76,07,826.00	0.00
8	Interest received under Minimum Pension scheme	0.00	0.00
9	Interest receivable under Minimum Pension scheme	2,20,62,86,163.18	0.00
10	Interest on Regional Savings Bank Account	5,06,86,685.78	1,65,88,137.46
Total		3,04,90,87,27,602.03	2,43,50,08,76,160.14
SCHEDULE No. 35			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	1,86,18,76,382.14	1,13,97,95,955.66
2	7Q Interest collected during the year	1,36,01,18,354.76	94,89,48,986.06
3	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 10	1,44,14,80,198.72	91,42,67,762.84
4	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 11	0.00	0.00
Total		4,66,34,74,935.62	3,00,30,12,704.56
<u>EDLI CONTRIBUTION FUND</u>			
SCHEDULE No. 36			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	8,73,80,39,564.28	6,37,58,57,079.10
2	Interest accrued but not due on Investments	3,34,92,15,180.81	1,64,79,81,984.47
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	92,565.03	4,35,479.45
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	6,61,13,59,030.00	6,69,27,00,000.00
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	65,03,02,727.49	23,46,00,000.00
8	Interest on Regional Savings Bank Account	6,60,956.42	97,144.87
Total		19,34,96,70,024.03	14,95,16,71,687.89

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
SCHEDULE No. 37			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	11,08,37,510.44	11,60,86,632.69
2	7Q Interest collected during the year	8,95,97,005.32	6,05,48,642.26
3	Other receipts in A/c No. 21	6,68,37,548.00	4,02,39,424.00
4	Other receipts in A/c No. 25	0.00	0.00
	Total	26,72,72,063.76	21,68,74,698.95
EPF - Administration Fund			
SCHEDULE No. 38			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EPF Administration Charges received during the year	35,99,14,86,633.31	39,05,40,32,843.50
2	EPF Inspection Charges received during the year	2,14,84,32,147.00	1,14,11,51,566.72
3	Penal Damages collected during the year	31,90,67,416.18	19,99,30,112.37
4	7Q Interest collected during the year	18,78,26,793.37	19,20,09,105.92
	Total	38,64,68,12,989.86	40,58,71,23,628.51
SCHEDULE No. 39			
Interest Income during the year			
1	Interest received on invest. during the year	15,51,02,30,298.26	14,42,79,45,013.89
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest accrued on FDRs	7,10,42,345.00	28,50,82,930.00
5	Interest on Regional Savings Bank Account	22,29,777.09	1,63,07,261.14
	Total	15,58,35,02,420.35	14,72,93,35,205.03
Less:	Interest credited to Building Construction Fund	0.00	0.00
	Total	15,58,35,02,420.35	14,72,93,35,205.03
EDLI ADMINISTRATION FUND			
SCHEDULE No. 40			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EDLI Administration Charges received during the year	63,08,98,956.34	1,26,97,06,909.77
2	EDLI Inspection Charges received during the year	7,55,25,257.00	4,14,68,021.00
3	Penal Damages collected during the year	1,00,77,408.01	48,94,961.27
4	7Q Interest collected during the year	70,27,304.96	45,57,733.82
	Total	72,35,28,926.31	1,32,06,27,625.86
SCHEDULE No. 41			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	2,02,83,24,925.86	1,91,44,89,113.11
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest on Savings Bank Account	4,33,704.42	3,15,911.99
	Total	2,02,87,58,630.28	1,91,48,05,025.10
EPF Contributions Fund			
SCHEDULE No. 42			
Interest payment to the Members			
1	Interest credited to Members PF A/c during the year (Including In operative A/c's)	0.00	0.00
2	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2017-18	4,60,16,34,00,000.00	3,91,97,93,00,000.00
3	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	0.00	0.00
	Total	4,60,16,34,00,000.00	3,91,97,93,00,000.00

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT		
	Current Year (2017-18)	Previous Year (2016-17)
<i>EPS Contributions Fund</i>		
SCHEDULE No. 43		
Amount paid to outgoing memebhrs / beneficiaries		
1 Withdrawal / retirement benefits	69,83,44,60,321.75	62,97,97,73,037.85
2 Life Assurance Benefits	0.00	0.00
3 Pension	96,13,59,29,634.49	92,12,25,14,668.67
Total	1,65,97,03,89,956.24	1,55,10,22,87,706.52

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

DETAILS OF FIXED ASSETS										Amounts (in Rs.)	
S No.	Fixed Asset (TANGIBLE)	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Cost/Valuation at the beginning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the year	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the year end (B)	As at the Current Year- end (A-B)	As at the Previous year-end
1	Land										
a	Freehold Land	58,10,38,903.63	9,66,65,674.00	6,11,92,952.80	61,65,11,824.83	-	3,69,664.00	-	3,69,664.00	61,61,42,160.83	58,10,38,903.63
b	Leasehold Land	26,62,23,245.30	21,70,772.00	-	26,83,94,017.30	3,07,20,009.30	1,00,57,839.86	-	4,07,77,849.16	22,76,16,168.14	23,55,03,236.00
2	Building										
a	Building-Office	1,65,77,90,318.92	10,22,10,854.80	3,74,26,646.00	1,72,25,74,527.72	26,53,78,006.81	7,93,93,298.17	-	34,47,71,304.98	1,37,78,03,222.74	1,39,24,12,312.11
b	Lease hold Building-Office	83,68,93,273.85	-	-	83,68,93,273.85	14,33,91,551.39	1,18,69,336.46	-	15,52,60,887.85	68,16,32,386.00	69,35,01,722.46
c	Building-Residential	76,08,76,174.90	5,79,13,940.00	5,29,86,744.00	76,58,03,370.90	17,70,25,042.21	3,56,30,457.43	-	21,26,55,499.64	55,31,47,871.26	56,38,51,132.69
d	Lease hold Building-Residential	16,13,22,500.00	-	-	16,13,22,500.00	5,12,56,152.00	16,64,413.00	-	5,29,20,565.00	10,84,01,935.00	11,00,66,346.00
3	Plant Machinery & Equipment	64,23,556.00	56,003.00	-	64,79,559.00	8,72,852.66	6,15,631.32	-	14,88,483.98	49,91,075.02	55,50,703.34
4	Vehicles & Motor Car	1,02,44,277.76	41,78,629.13	1,34,123.00	1,42,88,783.89	47,78,682.59	9,45,521.91	34,611.00	57,24,204.50	85,64,579.39	54,65,595.17
5	Furniture & Fixtures	10,75,19,733.24	2,95,72,170.90	17,30,637.00	13,53,61,267.14	1,25,78,612.79	1,11,56,767.62	2,78,310.00	2,37,35,380.41	11,16,25,886.73	9,49,41,120.45
6	Office Equipments	2,29,49,133.44	2,59,72,594.00	3,33,881.00	4,85,87,946.44	64,05,807.16	60,42,884.59	-	1,24,48,691.75	3,61,39,154.69	1,65,43,326.28
7	Computers/Peripherals	42,79,66,088.77	13,54,34,483.50	7,40,899.00	56,26,59,673.27	11,92,31,967.83	13,32,28,344.85	2,19,902.00	25,24,60,312.68	31,01,99,360.59	30,87,34,120.94
8	Electrical Installations	1,59,81,001.99	81,27,294.00	22,479.00	2,40,85,916.99	23,13,901.58	9,92,498.45	1,749.00	33,06,400.03	2,07,79,416.96	1,36,67,100.41
9	Library Books	10,72,111.00	6,90,398.00	1.00	17,62,508.00	11,903.40	2,73,345.12	-	2,85,248.52	14,77,259.48	10,60,207.60
10	Tubewells & Water Supply	4,83,253.00	10,64,683.00	23,402.00	15,24,534.00	66,033.07	1,23,587.55	11,386.00	1,89,620.62	13,34,913.38	4,17,219.93
11	Other Fixed Assets	2,18,86,666.00	24,99,266.75	2,17,987.00	2,41,67,945.75	9,48,614.00	71,007.54	50,168.00	10,19,621.54	2,31,48,324.21	2,09,38,052.00
	Total	4,87,86,70,237.80	46,65,56,963.08	15,48,09,751.80	5,19,04,17,449.08	81,49,79,136.79	29,24,34,597.87	5,96,126.00	1,10,74,13,734.66	4,08,30,03,714.42	4,06,36,91,101.01
S No.	Fixed Asset (INTANGIBLE)	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Cost/Valuation at the beginning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the year	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the year end (B)	As at the Current Year- end (A-B)	As at the Previous year-end
1	Computer Software	-	8,01,050.00	-	8,01,050.00	-	1,52,713.00	-	1,52,713.00	6,48,337.00	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	8,01,050.00	-	8,01,050.00	-	1,52,713.00	-	1,52,713.00	6,48,337.00	-
	GRAND TOTAL	4,87,86,70,237.80	46,73,58,013.08	15,48,09,751.80	5,19,12,18,499.08	81,49,79,136.79	29,25,87,310.87	5,96,126.00	1,10,75,66,447.66	4,08,36,52,051.42	4,06,36,91,101.01

NOTE:- INTANGIBLE ASSETS PRIOR TO 01-04-2017, IF ANY ARE INCLUDED IN TANGIBLE ASSETS

B-1 (For Section Office B&C)

SCHEDULE No. 18 Employees' Provident Fund -Investments										Amount in Rs.	
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value			
		Face Value	Amortized value					Amortized Value	Face Value		
1	Central Govt Securities -CTG	11,46,48,13,89,640.00		57,17,72,44,110.01	7,29,40,000.00	10,51,39,38,000.00	(84,43,44,880.00)		11,91,07,60,01,640.00		
2	Public Sector Undertaking -PSU	14,14,78,83,07,587.52		1,91,23,15,70,362.91	-	67,07,72,43,600.00	(3,98,88,965.23)		15,27,67,53,89,382.22		
3	Private Securities	3,97,23,79,80,200.00		81,87,95,88,432.12	-	7,02,56,50,000.00	1,87,58,758.39		4,70,17,61,69,800.00		
4	State development Loans -SDL	15,32,94,83,86,500.00		6,05,43,63,32,542.06	6,32,70,000.00	44,04,64,60,000.00	1,33,24,15,502.07		20,80,30,55,96,500.00		
5	State Govt Securities -STG	1,30,73,21,94,587.31		-	2,71,00,000.00	8,07,46,666.34	14,97,85,378.00		1,30,67,85,42,919.33		
6	Special Deposit Scheme -SDS	5,29,54,09,69,727.67		-	46,87,32,121.20	-	-		5,30,00,97,01,849.60		
7	Public Account			-	-	-	-		-		
8	ETF	1,43,73,91,94,776.62		1,53,83,58,89,066.27	-	26,86,51,06,162.00	-		2,70,70,99,77,680.89		
9	LMF	2,22,97,62,970.13		1,60,03,86,25,293.00	-	1,62,76,12,41,821.00	-		10,75,44,379.46		
10	FDR	11,60,00,00,000.00		11,60,00,00,000.00	-	11,60,00,00,000.00	-		11,60,00,00,000.00		
11	Amount Under-Reconciliation	-		-	-	-	-		-		
Total		53,09,29,81,85,989.25	53,08,52,08,87,524.59	12,61,19,92,49,806.37	63,20,42,121.20	3,29,97,03,86,249.34	61,67,25,793.23	62,45,14,65,10,480.52	62,12,33,89,24,151.50		

SCHEDULE No. 20 Employees' Pension Fund -Investments										Amount in Rs.	
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value			
		Face Value	Amortized value					Amortized Value	Face Value		
1	Central Govt Securities -CTG	6,04,22,91,03,700.00		24,34,77,99,578.64		4,10,50,00,000.00	1,35,32,115.26		6,23,53,16,03,700.00		
2	Public Sector Undertaking -PSU	6,28,04,32,18,951.74		83,40,81,20,411.57		39,28,66,62,000.00	95,23,317.89		6,72,57,31,11,304.32		
3	Private Securities	1,78,17,36,22,000.00		34,87,52,50,489.58		3,10,85,60,000.00	(2,24,786.77)		2,09,88,64,97,000.00		
4	State development Loans -SDL	6,83,00,08,78,700.00		2,54,72,91,13,044.07		18,30,85,25,000.00	55,51,31,525.83		9,15,36,95,23,700.00		
5	State Govt Securities -STG	57,28,90,00,000.00		-		5,00,00,000.00	3,57,31,800.95		56,78,90,00,000.00		
6	Special Deposit Scheme -SDS	14,00,52,28,022.64		-		-	-		14,00,52,28,022.64		
7	Public Account	10,19,38,25,20,241.86		1,19,65,87,92,174.00		-	-		11,39,04,13,12,415.86		
8	ETF	65,47,95,36,102.30		66,01,06,58,817.22		-	-		1,31,49,01,94,919.52		
9	LMF	4,03,33,02,661.99		67,34,18,40,503.87	-	67,34,18,40,503.87	-		1,34,42,15,259.17		
10	FDR	8,43,00,00,000.00		8,43,00,00,000.00	-	8,43,00,00,000.00	-		8,43,00,00,000.00		
11	Amount Under-Reconciliation	-		-	-	-	-		-		
Total		32,62,06,66,10,380.53	32,64,19,41,43,431.61	6,55,94,34,32,770.08	-	1,40,63,05,87,503.87	61,36,93,973.16	37,76,74,37,18,923.40	37,72,46,06,86,321.51		

SCHEDULE No. 22 Employees' Deposit Linked Insurance Scheme -Investments										Amount in Rs.	
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value			
		Face Value	Amortized value					Amortized Value	Face Value		
1	Central Govt Securities -CTG	29,77,24,82,000.00		1,39,33,61,319.45		8,30,00,000.00	(1,70,92,943.65)		31,04,89,82,000.00		
2	Public Sector Undertaking -PSU	33,83,14,39,840.00		5,44,86,76,527.54		1,76,45,14,000.00	(5,25,368.66)		37,46,82,55,521.90		
3	Private Securities	9,98,69,51,000.00		1,40,00,00,000.00		39,80,00,000.00	3,88,733.50		10,98,89,51,000.00		
4	State development Loans -SDL	37,63,63,07,800.00		14,44,28,35,117.47		1,80,22,65,000.00	3,64,75,624.72		50,01,03,62,800.00		
5	State Govt Securities -STG	3,37,70,00,000.00		-		-	53,99,260.99		3,37,70,00,000.00		
6	Special Deposit Scheme -SDS	2,49,76,309.05		-		-	-		2,49,76,309.05		
7	Public Account	88,19,13,14,794.14		6,84,59,59,030.00		-	-		95,03,72,73,824.14		
8	ETF	3,66,62,11,468.37		4,06,93,00,739.00	-	-	-		7,73,55,12,207.37		
9	LMF	94,70,26,724.37		2,76,65,40,022.00	-	3,64,30,20,128.55	-		7,88,83,488.21		
10	FDR	11,00,00,000.00		*110114767	-	11,00,00,000.00	-		11,01,14,767.00		
11	Amount Under-Reconciliation	-		-	-	-	-		-		
Total		2,07,54,37,09,935.93	2,07,50,19,68,196.72	36,36,66,72,755.46	-	7,80,07,99,128.55	2,46,45,306.90	2,35,91,54,14,156.47	2,35,88,03,11,917.67		

*This is TDS amount deducted from Account No. 25 and same amount was made FD. This was noticed during Financial Year 2017-18 and same is disclosed.

SCHEDULE No. 26									
EPF Staff Provident Fund -Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value		
		Face Value	Amortized value				Amortized Value	Face Value	
1	Central Govt Securities -CTG	4,02,24,81,000.00		13,29,57,788.89	10,30,00,000.00	(19,48,509.15)		4,04,84,81,000.00	
2	Public Sector Undertaking -PSU	3,87,00,31,771.32		45,03,82,500.00	14,00,49,000.00	7,56,446.32		4,18,84,66,968.61	
3	Private Securities	96,40,64,000.00		12,00,00,000.00	1,40,00,000.00	(58,494.30)		1,07,00,64,000.00	
4	State development Loans -SDL	3,85,54,20,000.00		1,01,43,28,286.45	25,13,30,000.00	48,70,265.03		4,61,06,50,000.00	
5	State Govt Securities -STG	24,60,00,000.00		-	-	4,11,011.18		24,60,00,000.00	
6	Special Deposit Scheme -SDS	83,33,20,534.92		-	-			83,33,20,534.92	
7	Public Account								
8	ETF	23,68,04,001.58		30,87,01,277.80					
9	LMF	-		18,67,83,901.00				54,55,05,279.38	
10	Amount Under-Reconciliation								
	Total	14,02,81,21,307.82	14,12,08,67,904.72	2,21,31,53,754.14	69,54,68,060.67	40,30,719.08	15,62,80,13,290.03	15,54,24,87,782.91	

SCHEDULE No. 27									
EPF Staff Pension cum Gratuity Fund -Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value		
		Face Value	Amortized value				Amortized Value	Face Value	
1	Central Govt Securities -CTG	9,08,84,81,200.00		1,16,48,54,025.00	10,00,000.00	(17,07,393.18)		10,21,94,81,200.00	
2	Public Sector Undertaking -PSU	12,80,12,79,347.20		4,77,77,16,083.19	57,30,37,000.00	(2,14,468.93)		17,10,47,69,810.18	
3	Private Securities	3,19,88,10,000.00		98,00,00,000.00	2,30,00,000.00	6,55,482.94		4,15,68,10,000.00	
4	State development Loans -SDL	15,10,04,90,000.00		12,10,02,06,135.32	90,20,00,000.00	2,05,37,110.44		26,07,68,10,000.00	
5	State Govt Securities -STG	49,30,00,000.00		-	-	8,33,357.56		49,30,00,000.00	
6	Special Deposit Scheme -SDS	91,79,27,326.87		-	-			91,79,27,326.87	
7	Public Account								
8	ETF	2,47,68,40,971.71		3,43,53,99,526.80					
9	LMF	3,75,48,55,673.00		3,56,12,54,396.97	3,30,35,82,563.69			5,91,22,40,498.51	
10	Amount Under-Reconciliation							30,42,00,925.22	
	Total	47,83,16,84,518.78	44,34,75,48,230.33	26,01,94,30,167.28	4,80,26,19,563.69	2,01,04,088.83	65,50,94,88,346.93	65,18,42,39,760.78	

EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995													
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2017-2018													
(CONTRIBUTION ACCOUNT)													
Previous year		S. No.	Receipts		Amount		Previous year		S. No.	Payments		Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.	Rs.	P.				Rs.	P.
27,97,24,47,01,880.54		1.	Opening Balance as on 01-04-2017		32,58,82,02,79,708.62				1.	Amount paid to outgoing members/ beneficiaries :			
3,21,08,65,21,427.67		2.	(i) Contribution of Employers		3,66,18,23,32,452.61					(a) Amount of Employee's share with interest			0.00
5,00,00,00,000.00			(ii) Contribution of Govt. 2017-2018*		51,11,18,00,000.00			0.00					
			(iii) Arrears of contribution of Govt. up to the year 2016-2017			0.00				(b) Withdrawal/Retirement benefits		69,83,44,60,321.75	
37,84,80,00,000.00			Interest on the balance in the Public					0.00		(c) Life Assurance benefits			0.00
		3.	Account of Govt. of India							(d) Pension		96,13,59,29,634.49	
80,77,20,00,000.00			Interest on Saving Bank Account		79,25,69,92,174.00				2.	Amount paid as commission for disbursement of pension			
1,65,88,137.46		4.	Interest received on Securities		5,06,86,685.78		71,65,27,910.84			Amount paid towards Pension Fund		54,67,96,555.67	
1,70,58,44,34,968.61		5.	Penal Damages		1,89,10,50,90,525.40				3.	Admn. Expenses			
2,08,87,44,941.72		6.	Other receipts :		3,22,19,94,736.90		0.00			Amount of securities transferred on grant of exemption			0.00
		7.	(a) Regional Contribution A/c No. 10		1,44,14,80,198.72		0.00						
91,42,67,762.84			(b) Central Contribution A/c No. 11			0.00			5.	Amount paid as accrued interest on purchase of Securities		2,30,20,94,149.68	
							90,01,58,044.86		6.	Other payments :			
							1,60,05,748.00			(a) Regional Contribution A/c No. 10		1,83,21,83,671.00	
							0.00			(b) Central Contribution A/c No. 11			0.00
							32,58,82,02,79,708.62		7.	Closing Balance as on 31-03-2018		37,78,53,91,92,149.44	
34,15,55,52,59,118.84			TOTAL		39,49,19,06,56,482.03		34,15,55,52,59,118.84			TOTAL		39,49,19,06,56,482.03	

*Including a sum of Rs. 10,71,00,00,000.00 received from MoLE against reimbursement of minimum pension of Rs. 1,000.00

Sd/-
(HEMANT JAIN)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976											
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2017-2018											
(CONTRIBUTION ACCOUNT)											
Previous year		S. No.		Receipt		Amount		Previous year		Payment	
Rs.	P.					Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.
1,81,19,28,74,510.16		1.		Opening Balance as on 01-04-2017		2,07,47,63,81,918.07		3,86,45,99,465.80		Assurance Benefits	5,79,43,34,727.02
14,28,48,46,257.85		2.		Contribution of Employers		17,31,15,88,878.61				Amount refunded to employers on	
6,69,27,00,000.00		3.		Interest on investment in Public Account of Govt. of India		6,84,59,59,030.00		0.00		grant of exemption	0.00
9,00,52,30,383.29		4.		Interest on investment in securities		10,38,64,57,028.20				Amount paid as accrued interest	
97,144.87		5.		Interest on S.B. Accounts		6,60,956.42		5,10,46,746.76		on purchase of securities	20,08,98,537.70
17,66,35,274.95		6.		Penal Damages & 7Q Intt.		20,04,34,515.76				Other payments in :	
		7.		Other receipts in :				5,94,864.49		Account No. 21	3,72,898.75
4,02,39,424.00				Account No. 21		6,68,37,548.00		0.00		Account No. 25	0.00
0.00				Account No. 25		0.00		2,07,47,63,81,918.07		Closing Balance as on 31-03-2018	2,36,29,27,13,711.59
2,11,39,26,22,995.12				TOTAL		2,42,28,83,19,875.06		2,11,39,26,22,995.12		TOTAL	2,42,28,83,19,875.06

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(SUNIL BARTHWAL)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Employees' Provident Fund Organisation

Schedule forming part of the Accounts for the period 2017-2018

Schedule 44: Significant Accounting Policies:

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting as recommended by Government of India.

2. Inventory Valuation

All items in the store, stock and spares are valued at cost.

3. Investments

The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) invested only in interest-bearing fixed-income instruments until 2014-15. It started investing in equity exchange-traded funds (ETFs) in August 2015, as per the new pattern of investment notified by the Government for the EPFO.

The annual interest credited to the Employees' Provident Fund (EPF) accounts of members is decided by the central Government every year on the basis of estimated earnings from the fixed income instruments held by the fund. Capital appreciation/depreciation of these interest bearing instruments is not considered, since these are held to maturity.

However, with the EPFO mandated to invest in equity, the accounting treatment of capital appreciation/depreciation needs to be decided, as returns from equity investments can be generated mainly through capital appreciation/depreciation, though there may be some cash inflow from dividends.

In view of the above the following policy for valuation and accounting of equity investment is proposed to be adopted.

Unit based NAV (Unitisation)

- The equity investments made are accounted at market value (marked to market) either using market price (if traded in stock exchanges) or fair value for the purpose of NAV computation as well as for Balance Sheet disclosure.
- Valuation of the investments (computation of NAV) to be done on a monthly basis (last day of the month).
- The NAV of EPFO Equity portfolio would always be equal to market value of all equity holding divided by cumulative number of units that EPFO has allotted to subscribers on that date.
- NAV per unit is =

$$\frac{\text{Net Asset Value in amount terms}}{\text{No. Of unit holders at the end of the month}}$$

Unit-allotment parameters

- The face value of units at Re 1 per unit.
- The NAV computation up to four decimals.
- Member's unit's allocation up to four decimals.

Accounting treatment of EPFO equity units.

- When EPFO equity units are sold the difference between the sale price and the face value of the unit, if positive, the amount be credited to reserves and if negative be debited to reserves, the face value being credited to Capital Account.
- When units are repurchased, the difference between the purchase price and face value of the unit, if positive the amount be debited to reserves and, if negative, should be credited to reserves, the face value being debited to the capital account.

EPFO Equity unit allotment methodology

- Investment made in equity during the month is allocated to the individual member accounts in the ratio of their individual contributions for that month. The net amount after adjustment of a member's share of equity units is reflected as debt contribution and which gets invested in fixed income securities.
- (i.e., Monthly contribution – equity contribution = debt contribution)
- The proportionate share of the equity component of a member's monthly contribution for the month is computed as under:

$$= \frac{\text{Amount invested by the EPFO in equity during the month} \times \text{Individual members' contribution for the month}}{\text{Total members' contribution for the month}}$$

- EPFO's equity units allotted to the individual members based on month end NAV

$$\frac{\text{EPFO equity component of member's monthly contribution}}{\text{NAV per unit at the month of end}}$$

EPFO Equity withdrawal methodology

- Members who withdraw their EPF balance due to exit/retirement/advance, the EPFO equity units to that extent should be redeemed.
- The NAV of the equity portfolio of the previous month will be applied for such redemptions, as the settlement of claims of a member has to be done immediately without having to wait for the computation of the NAV in the month in which the member exited/retired or sought advances.
- The contributions by the current members are higher than the withdrawals made by exiting members in EPF Scheme. Therefore there is no need to liquidate its equity investments to make for the funding of withdrawal of exiting member(s). The equity units released by the exiting members (withdrawal) will be utilized against creation of fresh units from the contributions made by the existing

members.

- In the event of EPFO having more withdrawals than contributions, it may liquidate its equity investments to make good the funding for exiting member(s).

Accounting treatment on sale of securities

- On sale of the Securities, difference between the sale price and the purchase price of the security, if positive (profit) the amount will be credited to reserves and, if negative (loss), be debited to reserves, the face value being credited to Capital Account.

Disclosure in the members' EPFO statements

- A member's EPFO statement will have two sections – fixed-income investments and units from equity investment)
- The fixed-income investment portion will continue to be disclosed as per existing norms.

The equity investment will be shown separately in a member's account with following heads:

Period (monthly)	Contribution	ETF units	Applicable NAV	Equity value	Total

NOTE: Implementation of this Accounting policy will require prior suitable amendment in the Employees Provident Fund Scheme 1952, by the Central Government.

4. Fixed Assets:

- 4.1 Till 2015-16, Land & Buildings were shown together; however in new format land is separately shown for 2015-16 onwards. Land is classified as leasehold land and freehold land.
- 4.2 Expenditure on all items which are used for providing services for more than one year will be considered as Asset and Depreciation on that asset will be treated as expenditure for the year.
- 4.3 Expenditure on all items costing more than Rs. 5,000 and used for providing services for more than one year is considered as Fixed Asset.
- 4.4 Fixed Assets are stated at historical cost.
- 4.5 All assets except Land and Building, acquired before 01.04.2015 (Date of switching from cash basis to accrual basis of accounting) are valued at nominal price @ Re. 1 per item

Explanation:

Till F.Y.2015-16, only Land & Building were considered as Fixed Assets, but in new system all the items falling under definition of Fixed Assets are treated as Fixed Asset and depreciation is charged accordingly. Prior to 01.04.2015 all the assets (except Land and Building) purchased and booked as expenditure in the respective years, are valued at Re. 1 per asset and accounted for as opening assets. This is done as per guidelines of Indian Government Financial Reporting Standard (IGFRS) issued by Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB) constituted by C&AG of India with the support of Government of India which is working on migration to accrual basis accounting in Union and States.

5. Depreciation

- 5.1 Depreciation on fixed assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in the Companies Act, 2013 (as amended).
- 5.2 Full rate of depreciation is provided on fixed assets, which have been used for 180 days or more and at half rate is provided if it is used for less than 180 days during the year.
- 5.3 On leasehold buildings such as buildings acquired from government agencies or lump sum payment for specified number of the year of lease, depreciation is provided on Straight Line Method with reference to lease period.
- 5.4 The lump sum lease amount paid on lease hold land is amortised proportionately every year over the lease period of the holding.
- 5.5 On freehold building depreciation is first applied for the period from date of acquisition to 01.04.2015. There after normal process of depreciation is being followed as per depreciation chart provided.

(Ref. Accounting Standards-6 and10)

Explanation: Depreciation Rate chart as per Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013 is being followed for calculating depreciation.

6. Government Grants/Subsidies

Government Grants/contribution due for the Employees' Pension Scheme is accounted on accrual basis

7. Employees Dues:

- 7.1 The salary payable to staff for the month of March shall be treated as expenditure of same financial year on accrual basis, irrespective of actual date of payment.
- 7.2 The interest, on advances paid to staff will be equally distributed in the period of recovery irrespective of recovery period of the interest.

8. Lease

- 8.1 Lease rentals are expensed with reference to lease terms.
- 8.2 Rent on hired buildings, payable by the end of the year shall be accounted on accrual basis and provision to that extent shall be made.

9. Interest Income

- 9.1 Interest income on investment pertaining to the year will be treated as income of that year.
- 9.2 As actual amount is not received it will be shown proportionately, as receivable in the account head "Interest accrued but not due".
- 9.3 Interest accrued and due but not received on investments are accounted on accrual basis from 2015-16 onwards.

10. Retirement Benefits:

- 10.1 EPFO maintains separate funds for staff Pension-cum-Gratuity. The liabilities of the EPFO on the account of such items are accounted on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to funds on account of actuarial valuation is accounted for as expenditure or income, as the case may be, of EPFO in the year of addition or deletion. According to the provisions of Accounting Standard-15, the employees' benefits should be accounted for as per the Actuarial Valuation and as per provisions. The cost of retirement benefits should be accounted for during the period for which the services are rendered.
- 10.2 Leave encashment paid during the year shall be treated as revenue expenditure of that year.

11. Revenue Recognition:

In case of any recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis. Other disclosures with regard to assessment under section 7A, damages levied under section 14 B and interest levied under section 7Q of the EPF & MP Act, 1952 is disclosed in notes to accounts.

12. Advances to contractors/ Agencies for building construction:

Advances given for construction work will be treated as current asset and will be initially shown as "Advance to contractors/ agencies". On the basis of measurement at the end of the year the amount will be transferred to the head "Capital work in progress" to the extent of the work has been executed, but yet to be finally completed.

13. Addition/deletion of any head

In case any exigency due to policy decision or statutory requirement, if new head of Account is required to be added/deleted the same shall be done with authorization from competent authority which shall be FA & CAO, EPFO.

Schedule 45: Contingent Liabilities and Notes on Accounts:

1. Contingent Liabilities

S. No.	Contingent Liability	Current year (Rs.)	Previous year (Rs.)
1.1	Claims against the entity not acknowledge as debts.		
(a)	Goods & Service Tax (formerly, Service Tax)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

2. Capital Commitments

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. 31,773.99 Lakh. At the end of previous year it was Rs. 19,244.43 Lakh.

NOTES ON ACCOUNTS

I. Adoption of Common Format of Accounts:

The Ministry of Finance in 2001 had prescribed a Common Format of Accounts to be mandatorily followed by all Central Autonomous Bodies for preparation of its annual accounts. This Format of Accounts was intended to bring about transparency and uniformity in the accounts of Central Autonomous Bodies. The non-adoption of Common Format of Accounts has repeatedly been highlighted in the CAG of India's report on Consolidated Annual Accounts in previous years.

A draft Format of Accounts, based on the Common Format of Accounts prescribed by Ministry of Finance, Government of India was prepared for the first time for the year 2015-16. A few changes were carried out in accordance with the activities of the EPFO. Similarly, draft accounting policies to be followed by EPFO to switch over to accrual system of accounting from the current cash based accounting system were prepared. The format and the policies have been approved by Finance, Investment and Audit Committee (FIAC) and the Central Board of Trustees, and shall, thereafter, be notified by the Ministry of Labour & Employment in consultation with the CAG of India.

The CAG of India has given their approval to the draft Format of Accounts and draft accounting policies submitted by Employees' Provident Fund Organisation and presently is under submission with Ministry of Labour & Employment for notification.

EPFO has prepared the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 on accrual basis accounting in the Common Format, approved by CAG of India. Being the first year of accrual basis accounting and booking of expenses of March 2018 on accrual basis, expenses have been booked for 13 months during the Accounting Year 2018-19.

II. Treatment of expenses on Accrual basis:

- (A) The salary and other expenses for the month of March, 2018 paid in April, 2018 have been booked in the Annual Accounts for the year 2017-18. Thus in the financial year 2017-18 salary and other expenses have booked for 13 months i.e. from the month of March, 2017 to March, 2018, being the first year to book the expenses on accrual basis.
- (B) The Income and Expenditure Accounts includes the prior period income for a sum of Rs. 7,04,000.00 and expenditure for a sum of Rs. 26,87,25,347.91

III. Recovery of statutory dues:

1. Unrealisable category (Court Stay, winding up and BIFR cess) amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q shall be shown as scheme wise.

(Rs.In Lakh)

S. No.	Name of the scheme	Current year- Total cumulative amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q under Unrealisable category (in Rs. in lakh)		Previous year- Total cumulative amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q under Unrealisable category (in Rs in lakh)	
		Arrear	Penal Damages/ Interest	Arrear	Penal Damages/ Interest
1.	Employees Provident Fund	2,19,543.43	1,81,360.06	2,06,525.19	188844.05
2.	EPF Admn. Fund	15,454.59	17,861.75	15,313.70	12684.66
3.	Employees' Pension Fund	1,08,850.06	82,231.21	1,04,151.06	92336.92
4.	Employees Deposit Link Insurance (EDLI) Fund	9,686.75	7,707.78	9,149.74	7594.30
5.	EDLI Admn. Fund	373.83	274.65	307.79	249.15
Total		3,53,908.66	2,89,435.45	3,35,447.48	2,89,024.40

(Source MIS)

2. Realisable category amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q, and recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis.
3. Due to uncertainty of recovery and unable to quantify the exact amount of recovery before completion of proceedings, the recognition of revenue should be postponed as per provisions of Accounting Standard-9 with respect to revenue recognition. Further, on receipt of actual contributions amount are to be credited in EPF member's account and not on due basis.

IV. EMPLOYEES PENSION FUND:

Employees' Pension Fund actuarial valuation was last made as at 31-03-2015 and broad findings reported are as under:

- i. Salary ceiling for the EPS is not raised for quite some time, the benefit gets eroded due to the inflation, but considering the effect the increase in the wage ceiling which can have on the financial health of the scheme, some alternative method to take care of inflation should be considered. Any enhancement in salary ceiling for EPS may be done after looking at the effect on the fund. In our opinion if enhancement in the salary ceiling is made then a revision in the scheme will be required so as to give service credit at different level of salary ceiling.
- ii. There is no protection for inflation on the pension in payment the same also needs consideration, but this will put burden on the scheme finances. There is a provision in case of valuation surplus which may be considered in future.

- iii. An exercise as to collection of the full data for all the type of beneficiary may be undertaken so as to have proper evaluation of the scheme. In the current year an effort was made to collect the data and we have got 100% of the Pensioners and Beneficiary Pensioner's data and 58% in respect of the active member's data which is substantially large as compared to the earlier data provision. The data in respect of other category of members and balance data for active members should be collected.
- iv. An endeavor may be made to have statistical cell in the EPFO so as to generate scheme specific mortality, attrition, and salary escalation etc.
- v. Having proper asset liability matching and investment of the money considering the cash flow will help in proper investment and earning of the fund. Investment department may work closely with the benefit department to achieve the goal of higher earnings. This can be possible, when the data required for cash flow projection is available.
- vi. Pension is a long term liability and the discount rate and earning rate are driven by the economic factors. It is unlikely that economic factors will remain static for such a long term. Considering a static discount and earning rate would give a scenario of the liability based on the current economic scenario. As the scheme is an ongoing one and benefit and contributions are defined, any variation in the actuarial parameters may be re-adjusted in annual valuations so as to have a perspective of the scheme year on year.
- vii. Sensitivity analysis is recommended once the data is available to do such analysis, current data availability and purpose of valuation does not call for the analysis as of now.
- viii. The surplus of Rs. 5,026.86 crore can accommodate a onetime relief of 5% on the pension in payment, we understand that the subsidy given by the government for minimum pension of Rs. 1,000 shall continue, As the data is as on March 15 and the relief is going to be prospective, after considering cost of one-time relief there will still be a surplus of app Rs.100 crore, this surplus, we feel is required as the total liability of the fund is large.
- ix. Any future relief shall be given based on future surplus, if any.
- x. Valuation Results:

Net Liability Bifurcation	Amount in Crore Rs.
(a) Present Value of all the benefits	5,25,315.42
(b) Present Value of contribution	2,91,810.45
Net Present value of all benefits (C)=(a)-(b)	2,33,504.98
Corpus as on 31-03-2015 (d)	2,38,531.84
Net Liability { (c)-(d)}	(-) 5,026.86

In this regard, it is intimated that in the valuation results, actuary has shown the net result of net liability of Rs. 5,026.86 crore in minus, because it is liability of EPFO, but the figure is in "surplus".

The appointment of Valuer for carrying out the Annual Valuation for the financial year 2015-16 and 2016-17 is under process.

V. EMPLOYEES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME:

Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Fund actuarial valuation was last made for the year/as on 01-09-2014 and broad findings reported are as under:

EDLI Scheme with the current benefits has no immediate problem of solvency, Fundamentals of the schemes are strong and it can sustain the benefits over a current cohort.

- i. The main reason behind the sustainability of the scheme is the availability of current corpus Rs.13,711 crores.
- ii. Annual valuation of the scheme is recommended.
- iii. It is also suggested that any alteration in the scheme in future should be done only after formal valuation.
- iv. Mortality experience of the scheme will be change over a period of time, and it may be advisable to create an experience mortality table for the scheme.

VI. MEMBERS' ACCOUNTS:

- (A) **Inoperative Accounts:** Accumulations in respect of any member who has either ceased to be employed or died, but no application for withdrawal under paragraphs 69 or 70 or transfer, as the case may be has been preferred within a period of thirty six months from the date it becomes payable (Provident fund becomes payable after 60 days from the date of leaving, if the reason for leaving is resignation. However 60 days waiting period is not applicable if the employee has resigned to go abroad or in case of female employee getting married). Provident Fund is payable immediately if the reason for leaving is retirement, voluntary retirement, termination, permanent disability and death, or if any amount remitted to a person is received back undelivered, and it is not claimed again within in a period of thirty six months from the date it becomes payable shall be transferred to an account called in-operative account.

The definition of Inoperative Accounts u/p 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 is based on the definition prior to 11-11-2016. Based on revised definition of 'Inoperative Accounts', the amount classified under this heading is also extracted centrally by Information Service Division. According to the amended definition, the amount of inoperative accounts where date of birth is available, is Rs. 1,344.79 crore and the number of such accounts is 5,47,018. The remaining cases are yet to be identified or classified as 'Inoperative Accounts', because of non-availability of required data for inoperative accounts as per the new definition.

- (B) **Members' Accounts pending for updation:**

The Annual Accounts for the year 2017-18 were updated and as on 31-03-2018, only 20,21,32,783 accounts were pending for updation.

(C) **Irregular payments, and Overpayments :** As on 31.03.2018, a sum of Rs. 5.88 crore and Rs. 6.35 crore were the closing balance under the heads "Irregular Payment" and "Overpayments" respectively. After detection of over payments or irregular payments, the loss is made good by officials responsible for the same. These payments are properly accounted for and monitored by a duly constituted Over Payment Review Committee. The field offices have also filed civil suits/criminal proceedings against the employees of the Organisation as well as outsiders for the recovery in such cases. Moreover, the Internal Audit Parties have been suitably directed to take up the issue relating to overpayments & irregular payments during the audit of the field offices."

(D) **Negative balances in members'accounts:**

As on 31-03-2018, 2,51,483 subscribers accounts were indicating minus balances of Rs. 269.30 crore.

The work of reconciliation of negative balances has been taken up by EPFO. A comprehensive effort for investigating the reasons for minus balances was initiated on an all India level. It was found that negative balance more often than not were because of accounting errors/software errors. However, in a few cases negative balance is due to overpayment. Overpayment Committee has been entrusted with the work of identifying the reasons for such minus balances. In case of any of the minus balances due to negligence on the part of any of the officials, the committee recommends recovery of the actual amount from the concerned official.

VII. INVESTMENTS:

(A) **Investments pending for realisation-**

The details of investments showing yet to realise principal amount and interest thereon along with the action taken by EPFO is annexed as Annexure 'A'

(B) **Refund of TDS:**

A sum of TDS of Rs. 8.37 crore had been erroneously deducted and deposited in the Income Tax Department during 1997-1998 to 2005-2006. The matter has been taken up with the Secretary MOL&E vide U.O. Note dated 20-06-2018 proposing therein that issue may be taken up at level of Hon'ble Minister of Labour and Employment of the Government of India with Hon'ble Minister of Finance of the Government of India for issuing necessary directions to the Income Tax authorities for refund of Rs.8,36,98,105.70 alongwith interest at the earliest. Under Secretary to Govt. of India, MOL&E vide letter dated 16.07.18 has requested to furnish the information relating to Details of Tax Deductions and the amount of tax deducted date wise and tax wise certificate nos. and date of each certificate.

(C) **Difference between the figures of Investments:** The difference in the investment figures as shown in the Balance Sheet and in the holding figures held in the investment records is due to the fact that while the investment figures shown in the Balance Sheet are reflected at the cost price after amortisation, they are booked at the face value in the Investment records. The difference between the cost price after amortisation and the face value would, therefore, depend upon the extent of premium paid/discount availed and to the extent the same has already been amortized. As securities are regularly purchased, the

calculation of amortization is a dynamic and ongoing process and is handled through dedicated software for computing the same.

VIII. SUSPENSE ACCOUNTS:

Suspense Account (EPF), Schedule No.5 (Current Liabilities and Provision	
Opening Balance	70,36,16,853.78
Add: Amount remained unclassified during the year	2,25,66,65,630.85
Total	2,96,02,82,484.63
Less: Amount cleared during the year	1,99,78,27,671.82
Closing Balance	96,24,54,812.81

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 15 (Current Liabilities and Provision	
Opening Balance	51,70,71,904.97
Add: Amount remained unclassified during the year	1,96,20,28,597.45
Total	2,47,91,00,502.42
Less: Amount cleared during the year	2,27,33,29,159.35
Closing Balance	20,57,71,343.07

Suspense Account (EPF), Schedule No. 19 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	82,73,39,191.78
Add: Amount remained unclassified during the year	1,65,71,12,019.91
Total	2,48,44,51,211.69
Less: Amount cleared during the year	1,60,68,43,835.65
Closing Balance	87,76,07,376.04

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 28 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	22,76,81,077.16
Add: Amount remained unclassified during the year	8,79,46,798.35
Total	31,56,27,875.51
Less: Amount cleared during the year	8,79,95,610.63
Closing Balance	22,76,32,264.88

PMRPY and PMPRPY:

PMRPY and PMPRPY Schemes are flagship incentive schemes of Government of India for the generation of new employment in private sector. These schemes were launched during October, 2016 for which, the Government provides grant-in-aid through the Bank Account of EPFO at Indian Bank for this purpose.

PMRPY Scheme provides for reduction of employers responsibility of pension contribution with respect to newly inducted Provident Fund members. EPFO is directly reimbursed the deducted amount from the above mentioned bank Account.

PMPRPY Scheme is a textile sector specific scheme, which provides for reimbursement of entire employers' share (both EPS and EPF contribution) to EPFO.

Interest earned on savings Bank Accounts maintained for PMRPY and PMPRPY is shown as misc. income for accounting purpose, while the unutilized grant-in-aid funds of both the schemes are treated as advances in EPF Scheme and EPS for PMPRPY and PMRPY Schemes, respectively.

(IX) Centralised Bank Collection Accounts:

EPFO has moved to Centralized Receipt of statutory contributions in Single Bank Account in Multiple Banks, during December, 2016 in place of earlier system of receipt in decentralized Five Collection Accounts of all the Regional/Sub-Regional Offices. Centralized Receipt of fund is being treated as under:

- i. Erroneous Credit against duplicate TRRN is liability, which will be refunded in future. For accounting convenience it is shown in PF Scheme Account.
- ii. Credited un-reconciled amount is treated as liability in EPF Scheme Account. Once the amount is reconciled it will be transferred to respective accounts as contribution.
- iii. Credits by banks for testing of transaction is treated as Misc. Income in Income and Expenditure Account. Similarly bank charges is shown in Income & Expenditure Account of EPF Scheme.
- iv. Closing balances of Single Collection Accounts is shown as bank Balance of EPF Scheme.

(X) Fixed Assets (Schedule No.24)

- (A) 'Other Fixed Assets' comprise the assets such as Bio-metric machines, Table glasses, Fire extinguishers, Water filters etc.
- (B) The details of land not registered in the name of Employees' Provident Fund Organisation is as under:-

S. No.	Name of Zone/Office	Details of Land
1	Chennai & Puducherry	Staff Quarters, Nungambakkam(Phase I & II)
2	Head Office	The builtup office space of EPFO Head Office, 14-Bhikaji Cama Place, Hudco Vishala Building was purchased from Hudco on lease basis but till date lease deed has not registered in the name of EPFO. The Book Value of this Building as on 31.03.2018 is Rs. 21,71,07,673/- only.

I. **STAFF PENSION-CUM-GRATUITY FUND:**

As per provision contained in Section 5-D of the EPF & MP Act, 1952 read with Employees Provident Funds (Staff & Conditions of service) Regulations, 1962, the officers and employees of Central Board of Trustees, EPF are eligible for pension-cum-gratuity benefits as applicable to the employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay. CCS (Pension) Rules, 1972 are applicable mutatis mutandis to the employees of EPFO.

Staff Pension-cum-Gratuity Fund was created w.e.f. 1st April, 1965 to enable the CBT, EPF to adequately discharge its pension and gratuity payments liabilities towards its employees. The fund is fed from the surplus of administrative charges levied on establishments. The CBT, EPF in its 174th meeting held on 23.02.2006 had approved the proposal to increase the contribution to 21% of total emoluments from 12.4% of total emoluments being transferred prior to 23.02.2006 by way of monthly transfer. The CBT, EPF in the said meeting had, inter alia, recommended that Pension-cum-Gratuity Fund may be valued by the actuary on bi-annual basis.

The actuary has submitted its report in November 2015 and the total Projected Benefit Obligation (PBO) is tabulated below:

(Rs. in crores)

(i)	Pension	9,809.39
(ii)	Gratuity	750.27
(iii)	Total liabilities (i) + (ii)	10,559.66
(iv)	Available balance as on 31.03.2015	2,269.68
(v)	Deficit (iii) – (iv)	8,289.98
(vi)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity Fund upto 31.03.2017	1,706.81
(vii)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity Fund between 01-04-2017 to 31-03-2018	1,728.80
	Balance Deficit [(v) – (vii)]	4,854.37

The report of the actuary was accepted by the CBT, EPF and, thereafter, the surplus amount of administrative charges is being transferred in the Staff Pension-cum-Gratuity Fund to meet out the requirement of the Fund. An amount of Rs. 3,435.61 crore has been transferred in the Staff Pension-cum- Gratuity Fund.

Sd/-
(Hemant Jain)
FA & CAO

Sd/-
(Sunil Barthwal)
Central P.F. Commissioner

**STATEMENT SHOWING THE POSITION OF OUTSTANDING DEFAULT OF INTEREST & MATURITY RECEIVED IN RESPECT OF
CLAIM FOR INTEREST ON DELAYED PAYMENT – March (31-03-2018)**

S. No.	Name of establishment	Principal (Face Value of Security) / Part Redemption	Coupon Interest	Coupon interest (short receipt)	Delayed period interest/ Accrued interest on delayed payments of maturity/ interest amounts (31-03-2018)	Present status
1	M/s Uttar Pradesh Financial Corporation (Since 1st April, 2004)	25,00,00,000.00			956,759,059.82	UPFC has failed to comply with the interim order of Hon'ble High Court of U.P.(Lucknow Bench) for payment of the principal amount. Contempt petition is being filed in High Court. A letter has been sent to SRO Lucknow vide this office letter dated 16.08.16 clarifying that lawyer appointed by SRO, Lucknow i.e. Shri Shailendra Srivastava, Panel Advocate shall continue to look after the case of UP PICUP and UP SFC. Further RPFC SRO Lucknow was also requested to make necessary arrangements to file contempt in the High Court for non compliance of the order of the Hon'ble Court in the case writ petition No. 1760 vide Letter dated 11.11.2016. Further matter has been taken up with SCB to take necessary action in the matter as per the agreement vide this office letter dated 12-01-2017, 20-03-2017 and dated 08-05-2017. Remarks – Rs. 25,00,00,000-00 as principal amount has been received from UPFC on 27-09-2018)
2.	M/s the Pradeshiya Investment Corporation of UP Limited (UP PICUP) (Since July, 2003)	-		-	37,588,237.26	UP-PICUP has failed to comply with the interim order of Hon'ble High Court of U.P.(Lucknow Bench) for payment of the interest amount. A letter has been sent to SRO Lucknow vide this office letter dated 16.08.2016 clarifying that lawyer appointed by SRO, Lucknow i.e. Shri Shailendra Srivastava shall continue to look after the case of UP PICUP and UP SFC. Further RPFC SRO Lucknow was also requested to make necessary arrangements to file application for early hearing of the case WP No. 1759 of 2011 vide this office letter dated 11.11.2016. Further matter has been taken up with SCB to take necessary action in the matter as per the agreement vide this office letter dated 12-01-2017, 20-03-2017 and dated 08-05-2017. The matter was also discussed with Shri Jaydeep Jayaker, Director SCB telephonically on 08.06.2017 who informed that SCB is in touch with the Lawyer to file representation in the matter of WP No.1760(MB) of 2011. Remarks – Rs. 2,38,07,502.00 as interest amount has been received from PICUP on 29-10-2018.

3.	M/s Richard & Cruddas (RCL) (Since March, 2002)	-	-	-	36,774,572.04	EPFO has taken decision to file writ petition to recover the dues. Lawyer requested EPFO to reconsider the decision. EPFO written a letter to SCB on 25.07.2014 to collect the papers from the advocate showing that EPFO has filed its claim in BIFR case No. 509 of 1992 in respect of Richardson & Cruddas Limited (RCL) for the entire dues to be recovered. The matter has been taken up with Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises to ensure the payment of the delayed payment dues vide our letter dated 19-09-2016 and dated 17-03-2017 to resolve the matter and ensure the payment of delayed payment dues. Further matter has been taken up with Chairman and Managing Director (R&CL) to take necessary action for payment of outstanding interest at the earliest vide letter dated 22-05-2017 & letter 09-11-2017 & DO letter dated 31-05-2018 to Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries and letter dated 08-10-2018 to SCB.
4.	M/s Bangalore Mahanagar Palike(BMP) (Since, 2004)	-	-	-	2,05,02,313.00	30% of bond value i.e. Rs 6 crore was required to be redeemed on 31.12.2004, were paid only on 15.11.2005. SBI demanded interest for the delayed period for 31.12.2004 to 31.10.2008 total dues of Rs. 1,13,59,987/- as the dues were not paid by the issuer i.e. BBMP a recovery suit was filed in the court of civil judge, Bangalore, the same was dismissed that SBI is at fault. Now vide letter dated 10.01.2017, SSB, SBI Mumbai has been informed that the competent authority has decided to recover an amount of Rs.2,00,92,365.85 from the portfolio management fees of SBI out of the outstanding amount of Rs. 2,05,02,313.00 Further the balance amount of Rs.4,09,947.15/- has been recovered from the quarterly bill for the quarter October to December,2016. The requisite reply of the above Para's has already been furnished to DD Audit by IMC Division vide their letter U. O. Note dated 11-05-2017.
5.	M/s P.S.I.D.C. (Since 2013* - accrued interest on delayed maturity & interest payments are pending since 2004)	65,00,000.00	15,432,609.16	-	3,069,149.30	A claim has been filed to recover the defaulted amount vide D.O letter dated 12.12.2014 to the Chairman PSIDC. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT EPF. Further reminder to Chief Secretary Govt. of Punjab has also been issued on 16.08.2016. As no response received, D.O. letter issued to governor, RBI on dated 03.02.2017 to look into the matter on priority and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PSIDC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. Further reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 15-03-2017, 13-07-2017 & 5-2-2018 and M/s PSIDC on 15-03-2017. and dated 13-07-2017.

6.	HMT Machine Tools Limited (HMT) BIFR Case. (Since, 1996)	-	-	-	405,084.00	Recovery suits have been filed in City Civil Court Bangalore. HMT has filed an application seeking stay further proceedings invoking section 22 of SICA. The case is still pending. Letter issued on 09-05-2013, 11-03-2016, 16-08-2014, 27-03-2015 and 05-05-2016 to advocate to furnish opinion on BIFR and to challenge the stay order and to intimate status report.
7.	M/s Punjab Financial Corporation (Since 2014)	42,20,000.00	4,683,461.97	-	986,810.58	A claim has been filed to recover the defaulted amount vide D.O letter dated 12.12.2014 to the chairman PFC. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT EPF. Further reminder to Chief Secretary Govt. of Punjab has also been issued on 16.08.2016. As no response received, D.O. letter issued to governor, RBI on dated 03.02.2017 to look into the matter on priority and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PFC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. Further reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 27-04-2017, 19-9-2017, 13-2-2018 & 4-12-2018 and M/s PFC on 27-04-2017, 19-9-2017, 16-2-2018.

SEPARATE AUDIT REPORT – OBSERVATIONS	COMMENTS OF THE ORGANISATION
We have audited the attached Balance Sheet of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) as at 31 March 2018, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. These financial statements include the accounts of Head office, 21 zonal offices including 135 Regional offices (ROs), PDUNASS and EPF Appellate Tribunal of the Employees' Provident Fund Organization (New Delhi & Bengaluru). Out of these accounts of Head Office, 6 Zonal offices, PDUNASS, 18 Regional Offices were audited and comments have been suitably included in this report. These financial statements are the responsibility of the EPFO's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. 2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately. 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. 4. Based on our audit, we report that: i. We have obtained all the information and explanations, subject to the observations in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;	1. No Comments, being factual. 2. No Comments, being factual. 3. No Comments, being factual. 4. No Comments, being factual.

ii The consolidated Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up by EPFO in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance. iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the EPFO as required under Section 5A (5) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 in so far as it appears from our examination of such books. iv We further report that:	
A. Balance Sheet A.1 Liabilities A.1.1 Members Inoperative Account (Schedule 2) - Rs. 54657.87 crore (i) The amount paid during the year in respect of Inoperative Account by Regional Office Chandigarh is Rs. 42.65 crore, however, the same has been shown as Nil in the Receipts & Payments Account No. 1 by RO Chandigarh. This resulted in overstatement of Inoperative Accounts by Rs. 42.65 crore.	A. Balance Sheet A.1 Liabilities A.1.1 (i) The inoperative accounts of members are the part of members PF liabilities towards the EPFO. The Regional Office, Chandigarh has shown the payment of inoperative accounts in the payments to members accounts (operative) otherwise their Cash Book would not have reconciled. This is simply misclassification of accounts within the members accounts. Therefore, there is no over statement of members accounts liabilities. However, the Regional Office, has been asked to put the figures in the correct head of account in the current financial year. (ii) The reply is same as above.
(ii) Regional Office Chennai I & Chennai II As per the 'Settlement for Inoperative Accounts Summary' for the year ended 31st March 2018 furnished by the Regional Office, Chennai, an amount of Rs. 829.51 crore in respect of 18,06,556 nos. of Inoperative accounts was shown as opening balance from 01.05.2010. No additions were made to the Inoperative Account after 01.05.2010. Total payments made for the year 2017-18 was Rs. 1308.83 crore against the actual balance of Rs. 829.51 crore which resulted in the minus balance of Rs. 479.32 crore in the Inoperative Accounts as on 31.03.2018. But in the annual accounts, Rs. 366.19 crore was shown as negative balance in the Inoperative Accounts resulting in a difference of Rs. 113.13 crore. The reasons for exhibition of incorrect balance in the Inoperative accounts and the reasons for payment made over and above the amount lying balance in the Inoperative account was due to technical mistake in the report generated by EDP. This needs to be rectified in the accounts.	

A.1.2 Current Liabilities & Provisions (EPF) (Schedule 5) – Rs. 555.72 crore The above includes unreconciled excess/erroneous credits amounting to Rs. 140.86 crore pertaining to the period 1976-77 to 2017-18 as on 31st March 2018.	A.1.2 Regional Offices have been directed to reconcile the unreconciled excess/erroneous credits.
A.1.3 Earmarked / Endowment Funds Staff Provident Fund (Schedule - 13) - Rs.1077.69crore EPFO had liability of Rs. 1307.61 crore for Staff Provident Fund Account (Staff Provident Fund Account (Schedule 13);Rs.1077.69 crore and Staff Provident Fund Interest Account (Schedule 11): Rs. 229.92 crore) against which the corresponding assets of Rs. 1604.33 crore have been shown in the accounts (Staff Provident Fund Investment (Schedule 26) : Rs. 1562.80 crore, SPF Amount in transit (Schedule 28): Rs. 1.23 crore ,RBI S.P.F Investment Account (Schedule 28): Rs. 0.73 crore, Erroneous debit made to SPF account(Schedule 28): Rs. 0.02 crore and Interest accrued but not due on investment: Rs. 39.55 crore). The difference of Rs. 296.72 crore has not been reconciled.	A.1.3 The reason of surplus of investment in Balance Sheet against the liabilities of Staff Provident Fund is due to excess fund transferred to Staff Provident Fund Investment Account during the last several years. The investment Division is being requested to transfer back the excessive investment in SPF Account to Administration Fund during the current financial year.
A.2. Assets A.2.1 Amounts have been shown as remittances in transit pertaining to the period prior to 2015-16 as tabulated below which needs reconciliation and consequent accountal.	A.2. A.2.1 Amount in transit pertain to period prior to 2014-15. RBI has shown its inability to provide the Challan for the period from Jan.,1989 to May, 1999. Similarly record prior to 2014-15 was maintained manually and SBI has shown its inability to provide old records. However, the matter is being perused with SBI for the reconciliation of unreconciled amount in transit.

Head of Accounts	Subhead	Amount (in lakh)
Current Assets, Loan & Advances (Schedule 23) EDLI – Rs. 453.82 crore	Remittance in transit from EDLI Contribution Account (Account No. 21) to EDLI Central Contribution Account (Account No. 25)	974.97
Current Assets, Loan & Advances (Schedule 28) EPF Administrative Fund – Rs. 1154.03 crore	Remittance in transit from Bank to Account No. 25	5.32
	Amount in transit of EPF Administrative Charges Account – Central (Account No. 4)	518.03
	Amount in transit of Staff Provident Fund Account (Account No. 8)	122.68
Current Assets, Loan & Advances (Schedule 30) EDLI- Administrative Fund – Rs. 141.77 crore	Remittance in transit from EDLI Administrative Charges Regional Account (Account No.22) to EDLI Administrative Charges Account Central (Account No. 24)	154.32

A.2.2 EPF Administration Fund Investment (Schedule 25) - Rs. 21810.85 crore As intimated by the Pay & Accounts office of Ministry of Labour & Employment the investment of EPF Central Administration Fund (Account No. 4) under Special Deposit Accounts as on 31.3.2018 was Rs.21608.47 crore. However, the same has been depicted in the accounts as Rs.21600.85 crore. This resulted in a variation of Rs.7.62 crore in the closing balance as on 31.3.2018, which has not been reconciled.	A.2.2 The matter has been taken up with RBI, where the SDA is maintained. RBI has expressed their inability to provide the statement of Account for the period of difference w.e.f. 1989 to 24.07.1998 as no record is available with RBI.
A.2.3 EDLI Administration Fund Investment (Schedule 29) - Rs. 2813.94 crore As intimated by the Pay & Accounts office of Ministry of Labour & Employment the investment of EDLI Administration Charges Fund (Account No. 24) under Special Deposit Accounts as on 31.3.2018 was Rs.2811.61 crore. However, the same has been depicted in the accounts as Rs. 2813.94 crore. This resulted in a variation of Rs.2.33 crore in the closing balance as on 31.3.2018, which has not been reconciled.	A.2.3 The matter has been taken up with RBI, where the SDA is maintained. RBI has expressed their inability to provide the statement of Account for the period of difference w.e.f. 1989 to 24.07.1998 as no record is available with RBI.
A.2.4 Investments (Schedule 18, 20, 22, 26, 27) - Rs. 1033894.31 crore A.2.4.1 The above five schedules of investment do not give a clear picture of the investment of the EPFO as:- (i) From the disclosures given in the schedule, neither the amortised value of investment nor the face value of investment could be worked out. (ii) In addition to this EPFO could not classify the amortised value of total investment shown in the Balance Sheet into the types of investment it has made. A.2.4.2 The above includes ETF investments of Rs. 41639.34 crore (aggregate of investment of ETF as shown in Schedule 18, 20, 22, 26 & 27) whereas as per information furnished by Investment Monitoring Cell (IMC), the cost of ETF investment is Rs. 43663.23 crore as on 31st March, 2018. This resulted into understatement of ETF investment by Rs. 2023.89 crore. Further, the market value of ETF investment is Rs. 47480.08 crore which was also not disclosed in Notes to Accounts.	A.2.4 A.2.4.1 (i) & (ii) The amortized value of investment and face value of investment will be shown separately in the disclosures of next financial year's Annual Accounts. A.2.4.2 The difference in amount is because of misclassification of securities. Over all amount of Investment Schedule matches with total amount of investment, shown in accounts. Difference of classification will be corrected in next Balance Sheet. As of now, the policy is to show the investment at the cost price, however, the gains and losses due to market price of securities held may be shown after notification of the accounting policy for ETFs.

A.2.5 Current Assets, Loans and Advances (Schedule 28) -Rs. 1154.03 crore An amount of Rs. 3.90 crore is receivable from CBEC and CBDT (CBEC: Rs. 1.87 crore and CBDT: Rs. 2.03 crore) for the period from September 2009 to September 2016 towards monthly electricity & water charges and maintenance of commonly shared services at HUDCO Vishala Building and the bill for the current year has not been raised by EPFO as the matter is under dispute. This fact should be disclosed in Notes to Accounts.	A.2.5 The matter has been taken up with the authorities of the electricity and water supply agencies for getting separate metre for EPFO. Till, then CBEC and CBDT have been asked to pay their share of dues to EPFO including previous dues. The matter is being pursued vigorously.
B. Income & Expenditure Account B.1 Income B.1.1 Interest income - Rs 30490.87 crore (Schedule 34) The above includes interest income of Rs 4.85 crore during the year on the amount of grant received by EPFO under PMRPY scheme which should have been shown as liability to the Government. Further, interest income of Rs 1.44 crore (difference in the opening balance of grant - Rs 166.58 crore as per UCs minus Rs 165.14 crore as per details provided by EPFO) earned during the previous year (2016-17) has also not been shown as liability to the Government. This has resulted in overstatement of interest income by Rs 4.85 crore and overstatement of EPS Contribution Fund (Schedule 6) by Rs 1.44 crore and understatement of current liabilities & provisions by Rs 6.29 crore.	B. B.1 B.1.1 The matter regarding amount of interest earned on Bank Account opened for grant received under PMRPY Scheme is under consideration before the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi. After, finalization of the issue, the amount of such interest shall be treated as per decision taken by Govt. of India. Regarding, differences shown in unspent balance (O.B & C.B.) it is clarified that utilization certificate in respect of EPS,1995 was issued on the basis of sanction letter of grant and contribution issued by Central Government. The details forwarded in utilization certificate does not include opening and closing balances in respect of EPS,1995. Interest amount of Rs. 7,925.69 crore pertains to interest earned on Government Contribution in EPS,1995, deposited in Public Account (as informed by Central Government). Utilization Certificates under PMRPY and PMPRPY were sent to Ministry of Labour & Employment on the basis of actual receipts in respective bank accounts and interest credited thereon.
C. Significant Accounting Policies (Schedule 44) C.1 Significant Accounting Policy No. 13 relating to addition/deletion of any head is in nature of disclosure and needs to be shifted under Schedule of Contingent Liabilities & Notes on Accounts.	C. C.1 Noted for compliance. The same will be shifted under Schedule of Contingent Liabilities & Notes on Account in the Current Financial Year.

C.2 Significant Accounting Policy No. 7.2 stating that interest on advances paid to staff will be equally distributed to the period of recovery irrespective of the recovery period of interest was not implemented by EPFO during 2017-18 as the orders were issued by EPFO in August 2018 for implementation henceforth.	C.2 Noted for future compliance.
C.3 Significant Accounting Policy No. 10.2 states that Leave encashment shall be treated as revenue expenditure of that year. This accounting policy is in contravention of Uniform format of Accounts and AS-15 which provides that the provision for the leave encashment on retirement should be made on the basis of actuarial valuation.	C.3 The leave encashment expenses are being treated as revenue expenditure of that year as per approved 'Common Format of Accounts & its Schedules' the Schedule 44: Significant Accounting Policies, the point 10.2 provide that 'Leave encashment paid during the year shall be treated as revenue expenditure of that year'
C.4 Significant Accounting Policy No. 3 on investment is incomplete as it does not disclose the policy for valuation and accounting of investment in interest bearing fixed –income instruments. The investments in interest bearing fixed –income instruments have been valued at amortized value should be disclosed in accounting policy,	C.4 The investment/Securities have been valued at amortized value as per the revised accounting policy for investments as approved by Central Board in its 178th meeting held on 27.01.2007.
C.5 EPFO has invested in Exchange Traded Funds (ETF) and disclosed the significant Accounting Policy (Policy no. 3 in schedule 44) for valuation of this investment. However, the valuation of the investment has not been done as per the disclosed policy. EPFO stated that accounting policy will require suitable amendment in the EPF Scheme, 1952 by Central Government.	C.5 Valuation as per the policy No.3 in Schedule No.44 is yet to be notified. Right now, the investments in ETFs are shown at the cost price.
C.6 EPFO had investment of Rs. 2024.75 crore in Bharat 22 ETF since August 2015, the market value of which is Rs. 1980.45 crore as on 31 st March 2018 indicating shortfall of Rs. 44.30 crore as on 31 st March 2018 which has not been disclosed in Notes to Accounts.	C.6 Value of investment in equity or like products is amenable to volatility in the market and keep on fluctuating on almost daily basis. Any negative difference of the cost and market price, therefore, cannot be termed as shortfall till the time investment is sold and losses are booked. The ensuing accounting policy for ETFs would consider such issues.
C.7 Significant Accounting Policy No. 10.1 states that liabilities on account of Staff Pension-Cum-Gratuity Fund are accounted for on actuarial basis at the year end and any deletion or addition to fund on account of actuarial valuation accounted for in the year of such addition or deletion. The EPFO has not conducted actuarial valuation for above fund since Nov. 2015. Further, the deficit amounting to Rs. 4854.37 crore (refer Notes to Accounts on Staff Pension-Cum-Gratuity Fund) on account of the above valuation done in Nov 2015 has not been accounted for in the accounts in violation of Accounting Policy no. 10(1).	C.7 That there was a net deficit of Rs.10,559.66 as per actuarial valuation (2014-15) of Pension cum Gratuity Fund Account. As per CBT approval the surplus revenue in A/c No.4 & 24 is being transferred to Pension Cum Gratuity Fund in order to make up the deficit. Total amount transferred till 31.03.2018 is being treated as expenditure of the respective year alongwith actual payments of Gratuity & Pension.

D. General																						
D.1	EPFO is operating Suspense accounts under the following heads:- <table><tr><th>S. No</th><th>Name of the Head</th><th>Amount classified under the head</th></tr><tr><td></td><td>Sundry Credits</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Suspense Account (Unclassified EPF) (Schedule 5)</td><td>96.25</td></tr><tr><td>2.</td><td>Suspense Accounts (Admn. Fund) (Schedule 15)</td><td>20.58</td></tr><tr><td></td><td>Sundry Debits</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Suspense Accounts (Unclassified EPF) (Schedule 19)</td><td>87.76</td></tr><tr><td>4.</td><td>Suspense Accounts (Admn. Fund) (Schedule 28)</td><td>22.76</td></tr></table> As per Para 10.6 Para VII under chapter 10 of the Manual of Accounting Procedure Part I of EPFO a statement showing the details of the balances shown under the "Unclassified Suspense" in both liabilities and assets side should be enclosed in the Balance Sheet every year indicating date of transaction, brief particulars, amounts, etc. Details required to be so specified were not included in the annual accounts.	S. No	Name of the Head	Amount classified under the head		Sundry Credits		1	Suspense Account (Unclassified EPF) (Schedule 5)	96.25	2.	Suspense Accounts (Admn. Fund) (Schedule 15)	20.58		Sundry Debits		3.	Suspense Accounts (Unclassified EPF) (Schedule 19)	87.76	4.	Suspense Accounts (Admn. Fund) (Schedule 28)	22.76
S. No	Name of the Head	Amount classified under the head																				
	Sundry Credits																					
1	Suspense Account (Unclassified EPF) (Schedule 5)	96.25																				
2.	Suspense Accounts (Admn. Fund) (Schedule 15)	20.58																				
	Sundry Debits																					
3.	Suspense Accounts (Unclassified EPF) (Schedule 19)	87.76																				
4.	Suspense Accounts (Admn. Fund) (Schedule 28)	22.76																				
D.2	Annual Valuation - As per paragraph 32 of Employees Pension Scheme, the Union Govt. is required to get annual valuation of Employees Pension Fund conducted by a valuer appointed by it. Valuation report for the year 2015-16 and 2016-17 is yet to be approved by the Ministry of Labour & Employment and valuation for the year 2017-18 is yet to be done.																					
E. Grants-in-aid	The Employees' Provident Fund Organization is mainly financed by receipts from the contributions and from the levy of administrative charges. No grants-in-aid were received by the organization from the Government of India during the year 2017-18. However, the Grant-in-Aid have been received from Central Government towards Minimum Pension of Rs.1,000 per month under EPS 1995, PMRPY and PMPRPY Schemes as detailed below: (i) EPFO had unspent balance of (-) Rs. 6663.67 crore (recoverable) under EPS 1995 scheme, received Rs. 5111.18 crore during the year 2017-18, It utilized Rs. 5757.42 crore during the year leaving unspent balance of (-) Rs. 7308.91 crore (recoverable) under the scheme.																					
D.	Regarding, its treatment, it is stated that amounts/transactions are properly accounted for, monitored and adjusted by the field offices regularly. These records are being maintained by Field Offices and may be verified / audited by the respective A.Gs. of their States.																					
D.1	The Annual valuation report for the year 2015-16 and 2016-17 has been received from the Actuary and yet to be approved by the MOL&E and valuation for the year 2017-18 is yet to be done.																					
E.	The entire expenditure of Employees' Provident Fund Organization is met from administrative and Inspection Charges, no Grant-in-Aid is received by EPFO from the Consolidated Fund of India by ways of budgetary support for administrative expenditure. However, the Grant-in-Aid have been received from Central Government towards Minimum Pension of Rs.1,000/- per month under EPS,1995, PMRPY and PMPRPY Schemes. Figures depicted at point No.(i), (ii) & (iii) have been shown in the Annual accounts in appropriate heads of Accounts.																					

- (ii) EPFO had unspent balance of Rs. 165.14 crore under PMRPY scheme, received Rs. 470.25 crore during the year 2017-18, utilized Rs. 491.31 crore during the year leaving unspent balance of Rs. 144.08 crore under the scheme.
- (iii) EPFO had unspent balance of Rs. 29.82 crore under PMRPY scheme, received Rs. 12.00 crore during the year 2017-18 and utilized Rs. 18.40 crore during the year leaving unspent balance of Rs. 23.42 crore under the scheme.

F. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report (on account of materiality) have been brought to the notice of the Central Provident Fund Commissioner, EPFO through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies & Notes on Accounts and other significant matters stated above and in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India,

a. in so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organization as at 31 March 2018; and

b. and in so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

F. Deficiencies pointed out by CAG have been noted and corrective actions are being taken separately.

For and on behalf of the C&AG of India

Sd/-

Place: New Delhi
Date: 23-07-2019

Director General of Audit
Central Expenditure

Annexure to the Separate Audit Report

Separate Audit Report (Annexure) – Observations	Comments of the Organisation
1. Adequacy of internal audit system - Out of the total 132 units, internal audit of 132 units were planned and audit of only 131 units completed. - Proper follow up action was not taken to get the objections settled as 12899 internal audit paras were outstanding as on 31.3.2018.	1. - One unit could not be audited due to merger of EPFAT into CGIT. - Proper follow up actions have been taken and being monitored through E. Sameeksha. Efforts are being made to close these paras.
2. Adequacy of Internal control system. - Sundry debits (Schedule 19) include cumulative balance of overpayments and irregular payments of Rs. 6.35crore and Rs. 5.88crore respectively as on 31st March 2018. Amount of overpayment has increased by Rs. 84 lakh over a period of one year, which indicates a serious system lapse and lack of adequate internal control - Regional Office Raipur could not confirm the details of other fixed assets of Rs 1.98 crore and security deposits of Rs.2.04 lakh. - The figures of the accounts consolidated by Zonal Office Bhopal and Zonal Office Patna were at mismatch with the accounts of the Regional Offices under their jurisdiction. - Variations between the figures of accounts and Budget Control Register in RO Nasik, RO Howrah, RO Behrampur, RO Chennai I&II and PUDNASS. - Variation between the figures of the Fixed assets shown in the accounts with those of the details in ZO Bhopal, RO Raipur, RO Indore, RO Chennai I & II and ZTI Kolkata - The Ledger Books are not properly maintained by ZTI Kolkata. In case of Ledger Books for the years 2017-18 on several occasions it was noticed that the figures were written and summed up in pencil and no authorized signature was put against the entries. As a result, the authentication and appropriateness of the entries could not be ascertained in audit. Besides, the entries were not according to the head divisions as shown in the accounts, resulting in difficulty in tracing the figures against each corresponding head.	2. - Instructions had been issued from time to time to all the field offices for recovery of such payments. Addl. Central Provident Fund Commissioner headed Committee has been formed to recover over payments and irregular payments - Regional Office, Raipur has been directed to produce the required records of fixed assets and security deposit at the time of next visit of Audit Team - The same will be reconciled and difference if any, will be adjusted in next financial year. - Regional Offices have clarified that these differences are due to some clerical & typographical mistakes in Budget Control Register and same will not be repeated in future. - The same will be reconciled and difference if any, will be adjusted in next financial year.. - The difference shown in various accounts has been rechecked and found correct. It appears that pre-revised Balance Sheet was put up before Audit Team inadvertently. The same may be verified by the Audit Team in their next visit.

Many ROs have furnished the pre-revised accounts for audit	ZOs/ROs have been instructed to furnish only final accounts for audit which have been adopted for the consolidation of EPFO accounts as a whole.
3. System of physical verification of Assets - The physical verification of fixed assets except Books & Publications and Vehicles of EPFO Hqrs. had been conducted on 3/12/2018. - The physical verification of Fixed Assets of Regional Offices of EPFO is not being conducted regularly (RO Dehradun, RO Patna and Zonal Office Faridabad in respect of all its Regional Offices).	3. - The committees have been constituted for regular physical verification of fixed assets in the respective offices. - The committees have been constituted for regular physical verification of fixed assets in the respective offices.
4. System of physical verification of inventory - Physical verification in respect of consumables and stationery has been conducted on 3/12/2018 in respect of EPFO Hqrs. - The physical verification of Inventories of Regional Offices of EPFO is not being conducted regularly (RO Dehradun, RO Patna and Zonal Office Faridabad in respect of all its Regional Offices).	4. - The committee has been constituted for regular verification of fixed assets - The committee has been constituted for regular verification of inventory
5. Regularity in payment of statutory dues. As per accounts, no payment over six month in respect of statutory dues was outstanding as on 31.3.2018.	5. No comments, being factual.

1. No reconciliation of differences between the amount of Banking section and Investment Section of EPFO for the year 2016-17 as tabulated below was done during the current year. <table border="1" data-bbox="338 1008 646 1691"> <thead> <tr> <th>Head of Accounts</th><th>Amount (in lakh)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Current Liabilities & Provisions (EPF) (Schedule 5) - Excess credit in EPF investment Account'</td><td>63.66</td></tr> <tr> <td>Current Liabilities and Provision (EPS) (Schedule 7) - Excess credit in EPS investment Account'</td><td>26.39</td></tr> <tr> <td>Current Liabilities and Provisions (EDLI) (Schedule 9) - Excess credit in EDLI investment Account'</td><td>40.85</td></tr> <tr> <td>Current Liabilities and Provisions (Schedule 15) Staff Pension-cum-Gratuity Fund - 'Excess credit in Pension-Cum-Gratuity Fund Investment Account'</td><td>5.13</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>136.03</td></tr> </tbody> </table>	Head of Accounts	Amount (in lakh)	Current Liabilities & Provisions (EPF) (Schedule 5) - Excess credit in EPF investment Account'	63.66	Current Liabilities and Provision (EPS) (Schedule 7) - Excess credit in EPS investment Account'	26.39	Current Liabilities and Provisions (EDLI) (Schedule 9) - Excess credit in EDLI investment Account'	40.85	Current Liabilities and Provisions (Schedule 15) Staff Pension-cum-Gratuity Fund - 'Excess credit in Pension-Cum-Gratuity Fund Investment Account'	5.13	Total	136.03	1. The same will be reconciled in the next financial year.
Head of Accounts	Amount (in lakh)												
Current Liabilities & Provisions (EPF) (Schedule 5) - Excess credit in EPF investment Account'	63.66												
Current Liabilities and Provision (EPS) (Schedule 7) - Excess credit in EPS investment Account'	26.39												
Current Liabilities and Provisions (EDLI) (Schedule 9) - Excess credit in EDLI investment Account'	40.85												
Current Liabilities and Provisions (Schedule 15) Staff Pension-cum-Gratuity Fund - 'Excess credit in Pension-Cum-Gratuity Fund Investment Account'	5.13												
Total	136.03												
2. Interest Account-EPF Contribution Fund (Schedule 4) - Rs. 27006.83 crore The above includes an amount of Rs. 270.08 crore under Investment Fluctuation account which has not been operated since 2006-07. A decision on the continuation of this non-operational account and consequent necessary accounting adjustment in the accounts needs to be taken.	2. The matter will be put up for consideration of CBT, EPFO.												
3. EDLI Contribution Fund Investments (Schedule 22) - Rs. 23591.54 crore The above include amount of Rs. 684.60 crore which has been received as interest on EDLI investment in Public Account for the year 2017-18 but the details of investment provided by Investment Section to audit does not includes this amount. This needs to be reconciled.	3. Since the information regarding booking of Rs. 684.60 crore as interest of EDLI money kept In public Account in respect of EDLI Scheme, 1976 has been received by section vide MoL&E letter no. G-20016/1/2018-SS-II dated 07-12-2018; the same will be shown in F.Y. 2018-19 by Investment Section.												
4. Fixed assets (Schedule 24) - Rs.408.37 crore (i) The above includes an amount of Rs. 2.70 crore, shown as deduction by Regional Office Kolkata for conversion from legacy system of accounts to Uniform format of accounts during 2016-17. However, the details of these deductions were neither provided to audit during 2016-17 nor in the current year (2017-18). As such audit could not verify these deductions.	4. (i) The details of 2.70 crore may be verified by the team of State A.G., at the time of next visit at Regional Office, Kolkata for Audit of Annual Accounts.												

(ii) Zonal Office Chandigarh (a) Capital work in progress of Rs. 6.74 crore has been shown under Advances to Agencies/Contractors by RO Jalandhar resulting in overstatement of Advances to Agencies/Contractors and understatement of Capital work in progress by Rs. 6.74 crore. (b) Capital Work-in progress of Rs.2.26 crore has been shown under Fixed Assets-Building by RO Jalandhar resulting in understatement of Capital work-in-progress and overstatement of Fixed Assets by Rs.2.26 crore. (c) Advances to Agencies/Contractors include an amount of Rs. 19.63 lakh (RO Ludhiana) on account of work of Boundary Wall at EPFO colony at SBS Nagar Ludhiana and an amount of Rs. 22.54 lakh on account of Installation of transformer (RO Chandigarh) The work has been completed on 19/9/2017 and 8/4/2016 respectively and therefore should have been shown under Fixed Assets-Building. This resulted in overstatement of Advances to Agencies/Contractors and understatement of Fixed Assets by Rs. 42.17 lakh. (iii) Capital Expenditure of Rs. 3.39 lakh has been booked in the account as revenue expenses by Regional Office Indore resulting in understatement of Fixed Assets & Capital Fund by Rs. 3.39 lakh	(ii) (a) The same will be adjusted in the Annual Accounts for the year 2018-19. (b) The same will be adjusted in the Annual Accounts for the year 2018-19. (c) The same will be adjusted in the Annual Accounts for the year 2018-19. (iii) The Depreciation difference due to calculation mistake will be adjusted in the next financial year.
5. Current Assets, Loans and Advances (Schedule 28) (i) Recoverable advances The above includes negative balances of Rs. 52.19 lakh (RO Tambaram: Rs. 41 lakh and RO Siliguri: Rs. 11.19 lakh. This needs to be rectified. (ii) Advances to agencies/contractor Advances to Agencies/Contractors include an amount of Rs. 12.72 lakh (RO Chandigarh) which has already been capitalized under office equipments in the year 2015-16. This resulted in overstatement of Advances to Agencies/Contractors by Rs. 12.72 lakh. (iii) Security Deposits Current Assets, Loan and Advances does not include Security Deposit of Rs. 9.09 lakh with Chhattisgarh State Power Company Ltd. (SCPDCL) Raipur (RO Raipur). This resulted in Understatement of Assets and Liabilities (Revenue Surplus) by Rs. 9.09 lakh.	5. (i) Negative Balances under the recoverable advances heads in the Balance Sheet for the year 2017-18, are being reconciled by concerned Regional Offices. (ii) The same will be adjusted in the Annual Accounts for the next financial year. (iii) The Security Deposit wrongly shown as revenue expenditure will be written back to 'Security Deposit' in the next financial year.

6. Expenditure - Rs 68270.92 crore The cost of amortization of investment during the current year amounting to Rs. 127.91 crore (Employees Provident Fund Rs. 61.67 crore, Employees' Pension Fund: Rs. 61.37 crore, Employees Deposit Linked Insurance Scheme: Rs. 2.46 crore, EPF Staff Provident Fund: Rs.0.40 crore and EPF Staff Pension cum Gratuity Fund: Rs. 2.01 crore) has been netted with the interest income from investments. This has resulted in understatement of interest income and expenditure by Rs. 127.91 crore.	6. Both the cost of amortization and interest were separately shown in the respective Receipt and Payment Accounts of Investment Section. However, the cost of amortizations was netted from income from interest in Income & Expenditure Account. It will be shown separately from the next year.
7. Depreciation (i) Depreciation amounting to Rs. 3.61 lakh has been charged on Freehold Land by Zonal Office Bhopal resulting in overstatement of depreciation and understatement of Fixed Assets by Rs. 3.61 lakh. (ii) As per EPFO Hqr. Letter No. BSC-12 (3) 2014-15 dated 24.06.16 depreciation on fixed assets should be provided on straight line method (SLM) at the rates specified under the companies act 2013 (as amended) where as it has been provided on written down value method as well as rate of depreciation have not been adopted as per ibid act by Regional Office Indore which needs rectification.	7. (i) The depreciation wrongly charged on free hold land will be written back in the next financial year. (ii) The Depreciation difference due to calculation mistake will be adjusted in the next financial year.
8. Other income - Rs 690.73 crore (Schedule 32) The above represents the interest income of Rs 1.08 crore on the amount of grant received by EPFO under PMPRPY scheme which should have been shown as liability to the Government. Further, interest income of Rs 0.14 crore (difference in the opening balance of grant - Rs 29.96 crore as per UCs minus Rs 29.82 crore as per details provided by EPFO) earned during the previous year (2016-17) has also not been shown as liability to the Government. This has resulted in overstatement of interest income by Rs 1.08 crore, overstatement of EPF Contribution Fund (Schedule 4) by Rs 0.14 crore and understatement of current liabilities & provisions by Rs 1.22 crore.	8. The matter regarding amount of interest earned on Bank Account opened for grant received under PMPRPY Scheme is under consideration before the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi. After, finalization of the issue, the amount of such interest shall be treated as per decision taken by Govt. of India. Regarding, differences shown in unspent balance (O.B & C.B.) it is clarified that utilization certificate in respect of EPS,1995 was issued on the basis of sanction letter of grant and contribution certificate by Central Government. The details forwarded in utilization certificate does not include opening and closing balances in respect of EPS,1995. Interest amount of Rs. 7,925.69 crore pertains to interest earned on Government Contribution in EPS,1995, deposited in Public Account (as informed by Central Government). Utilization Certificates under PMPRPY and PMPRPY were sent to Ministry of Labour & Employment on the basis of actual receipts in respective bank accounts and interest credited thereon.

9. Contingent Liabilities & Notes on Accounts (Schedule 45) (i) In the Sl. No. 4 of Annexure A to notes to accounts regarding investments and interest income in default, delayed period interest of Rs. 2.05 crore in respect of Bangalore Mahanagar Palike (BMP) has been shown in default whereas the same has been recovered. The Notes to Accounts needs to be rectified. (ii) The disclosure in Sl. No. 5 & 7 of Annexure A to notes to accounts is at variation with the records as detailed below.	<table><tr><th>Sl. No.</th><th>Name of investment</th><th>Principal in default per record provided)</th><th>Interest in default as per the records provided for the year 2017-18</th><th>Principal in default as per the position shown in Notes to Accounts for the year 2017-18</th><th>Interest in default as per notes to accounts for the year 2017-18</th><th>Difference in figures of Principal</th><th>Difference in figures of interest</th></tr><tr><td></td><td>Punjab Financial Corporation and M/s Punjab State Industrial Development Corporation Ltd.</td><td>1,11,70,000</td><td>89,46,071</td><td>1,07,20,000</td><td>40,55,959</td><td>4,50,000</td><td>48,90,112</td></tr></table>	Sl. No.	Name of investment	Principal in default per record provided)	Interest in default as per the records provided for the year 2017-18	Principal in default as per the position shown in Notes to Accounts for the year 2017-18	Interest in default as per notes to accounts for the year 2017-18	Difference in figures of Principal	Difference in figures of interest		Punjab Financial Corporation and M/s Punjab State Industrial Development Corporation Ltd.	1,11,70,000	89,46,071	1,07,20,000	40,55,959	4,50,000	48,90,112	This needs to be reconciled. (iii) Note to Account No.III (2 & 3) does not depict the amount assessed under realisable category.	10. Closing balances certificates were not provided for 50 out of 135 ROs. Further, BRS from 26 out of these 85 ROs were not furnished.	11. EPFO could not explain whether the interest due from defaulting entities as indicated at Notes to Account No. VII A (Annexure A) has been taken into accounts or not.	12. The Regional Offices of EPFO are not preparing their accounts in the Uniform Format. They are preparing their accounts in a specific format designed by EPFO Hqrs. which include five Receipts & Payments Accounts (EPF contribution Account (Account No. 1), EPF Administration Fund (Account No.2),EPS Account (Account No. 10), EDLI Contribution Account (Account No.21) and EDLI Administration Fund (Account No. 22)
Sl. No.	Name of investment	Principal in default per record provided)	Interest in default as per the records provided for the year 2017-18	Principal in default as per the position shown in Notes to Accounts for the year 2017-18	Interest in default as per notes to accounts for the year 2017-18	Difference in figures of Principal	Difference in figures of interest														
	Punjab Financial Corporation and M/s Punjab State Industrial Development Corporation Ltd.	1,11,70,000	89,46,071	1,07,20,000	40,55,959	4,50,000	48,90,112														
9. (i) The same will be rectified in the next Financial Year. (ii) The correct principal in default is Rs.1,11,70,000 and interest in default is Rs. 89,46,071. The same will be rectified in the next financial Year.						(iii) No Comments, being this is as per approved 'Common Format of Accounts & its Schedules'.	10. No, comments, being factual as these records are available with the respective Regional Offices/offices only. These records are being maintained by Field Offices and verified / audited by the respective A.Gs. of their States.	11. The figure of interest due on investment as mentioned in Notes to accounts No. VII A (Annexure A) is being reconciled and difference, if any, will be adjusted in the next financial year.	12. The Consolidated Annual Accounts from the year 2017-18 have been prepared in Common Format of Accounts. The Regional Offices/Units' have prepared Annual Accounts on accrual basis by using the legacy format of accounts. The accounts of Regional Offices												

and one Income &Expenditure (EPF Administration Account) and one Balance Sheet (combined for EPF Contribution Account and EPF Administration Fund Account). Regional Offices of the EPFO should prepare their accounts in the Uniform format in which the consolidated accounts of EPFO are being maintained. The ROs of EPFO did not maintain Head-wise ledger account of Receipts & Payments Accounts which is essential as per accounting principle. In absence of Head-wise Ledger Accounts, the figures exhibited in the Annual Accounts of ROs were verified only with reference to the consolidated monthly Receipts & Payments Accounts, Budget/Expenditure Control Register, Cash Book & Bank Statement. EPFO replied that the Consolidated Annual Accounts from the year 2017-18 have been prepared in Common Format of Accounts. The Regional Offices/Units' have prepared Annual Accounts on accrual basis by using the legacy format of accounts. The accounts of Regional Offices will also be prepared in Common Format of Accounts after implementation of Double Entry Accounting System and development of new accounting software. The timeframe for implementation of this may be intimated to audit.	will also be prepared in Common Format of Accounts after implementation of Double Entry Accounting System and development of new accounting software.																												
13. The closing balance of Fixed Assets shown in the accounts by Regional Offices were at variation with the details of Fixed Assets enclosed with the accounts as detailed below:- <table><tr><th colspan="4">Rs in crore</th></tr><tr><th>Name of RO/ZO</th><th>Amount as per Balance Sheet</th><th>Amount as per details of Fixed Assets furnished along with the accounts</th><th>Difference</th></tr><tr><td>Zonal Office Bhopal</td><td>23.01</td><td>22.54</td><td>0.47</td></tr><tr><td>Regional Office Raipur</td><td>4.99</td><td>5.04</td><td>(-) 0.05</td></tr><tr><td>Regional Office Indore</td><td>5.87</td><td>2.22</td><td>3.65</td></tr><tr><td>Regional Office Chennai</td><td>5.98</td><td>7.57</td><td>(-) 1.59</td></tr><tr><td>Zonal Training Institute Kolkata</td><td>4.41</td><td>4.49</td><td>(-) 0.08</td></tr></table> These need to be reconciled.	Rs in crore				Name of RO/ZO	Amount as per Balance Sheet	Amount as per details of Fixed Assets furnished along with the accounts	Difference	Zonal Office Bhopal	23.01	22.54	0.47	Regional Office Raipur	4.99	5.04	(-) 0.05	Regional Office Indore	5.87	2.22	3.65	Regional Office Chennai	5.98	7.57	(-) 1.59	Zonal Training Institute Kolkata	4.41	4.49	(-) 0.08	13. The difference is being reconciled and difference if any, will be adjusted in next year Annual Accounts.
Rs in crore																													
Name of RO/ZO	Amount as per Balance Sheet	Amount as per details of Fixed Assets furnished along with the accounts	Difference																										
Zonal Office Bhopal	23.01	22.54	0.47																										
Regional Office Raipur	4.99	5.04	(-) 0.05																										
Regional Office Indore	5.87	2.22	3.65																										
Regional Office Chennai	5.98	7.57	(-) 1.59																										
Zonal Training Institute Kolkata	4.41	4.49	(-) 0.08																										
14. Zonal Office Delhi &Uttarakhand As per para 6.9.1 of Manual of Accounting Procedures (General) the amount of contributions and other dues received by the branches of SBI every day should be remitted to SBI's concerned link bank on the same day. Any delay in transfer would adversely affect the fund and interest thereon. Further, the amount deposited with the	14. EPFO has moved to Centralised Receipt of statutory contributions in single collection Account in Multiple Banks, during December, 2016 in place of earlier system of receipt in decentralised Five Collection Accounts of all the Regional/S-Regional Offices. So, now the amount of contributions and other dues are not being received/ collected by the bank branches of Regional/S-Regional Offices. So, question for delay																												

bank is to be credited in the EPFO account within seven days from the date of presentation of challan by establishment. The delay in transfer of amount attracts interest of two percent over and above its savings rates.		in transfer does not arise. The amount of interest receivable on belated credits from bank for the past period of delay has not been taken in accounts due to dispute raised by bank on amount of recovery and approved accounting policy.	
Regional Office Delhi (North) and Regional Office Delhi (South) under Zonal Office Delhi &Uttarakhand has interest receivable on belated credits from bank of Rs.1,18,67,249 and Rs.4,92,76,733 respectively but the same not been taken into accounts. EPFO stated that interest receivable on belated credits is booked on realization basis as per present practice of cash based accounting. The amount realizable on this account should be disclosed in the Notes to Accounts.		15.	
15. Instances of Variations were noticed between the figures of the Zonal Offices and the figures of the Regional Offices under the Zonal offices as detailed below:-		(a) The difference is being reconciled and if there is any difference, the same will be adjusted in next year Annual Accounts.	
(a) Zonal Office Bhopal			
Differences were noticed between the figure of the accounts of the Zonal office and the figures in the accounts of the regional offices under Zonal Office as detailed below.			
Amount in Rs.			
Head of accounts	Amount as per accounts consolidated by Zonal Office	Amount as per the accounts of seven Regional Offices under ZO Bhopal	Difference
Addition of Fixed Assets during 2017-18	78,07,013	1,20,53,490	(-) 42,46,477
Freehold land as on 31/3/2018	1,67,70,045	1,08,86,950	58,83,095
Leasehold land as on 31/3/2018	1,28,64,353	54,46,679	74,17,674
Salaries			
Pay of Officers	9,42,91,843	9,15,14,643	27,27,200
Pay of Establishment	34,44,83,217	31,25,03,419	3,19,79,798
Dearness Allowance	2,24,61,830	2,05,45,800	19,16,030
Leave Encashment	2,81,17,639	2,80,87,050	30,589
Allowances & Honorarium			
City Compensatory Allowance	64,61,382	66,56,493	(-)1,95,111
Transport Allowance	1,30,94,006	1,10,78,036	20,15,970
House Rent Allowance	4,19,38,361	3,74,42,319	44,96,042
Other Allowances	2,64,36,383	2,53,30,715	11,05,668
Tuition Fee	61,22,510	57,97,824	3,24,686
Medical Assistance to Staff	85,40,245	82,14,245	3,26,000
TA and LTC			

Travelling Allowance	99,51,896	99,44,196	7,700
Leave Travel	41,60,694	40,36,494	1,24,200
Concession			
Expenditure incurred on Family Pension, Death cum Retirement transferred to Pension Fund	10,60,16,893	10,58,65,146	1,51,747
Other Charges	9,29,94,870	8,37,34,351	92,60,519
Grants for Welfare Activities	31,09,992	24,40,438	6,69,554

These differences need to be reconciled.

(b) Zonal Office Patna

(i) Differences were noticed between the figure of the accounts of the Zonal office and the figures in the accounts of the regional offices under Zonal Office as detailed below.

Amount in Rs.

Head of accounts	Amount as per accounts consolidated by Zonal Office	Amount as per the accounts of five Regional Offices under ZO Patna	Difference
Account No. 1			
Opening balance of Account No. 1	(-)5,67,76,45,985.45	(-)2,85,04,07,883.66	(-) 2827238101.79
Penal Damages	7,16,17,373.42	7,02,27,217.42	13,90,156
7Q interest	3,89,91,356.76	4,03,81,512.76	(-)13,90,156
Transfer of accounts of members	80,25,897	65,41,972	14,83,925
Account No.2			
Outstanding expenses	3,38,80,892	3,37,03,687	1,77,205
Excess of Income over Expenditure	2,09,49,429	2,13,41,753	(-)3,92,324
Total Assets/Liabilities as on 31/3/2018	52,88,53,19,342.72	40,38,14,40,176.72	12,50,38,79,165.80
Cost valuation at the beginning of the year of office building	1,81,30,056	1,80,21,988	1,08,068

These differences need to be reconciled.

16. Zonal Office Chandigarh

Time barred cheques amounting to Rs. 3.11 crore (RO Bhatinda: Rs. 2.85 crore, RO Ludhiana: Rs. 0.15 crore and RO Chandigarh: Rs. 0.11 crore) have not been written back in the accounts. This has resulted in understatement of Liabilities and understatement of Bank Balances by Rs.3.11 crore.

16.

The matter of time barred cheque is being taken up with bank authorities vigorously by the Regional Offices. Further, it is stated that till date no stale cheques are pending for clearance in respect of Regional Office, Chandigarh.

17. Regional Office Patna (i) Regional Office Patna did not create liability for expenses pertaining to the year 2017-18 amounting to Rs. 5.68 lakh as detailed below resulting in understatement of Current liabilities & Provisions and understatement of Expenditure by Rs. 5.68 lakh.	<table><tr><th>Sl. No.</th><th>Purpose for payment</th><th>Bill. No. & Date</th><th>Amount</th></tr><tr><td>1</td><td>Wages of Security guard for the month of march-2018</td><td>47/06.04.2018</td><td>1,94,887</td></tr><tr><td>2</td><td>Salaries/wages of 05 employees deployed from Beltron</td><td>62/09.04.2018</td><td>76,065</td></tr><tr><td>3</td><td>Wages of security guard deployed at Zonal office for the month of march-2018</td><td>103/20.04.2018</td><td>91,913</td></tr><tr><td>4</td><td>Salaries/wages of 04 employees deployed from Beltron to Zonal office</td><td>71/12.04.2018</td><td>56,841</td></tr><tr><td></td><td>Balance against the work: Repair & Renovation of Guest House RC-1 and RC-II Chamber visitor hall and toilet</td><td>Form-65 of February -18 submitted by CPWD</td><td>1,48,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total</td><td>5,67,706</td></tr></table> (ii) Advances of Rs. 8.50 lakh given to CPWD for repair and renovation of Toilet and back side of the Scooter Shed for the EPF office in Regional office Patna was booked in the accounts as expenditure without receipt of the expenditure report (Form 65) from CPWD. This resulted in Understatement of Current Asset and overstatement of Expenditure by Rs. 8.50 Lakh. (iii) As per the vouchers furnished in soft copy, it was noticed that R.O Patna incurred expenditure of Rs. 7,02,140 on office equipment but only Rs. 5,98,875.00 was depicted in details of fixed assets 2017-18. This needs to be reconciled.	Sl. No.	Purpose for payment	Bill. No. & Date	Amount	1	Wages of Security guard for the month of march-2018	47/06.04.2018	1,94,887	2	Salaries/wages of 05 employees deployed from Beltron	62/09.04.2018	76,065	3	Wages of security guard deployed at Zonal office for the month of march-2018	103/20.04.2018	91,913	4	Salaries/wages of 04 employees deployed from Beltron to Zonal office	71/12.04.2018	56,841		Balance against the work: Repair & Renovation of Guest House RC-1 and RC-II Chamber visitor hall and toilet	Form-65 of February -18 submitted by CPWD	1,48,000			Total	5,67,706	17. (i) The shown bills were received/approved after compilation of Annual Accounts for the year 2017-18 by Regional Office, Patna. The same will be adjusted in the Annual Accounts in the next financial year. (ii) The CPWD has already submitted the Form-65 for the period upto 28-02-2018 on 27-03-2018. Therefore, the amount of Rs.8.5 lakh has been correctly shown as expenditure. (iii) The difference will be adjusted in the Annual Accounts in the next financial year.
Sl. No.	Purpose for payment	Bill. No. & Date	Amount																											
1	Wages of Security guard for the month of march-2018	47/06.04.2018	1,94,887																											
2	Salaries/wages of 05 employees deployed from Beltron	62/09.04.2018	76,065																											
3	Wages of security guard deployed at Zonal office for the month of march-2018	103/20.04.2018	91,913																											
4	Salaries/wages of 04 employees deployed from Beltron to Zonal office	71/12.04.2018	56,841																											
	Balance against the work: Repair & Renovation of Guest House RC-1 and RC-II Chamber visitor hall and toilet	Form-65 of February -18 submitted by CPWD	1,48,000																											
		Total	5,67,706																											
18. Regional Office Sagar In the Receipts and Payment Accounts of EPF (Account No. 1) the opening balance was taken as(-)Rs. 14.55 crore instead of (-)Rs. 13.46 crore. This resulted in understatement of Receipts and Closing Balance by Rs. 1.09 crore. EPFO replied that the Regional Office, Sagar has reported that a mistake of balancing of Rs.1.09 crore occurred in classified summary of account 1 of January, 2017, which came in the notice after submission of their Annual Accounts for 2016-17. The same has been rectified in Annual Accounts of 2017-18.	18. The reason of difference is being analysed. Difference, if any will be adjusted accordingly in appropriate head.																													

19. Discrepancies were noticed between the figures of accounts and the basic records maintained by ROs in the following cases as detailed below:-

(a) Regional Office Behrampore

The checking of Receipts & Payments Accounts and Budget Register for the financial year 2017-18 revealed that there were discrepancies under different heads as depicted below:

Head	Amount as per Receipts & Payments Account (Rs.)	Amount as per Budget Register (Rs.)	Difference
Salaries	5,09,24,577	5,21,84,480	12,59,903
Other Allowance	91,05,110	91,78,803	73,693
Travelling Allowance	8,71,550	9,34,980	63,430
LTC	4,30,604	4,31,611	1,007
Office Rent, Rate and Taxes	28,22,861	27,50,649	(-) 72,212
Telephone Expenses	1,74,382	1,75,900	1,518
Legal Charges	2,16,476	1,44,406	(-) 72,070
Conveyance Hire	3,24,787	3,98,377	73,590
Miscellaneous Office Expenses	3,74,834	3,75,284	450

The above discrepancy needs to be reconciled.

(b) Regional Office Chennai I and Chennai II

Differences were noticed between the figures of Accounts & Budget Control Register as detailed below:-

Sl. No.	Particulars	Amount as per Budget Control Register (Rs.)	Amount as shown in the Annual accounts (Rs.)	Difference (Rs.)
1.	Pay of Establishments	25,98,66,833	28,32,04,603	-2,33,37,770
2.	Dearness Allowances	1,31,87,108	1,42,71,107	-10,83,999
3.	Leave Encashment	76,46,299	76,26,979	19,320
4.	Productively Linked Bonus	66,03,406	65,89,590	13,816
5.	Medical Assistances	1,44,72,697	1,54,11,108	-9,38,411
6.	Honorarium	43,100	70,100	-27,000
7.	Other Allowance	6,44,08,649	7,03,36,936	-59,28,287
8.	Leave Travel Concession	29,44,148	48,97,817	-19,53,669
9.	Travelling Allowance	5,03,103	28,91,326	-23,88,223
10.	Expenditure incurred Pension, Family Pension, Death Cum Retirement transferred to Pension Fund	2,79,79,485	2,82,60,983	-2,81,498
11.	Rent Rates and Taxes	35,86,547	38,50,547	-2,64,000
12.	Electricity Charges & Water	87,83,197	86,75,155	1,08,042

19.

(a) The expenses booked under Receipt & Payment Account are correct. The reason of difference is recovery of some payments not reflected in Budget Register, clerical mistakes in posting of Budget Register's Heads etc. The Regional Office is being instructed to be more careful in future.

(b) The difference reported between the amount shown in annual accounts and amount as per the budget control register has been reconciled. Against the heads 'pay of establishments,' 'DA' and 'other allowances,' it is submitted that the expenditure during the month of March which is to be actually incurred during 1st of April of the next financial year was shown under the budget head details of outstanding expenses under the head 'salaries'. Actually the amount was not payable as on 31st of March and have been booked on accrual basis in the annual accounts for the year 2017-18. This is the reason why the difference in the amount as per the budget control register and the amount as per the annual accounts has occurred in the above heads. In the other heads, the minor differences between the amount as per the budget control and the amount as shown in the annual accounts is due to the fact that remittances received back have not been accounted in the budget control register whereas the same has been correctly reported in the annual accounts. All respective heads have now been reconciled and the respective entries have been added in the

Charges				
13. Furniture and Fixtures	6,81,984	6,71,610	10,374	
14. Postage	18,72,570	18,72,070	500	
15. Legal Charges	80,996	27,905	53,091	
16. Board Share towards NPS	97,08,605	93,78,604	3,30,001	
17. Miscellaneous Office Expenses	11,25,726	10,48,070	77,656	
18. Petty Works	59,02,436	56,10,438	2,91,998	
19. Sports Activities	8,06,883	9,45,688	-1,38,805	
20. Welfare Activities	4,66,470	13,96,470	-9,30,000	
Total			-3,63,66,864	

These differences needs to be reconciled.

(c) Regional Office Nasik

Differences were noticed between the figures of Accounts (EPF Admn. Account Account 2) & Budget Control Register as detailed below:-

Head of Accounts	Expenditure as per Register(Rs.)	Expenditure as per R&P Account (Rs.)	Difference (Rs.)
Leave Encashment	6,67,895	6,49,695	18,200
Travelling Allowance	14,91,253	15,51,826	60,573
LTC	6,45,213	6,25,696	19,517
Electricity Charges & Water Charges	1,62,153	16,13,924	14,51,771
Legal Charges	5,84,397	6,03,352	18,955

(d) Regional Office Howrah

Differences were noticed between the figures of Accounts (EPF Admn. Account Account 2) & Budget Control Register as detailed below:-

Head of Account	As per Budget/ Expenditure Control Register (Rs.)	As per Receipts and Payments Account (Rs.)	Difference (Rs.)
Dearness Allowances	43,93,617	43,97,188	(3571)
Other Allowance	2,80,88,511	2,85,67,214	(478703)
Travelling Allowances	6,87,747	6,87,613	134
LTC	11,60,607	11,57,253	3354
Electricity & Water Charges	6,73,271	6,64,449	8822
Furniture & Fixture	1,47,339	2,43,927	(96588)
Minor Works	2,25,494	2,37,426	(11932)
Postage	6,22,470	6,18,340	4130
Rent, Rates & Taxes	16,03,077	16,10,569	(7492)
Office Equipment	30,776	13,486	17290
Miscellaneous Office Expenditure	5,03,285	4,93,585	9701
Information Technology	7,35,576	7,56,996	(21420)

These needs to be reconciled.

budget control register. Hence the budget control register is now reconciled with the annual accounts.

(c) Regional Office, Nasik has clarified that these differences are due to some clerical & typographical mistakes in Budget Control Register and same will not be repeated in future.

(d) These differences are due to some clerical & typographical mistakes in Budget Control Register and same will not be repeated in future.

(e) **Regional Office Siliguri**

Checking of accounts revealed the following discrepancies between the figures of ledger head and accounts heads and the basic record:

Amount in Rs.

Receipt Side		As per record	As per accounts	As per basic	Difference
Head of Accounts					
Interest on HBA		2,22,598	2,21,546		1,052
Recover of Licence Fees		62,924	63,884		960
Guest House Receipts		1225	17,325		16,100
Misc. Receipts		40	1,57,287		1,57,247
Recovery of HBA		57,979	74,423		16,444
Securities received from Parties		5500	15500		10000
Payment Side					
Misc. Office Expenses		4,88,682	4,87,994		688
Closing Balance		(-)1606906	(-)206288		1400618
Capital Expenditure on Assets.		Nil	15,26,000		15,28,000

The above discrepancies need to be reconciled.

(f) **Pandit Deen Dayal Upadhyaya National Academy of Social Security (PDUNASS) Janakpuri, New Delhi**

Figures appearing in the Budget Control Register is not tallying with the figures shown in the Receipts and Payments account of PDUNASS

Sl. No.	Head of Account	Figure as per BCR	Figure as per Account	Difference
1.	Leave Encashment	1,67,473	1,68,020	547
2.	Travelling Allowance	7,55,908	10,06,066	2,50,158
3.	LTC	3,22,198	2,85,962	36,236
4.	Staff Paid from Contingencies	71,90,645	72,35,692	45,047
5.	Fixture & Furniture	8,43,768	1,41,991	7,01,777
6.	Printing & Binding	1,61,316	1,76,121	14,805
7.	Bank Commission	4,000	3,717	283
8.	Conveyance Hire	17,19,952	14,90,918	2,29,034
9.	Stationery & Store	5,01,302	4,86,323	14,979
10.	Office Equipment	1,71,834	16,005	1,55,829
11.	Miscellaneous of office expenditure	52,18,828	54,24,336	2,05,508
12.	Books & Journals	1,52,818	1,59,922	7104
13.	Training Meetings & Conference	77,49,567	33,45,450	44,04,117
14.	Board Share Towards NPS	85,009	1,40,059	55,050

(e) The amount shown in 'as per ledger' was taken from unapproved records. The amount shown in 'as per accounts' is posted in final Balance Sheet taken from actual VDR receipts.

(f) The difference in figures of BCR and figures of Accounts are different due to adjustment of previous year(s) in figures of Accounts and budget transferred by PDUNASS to ZTIs, entered in BCR. Observation regarding, Closure of BCR at the end of financial year is noted for future compliance.

These figures need to be reconciled.

It is also seen that Budget Control Register is not closed at the end of the year under the signature of competent authority. On several occasions it was noticed that the figures were written and summed up in pencil and authorized signature was not put against these entries. As a result, the authentication and appropriateness of the entries could not be ascertained in audit.

(g) Zonal Training Institute Kolkata

The following differences were noticed between the figures of accounts and Ledgers which needs to be reconciled.

Head of Accounts	Figure as per Receipts & Payments Accounts	Figure as per Ledgers	Difference
Salaries	89,48,538	88,32,309	1,16,229
Dearness Allowance	4,63,052	3,22,814	1,40,238
Children Education Allowance	63,000	Nil	
House Rent Allowance	13,94,254	Nil	
Transport Allowance	7,90,956	Nil	
Travelling Allowance	2,01,971	2,01,521	450
Forms & Stationery	2,74,046	Nil	2,74,046

(g) The difference shown in various accounts has been rechecked and found correct. It appears that pre-revised Balance Sheet was put up before Audit Team inadvertently. The same may be verified by the Audit Team in their next visit.

20. Regional Office Tambaran

(i). It was noticed from the Cash Book and BRS that there were Closing Balances of Rs. (-) 72,02,922 and Rs. (-) 2,29,86,681 in Account No. 1 and 10 respectively whereas in the Receipt and Payment account it was mentioned as Rs. (-) 60,58,100 and Rs. (-) 2,25,61,163 respectively. The difference of Rs. 11,44,822 and Rs. 4,25,518 in the closing balance of Account No. 1 and 10 respectively needs to be clarified/reconciled.

EPFO replied that the difference arose due to non reconciliation of challans and the necessary adjustment in the records will be done.

20.

(i) This arises due to non-reconciliation of challans in respect of account number 1 for the months as detailed below: -

Month	Amount received in bank statement but not in log-in	Amount received in Log-in not but in bank statement	Difference
11/2015	4052	0	4052
12/2015	23972	0	23972
02/2016	10526	0	10526
11/2016	16253	0	16253
12/2016	1115676	0	1115676
12/2016	1109	0	1109
04/2016	0	26766	-26766
		TOTAL	1144822

This arises due to non-reconciliation of Challan in respect of account number X for the months as detailed below: -

Month	Amount received in bank statement not in log-in	Amount received in Log-in not in bank statement	Difference
11/2015	2154	0	2154
12/2015	12748	0	12748
02/2016	5597	0	5597
11/2016	8467	0	8467
12/2016	513275	0	513275
08/2016	0	102505	-102505
10/2016	0	14218	-14218
		TOTAL	425518

As the col.no(ii) was not accounted in cashbook, whereas the same was accounted in Balance sheet due to which the difference in Cashbook arises. As the same is already adjusted in Balance sheet we will adjust the records as per the Balance sheet in order to tally the Opening Balance of the Cash book with Opening Balance of Balance sheet for 2018-19.

(ii) With reference to the point No. (iii), the difference of 1.91 crore in the inoperative accounts as on 31.03.2018 is being examined and after thorough verification of records, the difference will be rectified in the Balance Sheet for 2018-19.

(ii) As per the accounts the closing balance of inoperative accounts as on 31.03.2018 in respect of Regional Office Tambaran was Rs. 1075.58 crore whereas an amount of Rs. 1073.67 crore was shown as closing balance in the 'Summary of Inoperative Accounts' for the year ended 31st March 2018. The difference of Rs. 1.91 crore has not been reconciled.

21. Zonal Training Institute Kolkata

Capital Expenditure of Rs. 11.39 lakh (Furniture & Fixture: Rs. 2,97,440, Office Equipments: Rs. 25,332, Books & Journals for Library: Rs. 61,254, Staff Car : Rs. 6,64,130 and Computer Hardware : Rs. 90400) has been booked in the accounts as revenue expenditure resulting in understatement of both Fixed Assets and Capital Fund by Rs. 11.39 lakh.

21.

The transactions shown in audit para have been booked as per Accounting Policy circulated by EPFO, Head Office vide their letter dated 24-06-2016. The same reply was also given to Audit Team and may be verified by the Audit Party in their next visit.

EPFO replied that the transactions shown in audit para have been booked as per

Accounting Policy circulated by EPFO, Head Office vide their letter dated 24-06-2016 which states that items having value less than Rs.5,000 and/ or useful life less than one year are treated as revenue expenditure. This will be verified at the time of next audit.	22. Zonal Office Hubli, Regional Office Gulbarga and Regional Office Mangalore did not submit the accounts to respective audit office for audit in the absence of which these accounts could not be verified. The ZOs/ROs may be instructed to submit the accounts to respective field office on time.		22. The Regional Office, Mangaluru has submitted their Annual Accounts for the year 2017-18 to Indian Audit & Accounts Department, Bengaluru vide their letter dated 28-01-2019. The Zonal Office, Hubli has submitted their Annual Accounts for the year 2017-18 for all offices of the Zone including Regional Office, Gulbarga, to Indian Audit & Accounts Department, Bengaluru vide their letter dated 01-05-2019.
23. Regional Office Hyderabad Time barred cheques amounting to Rs. 16.45 crore (EPF contribution account: Rs. 0.29 crore and EPS account: Rs. 16.16 crore) have not been written back resulting in understatement of Bank Balances and Liabilities by Rs. 16.45 crore.	23. Being reconciled and necessary adjustment in accounts will be made after reconciliation.	24. ZOs/ROs have been instructed to furnish only final accounts for audit which have been adopted for the consolidation of EPFO accounts as a whole.	25. Rectified/adjusted in the Annual Accounts for the year 2018-19
24. It has been observed that Many ROs have furnished the pre-revised accounts for audit and therefore the audit observations have been made on these pre-revised accounts. ZOs/ROs may be instructed to furnish only final accounts for audit which have been adopted for the consolidation of EPFO accounts as a whole.	25. Regional Office Jaipur Irregular payment of EPF contribution of Rs. 16.16 lakh has not been taken into account.		

वर्ष 2017-2018 के समेकित वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्यालय
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110 066

विषय - सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ
1.	समेकित वार्षिक लेखे (सामान्य प्रारूप)	67
2.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	115
3.	लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र	124
4.	प्रबन्धन पत्र	127

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2018 तक समेकित तुलनपत्र			
			राशि - रुपये में
	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूजी निधि एवं देयताएं			
<i>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</i>			
क.भ.नि. अंशदान निधि- सदस्यों के खाते			
सदस्यों के सक्रिय खाते	1	50,07,09,23,69,582.36	43,11,15,25,20,655.86
सदस्यों के निष्क्रिय खाते	2	5,46,57,86,67,858.45	4,50,93,41,44,840.45
आरक्षित एवं अधिशेष			
विशेष आरक्षित निधि	3	3,44,44,58,771.67	3,17,32,55,700.95
ब्याज खाता- क.भ.नि. अंशदान निधि	4	2,70,06,83,12,307.99	2,05,53,02,52,035.90
निवेश अस्थिरता खाता		2,70,07,98,358.13	2,70,07,98,358.13
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	5	5,55,71,80,20,715.25	4,29,50,04,02,127.53
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		63,85,60,26,27,593.85	54,02,99,13,73,718.82
<i>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995</i>			
क.प.यो. अंशदान निधि	6	39,31,13,04,38,910.28	33,68,45,31,58,636.61
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	7	4,91,35,98,188.96	7,70,95,83,026.59
उप जोड़ - पेंशन निधि		39,36,04,40,37,099.24	33,76,16,27,41,663.20
<i>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</i>			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि	8	2,40,29,23,24,184.92	2,09,35,93,99,381.99
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	9	16,13,24,235.68	28,93,99,697.55
उप जोड़ - क.नि.स.बी. अंशदान निधि		2,40,45,36,48,420.60	2,09,64,87,99,079.54
<i>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</i>			
क.भ.नि. -प्रशासन निधि	10	2,22,84,72,51,258.00	2,08,02,35,07,055.80
आरक्षित एवं अधिशेष			
स्टाफ भविष्य निधि - ब्याज खाता	11	2,29,91,52,655.91	1,69,51,95,614.33
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि			
भवन निर्माण निधि	12	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
स्टाफ भविष्य निधि लेखा	13	10,77,69,45,963.80	10,23,85,85,201.80
स्टाफ पेंशन सह: उपदान लेखा	14	66,88,99,82,403.82	44,80,24,38,855.29
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	15	3,35,86,15,490.05	2,09,40,98,957.86
उप जोड़- क.भ.नि. प्रशासन निधि		3,15,04,44,89,668.62	2,75,72,63,67,582.13
<i>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</i>			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि	16	29,06,38,78,672.78	26,71,07,88,240.48
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	17	49,32,31,588.47	43,83,66,194.45
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		29,55,71,10,261.25	27,14,91,54,434.93
कुल जोड़		1,09,06,70,19,13,043.60	92,91,67,84,36,478.62

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2018 तक समीकित तुलनपत्र			
			राशि - रुपये में
परिसंपत्तियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u>			
क.भ.नि. अंशदान निधि - निवेश	18	62,45,14,65,10,480.52	53,08,52,08,87,524.59
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	19	1,40,45,61,17,113.33	94,47,04,86,194.23
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		63,85,60,26,27,593.85	54,02,99,13,73,718.82
<u>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995</u>			
क.प.यो. अंशदान निधि - निवेश	20	37,76,74,37,18,923.40	32,64,19,41,43,431.61
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	21	1,59,30,03,18,175.84	1,11,96,85,98,231.59
उप जोड़ - पेंशन निधि		39,36,04,40,37,099.24	33,76,16,27,41,663.20
<u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u>			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि - निवेश	22	2,35,91,54,14,156.47	2,07,50,19,68,196.72
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	23	4,53,82,34,264.13	2,14,68,30,882.82
उप जोड़ - क.नि.स.बी. अंशदान निधि		2,40,45,36,48,420.60	2,09,64,87,99,079.54
<u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u>			
अचल परिसंपत्तियां	24	4,08,36,52,051.42	4,06,36,91,101.01
पूँजी कार्य प्रगति में		17,44,85,209.40	8,76,23,98,511.53
क.प्र.नि. प्रशासन निधि - निवेश	25	2,18,10,85,09,245.10	2,02,51,99,32,086.37
स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	26	15,62,80,13,290.03	14,12,08,67,904.72
पेंशन - सह - ग्रेजुएट निधि - निवेश	27	65,50,94,88,346.93	44,34,75,48,230.33
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	28	11,54,03,41,525.74	1,91,19,29,748.17
उप जोड़ - क.प्र.नि. प्रशासन निधि		3,15,04,44,89,668.62	2,75,72,63,67,582.13
<u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u>			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि - निवेश	29	28,13,94,12,147.16	26,11,10,87,221.30
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	30	1,41,76,98,114.09	1,03,80,67,213.63
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		29,55,71,10,261.25	27,14,91,54,434.93
कुल जोड़		1,09,06,70,19,13,043.60	92,91,67,84,36,478.62

ह०
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०
(सुनील बड़थवाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		
अनुसूची संख्या 1		
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के सक्रिय खाते		
प्रारंभिक शेष	43,11,15,25,20,655.86	36,02,75,59,19,659.11
जोड़े :		
1. प्राप्त अंशदान (ऋण/प्रत्याहरण की वापसी और अंतरित प्रतिभूतियां)	9,32,23,41,68,766.00	8,06,80,00,60,563.10
2. प्रतिभूतियों के अंतरण से प्राप्त अंशदान (मुख्यालय कान्द्रा.)	1,23,29,52,212.33	6,09,36,81,030.23
3. सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	3,40,01,34,18,257.00	3,16,21,71,39,826.18
4. वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	0.00	0.00
5. अन्य प्राप्तियां	49,74,58,40,181.42	60,05,68,37,458.17
6. पिछली जमाएं (बैंक अंतरण) (खाता संख्या 1)	1,22,01,82,789.14	0.00
जोड़	56,35,59,90,82,861.75	47,91,92,36,38,536.79
घटाएं :		
1. छोड़कर जाने वाले सदस्यों को अंतिम निपटान पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	3,47,00,63,68,335.61	2,64,87,45,41,490.21
2. सदस्यों के जीवन बीमा पॉलिसी पर अदा प्रीमियम	14,05,92,640.00	13,98,85,127.00
3. सदस्यों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याहरण/ऋण	1,22,35,22,33,580.00	63,65,56,35,523.00
4. वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	1,31,83,01,69,148.00	94,75,18,72,000.72
5. प्रतिभूतियों की विविध भुगतान राशि छूट प्राप्त स्थापनाओं में वापिस अंतरित	27,17,73,49,575.78	57,34,91,83,740.00
जोड़	6,28,50,67,13,279.39	4,80,77,11,17,880.93
31 मार्च को शेष	50,07,09,23,69,582.36	43,11,15,25,20,655.86
अनुसूची संख्या 2		
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के निष्क्रिय खाते		
प्रारंभिक शेष	4,50,93,41,44,840.45	4,08,65,13,81,748.73
जोड़े :		
1. वर्ष के दौरान सक्रिय खाते से अंतरित राशि	1,31,83,01,69,148.00	94,75,18,72,000.72
2. सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	0.00	0.00
जोड़	5,82,76,43,13,988.45	5,03,40,32,53,749.45
घटाएं :		
1. वर्ष के दौरान सक्रिय सदस्यों के खाते में अंतरित राशि	0.00	0.00
2. निपटान पर सदस्यों पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	36,18,56,46,130.00	52,46,91,08,909.00
जोड़	36,18,56,46,130.00	52,46,91,08,909.00
31 मार्च को शेष	5,46,57,86,67,858.45	4,50,93,41,44,840.45
अनुसूची संख्या -3		
विशेष आरक्षित निधि :		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	3,17,32,55,700.95	2,92,06,22,776.30
जोड़े :		
1. नियोक्ताओं से वसूल की गई राशि	0.00	0.00
2. एस.आर.एफ. खाते पर ब्याज	27,13,13,362.43	25,26,33,870.15
जोड़	3,44,45,69,063.38	3,17,32,56,646.45
घटाएं :		
1. विशेष आरक्षित निधि से भुगतान की गई राशि	1,10,291.71	945.50
2. मृत्यु राहत कोष में अंतरित राशि	0.00	0.00
जोड़	1,10,291.71	945.50
31 मार्च को शेष	3,44,44,58,771.67	3,17,32,55,700.95

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
अनुसूची संख्या - 4			
ब्याज खाता-क.भ.नि. अंशदान निधि			
	प्रारम्भिक शेष	2,05,53,02,52,035.90	2,09,42,62,87,218.58
जोड़े :			
1.	क.भ.नि. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते में अरोपित व्यय से अधिक आय	64,53,80,60,272.09	-3,89,60,35,182.68
	31 मार्च को शेष	2,70,06,83,12,307.99	2,05,53,02,52,035.90
अनुसूची संख्या - 5 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
I - वर्तमान देयताएं			
1	टीडीएस देय -दावा निपटान पर कटौती	20,83,99,123.00	9,69,44,699.00
2	विविध क्रेडिट :		
	अ. क्षेत्रीय:		
क	उचित खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	96,24,54,812.81	70,36,16,853.78
ख	अनियमित भुगतान	5,88,22,330.22	5,83,80,282.22
ग	अधिक भुगतान	6,35,12,425.91	5,51,37,323.42
	ब. केन्द्रीय :		
क	खाता संख्या 1 में जमा राशि (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) परंतु खाता संख्या 5 में नामे नहीं हुई (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
ख	खाता संख्या 5 में अतिरिक्त जमा (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	1,40,85,57,910.55	1,52,06,99,598.99
ग	क.भ.नि. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	-63,66,142.99	-63,66,142.99
घ	अशक्तता योजना के लिए सरकार से अग्रिम	50,52,729.00	0.00
3	रोकड़ बही में शेष : (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	10541188060	9,48,28,16,000.29
	खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	4,73,72,44,211.19	0.00
4	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	18,10,01,78,798.43	12,03,25,41,953.71
II - प्रावधान			
अ	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान	4,60,16,34,00,000.00	3,91,97,93,00,000.00
ब	पिछले वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान	77,45,44,41,916.82	25,48,85,60,173.82
	जोड़	5,37,61,78,41,916.82	4,17,46,78,60,173.82
	31 मार्च को शेष	5,55,71,80,20,715.25	4,29,50,04,02,127.53
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
अनुसूची संख्या 6			
क.पें.यो. अंशदान निधि			
	प्रारम्भिक शेष	33,68,45,31,58,636.61	28,94,64,23,01,542.46
जोड़े :			
	क.पें.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते में अरोपित व्यय से अधिक आय	5,62,67,72,80,273.67	4,73,81,08,57,094.15
	31 मार्च को शेष	39,31,13,04,38,910.28	33,68,45,31,58,636.61
अनुसूची संख्या 7 - (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
विविध क्रेडिट :			
1.	खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	32,84,22,195.63	34,22,44,954.69
2.	खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	2,05,74,24,477.84	2,26,80,08,602.84
3.	क.पें.यो. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	-26,39,271.78	-26,39,271.78
	रोकड़ बही में शेष		
4	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	0.00	3,60,91,68,729.03
5.	खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	2,53,03,90,787.27	1,49,28,00,011.81
	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	4,91,35,98,188.96	7,70,95,83,026.59

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
अनुसूची संख्या 8			
	क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि		
	प्रारंभिक शेष	2,09,35,93,99,381.99	1,83,82,22,47,814.35
जोड़ :	क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अंग्रेषित व्यय से अधिक आय	30,93,29,24,802.93	25,53,71,51,567.64
	31 मार्च को शेष	2,40,29,23,24,184.92	2,09,35,93,99,381.99
अनुसूची संख्या 9- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट :			
1.	खाता संख्या 21 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	3,86,63,800.59	3,84,17,259.84
2.	खाता संख्या 25 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	9,60,91,369.21	9,60,91,369.21
3.	भारतीय रिजर्व बैंक खाते में अतिरिक्त जमा	13,44,061.55	13,44,061.55
4.	क.नि.स.बी.यो. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	-40,84,516.66	-40,84,516.66
5.	क.नि.स.बी.यो. प्रशासनिक खाते में देय राशि	2,93,09,520.99	2,93,09,520.99
6.	रोकड़ बही में शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 21 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	0.00	12,83,22,002.62
	खाता संख्या 25 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	0.00	0.00
	भारतीय स्टेट बैंक में शेष	0.00	0.00
7.	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	16,13,24,235.68	28,93,99,697.55
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952- प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या 10			
	क.भ.नि.- प्रशासन निधि		
	प्रारंभिक शेष	2,08,02,35,07,055.80	1,89,39,35,35,485.33
जोड़:	1. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	1,33,032.56	7,94,94,165.07
	2. क.भ.नि. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से अंतरित की गई वर्ष के दौरान व्यय से अधिक आय	14,85,07,04,285.56	18,54,99,51,739.40
	3. अन्य	0.00	0.00
	जोड़	2,22,87,43,44,373.93	2,08,02,29,81,389.80
घटाएं			
1.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	2,70,93,115.93	-5,25,666.00
2.	क.भ.नि. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से अंतरित की गई वर्ष के दौरान आय से अधिक व्यय	0.00	0.00
3.	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	2,70,93,115.93	-5,25,666.00
	31 मार्च को शेष	2,22,84,72,51,258.00	2,08,02,35,07,055.80

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
अनुसूची संख्या 11			
स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता			
प्रारंभिक शेष		1,69,51,95,614.33	1,47,83,55,239.14
जोड़ें:			
1.	प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	1,00,53,69,310.25	79,44,78,831.97
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	39,54,83,108.36	20,45,98,905.07
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
4	बचत खाता पर ब्याज	46,380.00	43,688.50
5	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
जोड़		3,09,60,94,412.94	2,47,74,76,664.68
घटाएं			
1.	सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	78,16,42,811.00	77,81,67,948.00
2.	निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	1,52,98,946.03	41,13,102.35
3	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
जोड़		79,69,41,757.03	78,22,81,050.35
31 मार्च को शेष		2,29,91,52,655.91	1,69,51,95,614.33
अनुसूची संख्या 12			
भवन निर्माण निधि:			
प्रारंभिक शेष		8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
जोड़ें:			
1.	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
2	निधि में जमा किया गया ब्याज	0.00	0.00
31 मार्च को शेष		8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
अनुसूची संख्या 13			
क स्टाफ भविष्य निधि:			
प्रारंभिक शेष		10,10,51,00,974.93	9,52,26,32,289.93
जोड़ें:			
1.	अंशदान (प्रत्याहरण की वापसी सहित)	3,48,52,41,039.15	3,30,79,00,760.00
2.	सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज	78,16,42,811.00	77,81,67,948.00
3.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00
जोड़		14,37,19,84,825.08	13,60,87,00,997.93
घटाएं:			
1.	वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा की गई राशि	2,24,84,18,940.00	1,92,92,04,465.00
2.	सदस्यों के जीवन बीमा पोलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	0.00	0.00
3.	वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	27,25,68,410.00	29,95,30,585.00
4.	अन्य अदायगियां (अन्य क्षेत्रों को अंतरण)	1,25,69,87,303.00	1,27,48,64,973.00
जोड़		3,77,79,74,653.00	3,50,36,00,023.00
31 मार्च को शेष		10,59,40,10,172.08	10,10,51,00,974.93
ख. अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता :			
प्रारंभिक शेष		13,34,84,226.87	5,77,20,430.87
जोड़ें: क्षेत्रों को अंतरित की गई राशि		1,25,69,87,303.00	1,27,48,64,973.00
जोड़		1,39,04,71,529.87	1,33,25,85,403.87
घटाएं: अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि		1,20,75,35,738.15	1,19,91,01,177.00
31 मार्च को शेष		18,29,35,791.72	13,34,84,226.87
जोड़ (क+ख)		10,77,69,45,963.80	10,23,85,85,201.80

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
अनुसूची संख्या. 14			
स्टाफ पेंशन सह-येच्युटी निधि			
	प्रारंभिक शेष	44,80,24,38,855.29	27,44,51,67,053.81
जोड़:			
1.	खाता सं.4 से अंतरित राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - केंद्रीय)	17,28,80,02,352.03	15,00,05,42,380.77
2.	बचत खाता पर वसूल किया गया ब्याज	24,63,652.00	20,63,088.00
3.	वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज	3,55,23,57,767.41	1,94,78,72,086.92
4.	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	1,37,80,72,390.63	44,44,56,378.98
5.	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
6.	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
7.	क्षेत्रों द्वारा खाता सं.2 से दी गई राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - क्षेत्रीय)	4,94,79,21,454.51	2,51,23,84,722.90
	जोड़	71,97,12,56,471.87	47,35,24,85,711.38
घटाएं:			
1.	क्षेत्रों द्वारा किए गए भुगतान	4,94,79,21,454.51	2,51,23,84,722.90
2.	वर्ष के दौरान निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	13,33,52,613.54	3,76,62,133.19
3.	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
	जोड़	5,08,12,74,068.05	2,55,00,46,856.09
	31 मार्च को शेष	66,88,99,82,403.82	44,80,24,38,855.29
अनुसूची संख्या. 15 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान			
I - वर्तमान दायित्व			
1.	नई पेंशन योजना का देय अंशदान	3,82,50,373.51	2,22,72,164.00
2.	देय एन.पी.एस. पर बोर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान	0.00	2,22,72,164.00
3.	रिफंडेबल प्रतिभूति जमा	1,82,91,614.39	1,77,78,195.46
4.	ग्रुप बीमा योजना (नया)	29,41,384.22	23,40,925.02
5.	विविध जमा:		
	क. क्षेत्रीय:		
क	उच्चत खाता (प्रशासन निधि)	20,57,71,343.07	51,70,71,904.97
	ख. केंद्रीय:		
क	खाता सं.8 में अतिरिक्त जमा (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
ख	खाता सं.9 में अतिरिक्त जमा (स्टाफ पेंशन-सह-येच्युटी खाता)	8,29,780.00	8,29,780.00
ग	क.भ.नि. अंशदान खाता के लिए देय राशि	7,13,37,470.56	7,13,37,470.56
6.	रोकड़ बही शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	29,32,55,710.19	28,92,47,973.45
	क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	0.00	0.00
	खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	0.00	0.00
	खाता सं.9 (स्टाफ पेंशन-सह-येच्युटी खाता)	0.00	0.00
	मुख्यालय	63,69,620.44	15,95,45,617.12
	पीडीनास	39,55,628.19	50,63,631.20
	क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	0.00	0.00
7.	खाता सं. 24 से प्राप्त कुल अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के समानुपातिक (1%) (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता - केंद्रीय)	1,33,42,24,451.05	95,46,66,231.74
8.	अन्य (पेंशन सह येच्युटी निधि निवेश खाते में अतिरिक्त जमा)	-5,12,594.54	-5,12,594.54
	जोड़	2,00,69,00,275.96	2,09,40,98,957.86

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
II - प्रावधान		
क	खाता सं. 9 को अंतरणीय राशि के लिए प्रावधान (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता)	0.00
ख	देय किराया, दर एवं करों के लिए प्रावधान	0.00
ग	अन्य देय व्यय	1,35,17,15,214.09
	जोड़	1,35,17,15,214.09
	31 मार्च को शेष	3,35,86,15,490.05
		2,09,40,98,957.86
क.नि.स.बी. योजना, 1976 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 16		
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		
	प्रारंभिक शेष	26,71,07,88,240.48
जोड़:		23,84,85,15,191.52
1.	क.नि.स.बी. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते में किए गए व्यय पर आय की अधिकता को अग्रणीत की गई राशि	2,35,30,90,432.30
	31 मार्च को शेष	2,86,22,73,048.96
		29,06,38,78,672.78
		26,71,07,88,240.48
अनुसूची संख्या. 17- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान		
क.	विविध जमा:	
1	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय) में अतिरिक्त जमा	1,38,14,386.11
2	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय) में अतिरिक्त जमा	1,38,21,785.06
	खाता सं. 4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) को अंतरणीय कुल प्रशासनिक लागत से समानपातिक (1%)	4,83,75,930.89
ख.	प्रशासनिक लागत से समानपातिक (1%)	0.00
ग.	रोकड बही शेष: (ओवर ड्राफ्ट)	0.00
	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय)	6,15,488.74
	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	23,73,035.03
घ.	अन्य	43,04,25,782.73
	31 मार्च को शेष	37,37,95,443.47
		0.00
		49,32,31,588.47
		43,83,66,194.45
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		
अनुसूची संख्या. 18		
कर्मचारी भविष्य निधि- निवेश		
		62,45,14,65,10,480.52
		53,08,52,08,87,524.59

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
अनुसूची संख्या. 19 (चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम)			
I - चालू परिसंपत्तियां			
1	मार्गस्थ राशि :		
	खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	20,22,38,782.43	20,10,37,618.43
2	रोकड़ बही शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक		
	खाता सं. 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता - क्षेत्रीय)	0.00	0.00
	खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	0.00	1,37,24,98,988.72
	भारतीय रिजर्व बैंक :		
	क.भ.नि. निवेश खाता	76,82,20,289.41	47,73,52,549.76
3	प्राप्य क.भ.नि. निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	1,36,94,86,47,290.60	89,41,31,33,919.58
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	26,48,918.43	5,49,18,884.42
	एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	88,26,086.95	74,50,45,344.56
4	विविध नामें:		
	क उचत खाता (अवर्गीकृत)		
	उचत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	87,76,07,376.04	82,73,39,191.78
	ख अनियमित भुगतान	5,88,22,330.22	5,83,80,282.22
	ग अधिक भुगतान	6,35,12,425.91	5,51,37,323.42
	घ खाता सं. 5, 8 एवं 9 में त्रुटिपूर्ण नामें :		
	i क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता सं. 5 से खाता सं. 1 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	40,80,96,451.70	40,80,96,451.70
	ii बैंक द्वारा खाता सं. 5 में किया गया अधिक नामें	31,98,32,570.55	6,02,32,863.55
	iii खाता सं. 5 को डेबिट की गई परंतु खाता सं. 1 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	3,67,26,624.29	3,67,26,624.29
5	क.भ.नि. प्रशासन खाते से प्राप्य राशि	7,13,37,470.56	7,13,37,470.56
6	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	1,39,76,65,16,617.09	93,78,12,37,512.99
II - ऋण एवं अग्रिम			
	विशेष रिजर्व निधि (वसुलनीय) :		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	68,92,48,681.24	68,87,57,635.21
जोड़:	वर्ष के दौरान सदस्यों को भुगतान की गई राशि	3,51,815.00	5,11,867.00
घटाएं:	नियोक्ताओं से प्राप्त की गई राशि	0.00	20,820.97
	जोड़	68,96,00,496.24	68,92,48,681.24
	31 मार्च को शेष	1,40,45,61,17,113.33	94,47,04,86,194.23
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
अनुसूची संख्या. 20			
	कर्मचारी पेंशन योजना- निवेश	37,76,74,37,18,923.40	32,64,19,41,43,431.61

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
अनुसूची संख्या. 21 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम		चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
क	रोकड़ बही शेष:		
1.	खाता सं. 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	4,08,09,27,535.17	0.00
2.	खाता सं. 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	0.00	0.00
3.	भारतीय स्टेट बैंक मुंबई के पास शेष	33,67,00,057.00	46,49,75,997.70
ख	विविध नामें:		
1.	खाता सं. 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	1,29,53,66,387.37	1,32,63,58,259.44
2.	खाता सं. 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	10,74,15,950.98	6,95,28,578.98
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 10 से खाता सं.11 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में हिसाब दी गई अतिरिक्त राशि	20,17,63,057.60	20,17,63,057.60
4.	खाता 11 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.10 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	5,78,92,982.20	5,78,92,982.20
ग	प्रेषण में मार्गस्थ राशि	62,90,05,444.68	21,52,00,427.68
घ	प्राप्य क.पें.यो. निवेश निधि पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	60,65,12,94,608.83	42,12,25,08,757.24
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	5,08,204.40	7,06,12,500.00
	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	64,14,130.43	81,30,31,458.75
	भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्य ब्याज	16,63,76,07,826.00	0.00
	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्य ब्याज	2,20,62,86,163.18	0.00
इ	केंद्र सरकार से प्राप्य पेंशन अंशदान	73,08,91,35,828.00	66,62,67,26,212.00
च	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	1,59,30,03,18,175.84	1,11,96,85,98,231.59
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
अनुसूची संख्या. 22			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि- निवेश		2,35,91,54,14,156.47	2,07,50,19,68,196.72
अनुसूची संख्या. 23 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
क	रोकड़ बही शेष:		
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	25,83,19,928.46	0.00
2.	खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	3,66,34,563.22	5,76,21,123.09
3.	भारतीय स्टेट बैंक के पास शेष	1,11,36,485.36	45,74,504.19
ख	प्रेषण में मार्गस्थ राशि :		
1.	खाता सं. 21 से 25	9,74,96,579.96	9,74,96,579.96
2.	बैंक से खाता सं. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
ग	विविध नामें:		
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	10,49,75,206.01	7,40,60,183.87
2.	खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	1,65,96,337.50	1,65,96,337.50
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 21 से खाता सं.25 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	1,29,32,466.14	1,29,32,466.14
घ	प्राप्य क.नि.स.बी. निवेश निधि पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	3,34,92,15,180.81	1,64,79,81,984.47
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	92,565.03	4,35,479.45
	भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्य ब्याज	65,03,02,727.49	23,46,00,000.00
इ	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	4,53,82,34,264.13	2,14,68,30,882.82

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं		
	चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 24		
अचल संपत्तियां	4,08,36,52,051.42	4,06,36,91,101.01
अनुसूची संख्या. 25		
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश		
विशेष जमा खाता	2,16,00,85,09,245.10	2,00,41,99,32,086.37
एफ.डी.आर.	2,10,00,00,000.00	2,10,00,00,000.00
31 मार्च को शेष	2,18,10,85,09,245.10	2,02,51,99,32,086.37
अनुसूची संख्या. 26		
क.भ.नि. स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	15,62,80,13,290.03	14,12,08,67,904.72
अनुसूची संख्या. 27		
क.भ.नि. स्टाफ पेंशन सह-ग्रेज्युटी निधि - निवेश	65,50,94,88,346.93	44,34,75,48,230.33
अनुसूची संख्या. 28 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अशिम		
1 मार्गस्थ राशि :		
क क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	5,18,03,113.18	5,18,03,113.18
ख खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	1,22,68,499.25	1,22,68,499.25
जोड़	6,40,71,612.43	6,40,71,612.43
2 रोकड बही शेष		
(क) भारतीय स्टेट बैंक :		
क क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
ख क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	30,76,33,433.43	18,20,88,851.56
ग खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	5,895.82	2,31,37,957.71
घ खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेज्युटी खाता)	5,492.88	3,799.13
ङ मुख्यालय	0.00	0.00
च पीडीनास	0.00	0.00
छ क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	2,24,48,715.62	31,27,78,472.62
जोड़	33,00,93,537.75	51,80,09,081.02
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक :		
क स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाता	72,93,151.88	5,90,325.01
ख स्टाफ पेंशन सह-ग्रेज्युटी निवेश खाता	22,00,473.33	1,02,14,746.80
जोड़	94,93,625.21	1,08,05,071.81
(ग) अग्रदाय लेखा	67,289.70	50,062.79
3 विविध नामें:		
उचत खाता (अवर्गीकृत)		
क उचत खाता (प्रशासन निधि)	22,76,32,264.88	22,76,81,077.16
4 खाता नं. 8 एवं 9 को त्रुटिपूर्ण नामें:		
क क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 2 से खाता सं.8 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में हिसाब दी गई अतिरिक्त राशि	2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
ख अंशदान खाता सं.8 को किए गए त्रुटिपूर्ण नामें (स्टाफ भ.नि. खाता)	1,78,339.00	1,78,339.00
ग अंशदान खाता सं. 9 को किए गए त्रुटिपूर्ण नामें (स्टाफ पेंशन सह-ग्रेज्युटी खाता)	0.00	0.00
जोड़	2,06,17,133.97	2,06,17,133.97

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
5	वसुलीय अंशिम		
क	वाहन अंशिम	75,67,525.04	1,43,88,796.24
ख	गृह निर्माण अंशिम	6,05,46,599.39	2,58,15,117.69
ग	पंखा अंशिम	74,744.80	91,503.10
घ	गरम कपडा अंशिम	1,234.75	4,384.75
ङ	त्योहार अंशिम	21,39,814.30	75,80,711.30
च	प्राकृतिक विपदा अंशिम	1,87,607.45	7,45,540.00
छ	वेतन का अंशिम	24,90,794.00	33,82,101.00
ज	डी.ए./ टी.ए. अंशिम	1,80,54,433.54	1,86,20,424.34
झ	अनाज अंशिम	1,216.75	1,216.75
ञ	स्टाफ सहकारी कैन्टीन/स्टोर हेतु अंशिम	2,18,574.00	3,15,370.00
ट	कंप्यूटर अंशिम	3,00,41,430.55	3,07,57,507.85
ठ	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	0.00	0.00
ड	विविध भुगतान	57,01,620.12	45,64,729.72
	जोड़	12,70,25,594.69	10,62,67,402.74
6	पूर्व भुगतान (प्रीपेड) व्यय	0.00	0.00
7	प्राप्य क.भ.नि. प्रशासन निधि निवेश पर ब्याज		
	विशेष जमा खाता पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
	विशेष जमा खाता पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	7,10,42,345.00	27,14,26,425.00
8	प्राप्य स्टाफ भविष्य निधि निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	39,54,83,108.36	20,45,98,905.07
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
9	प्राप्य पेंशन सह-ग्रेज्यूटी निधि में निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	1,37,80,72,390.63	44,44,56,378.98
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
10	खाता सं. 24 से प्राप्य जोड़ प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%) (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	0.00	0.00
11	सुरक्षा जमा (पार्टियों को अंशिम)	3,05,54,082.20	3,02,90,092.20
12	अन्य (रिफंडेबल टीडीएस)	1,36,56,505.00	1,36,56,505.00
13	एजेंसियों / ठेकेदारों को अंशिम (पूँजी कार्य)	8,87,25,32,035.92	0.00
14	स्टाफ को भुगतान किए गए अंशिमों पर वसूली योग्य उपार्जित ब्याज	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	11,54,03,41,525.74	1,91,19,29,748.17

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग हैं			
		चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 - प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या- 29			
क. नि. स. बी. प्रशासन निधि-निवेश			
	विशेष जमा खाते	28,13,94,12,147.16	26,11,10,87,221.30
अनुसूची संख्या-30 -वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अशिम			
क रोकड़ बही शेष :			
1.	लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
2.	लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	0.00	0.00
ख मार्गस्थ प्रेषण :			
1.	लेखा संख्या 22 से 24	1,54,32,020.07	1,54,32,020.07
ग विविध नामे :			
1.	लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	1,02,91,652.62	1,02,18,971.47
2.	लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	1,18,32,348.32	1,18,32,348.32
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखा संख्या 22 से 24 तथा विलोमतः में अंतरण के रूप में अतिरिक्त लेखाबद्ध	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
घ क.नि.स.बी. प्रशासन निधि निवेश पर प्राप्ति योग्य ब्याज			
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	0.00	0.00
इ क.नि.स.बी. अंशदान लेखे से प्राप्ति योग्य राशि			
	जोड़ प्रशासनिक लागत का समानुपातिक अतिरिक्त अंतरण (1% भाग) लेखा संख्या-4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	1,33,42,24,451.05	95,46,66,231.74
छ अन्य			
	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	1,41,76,98,114.09	1,03,80,67,213.63

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
			राशि (रूपए)
आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	31	5,23,37,73,54,185.32	3,85,08,57,86,647.54
वर्ष के दौरान अन्य आय	32	6,90,73,41,428.96	5,69,88,54,984.81
जोड़ आय- क.भ.नि. अंशदान निधि (क)		5,30,28,46,95,614.28	3,90,78,46,41,632.35
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पे.नि. - अंशदान निधि			
पेंशन अंशदान से आय	33	4,23,75,65,42,068.61	3,84,04,19,47,639.67
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	34	3,04,90,87,27,602.03	2,43,50,08,76,160.14
अन्य आय	35	4,66,34,74,935.62	3,00,30,12,704.56
जोड़ आय- पेंशन निधि (ख)		7,33,32,87,44,606.26	6,30,54,58,36,504.37
कर्मचारी निशेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
नियोक्ताओं के अंशदान से आय		17,31,15,88,878.61	14,28,48,46,257.85
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	36	19,34,96,70,024.03	14,95,16,71,687.89
अन्य आय	37	26,72,72,063.76	21,68,74,698.95
जोड़ आय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि(ग)		36,92,85,30,966.40	29,45,33,92,644.69
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 ब्यू ब्याज से आय	38	38,64,68,12,989.86	40,58,71,23,628.51
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	39	15,58,35,02,420.35	14,72,93,35,205.03
लेखा संख्या-24 से प्राप्ति (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा केन्द्रीय) वर्तमान वर्ष के लिए क.भ.नि.सं. के जोड़ प्रशासनिक खर्च (प्राप्ति योग्य) एवं पिछले वर्षों के बकाया की प्राप्ति का समानुपातिक अंश (1%)		39,91,64,290.14	37,30,30,128.45
अन्य आय-विभिन्न प्राप्ति		13,76,53,599.45	16,34,75,622.08
जोड़ आय-क.भ.नि.प्रशासन निधि(घ)		54,76,71,33,299.80	55,85,29,64,584.07
कर्मचारी निशेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. प्रशा निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 ब्यू ब्याज से आय	40	72,35,28,926.31	1,32,06,27,625.86
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	41	2,02,87,58,630.28	1,91,48,05,025.10
अन्य आय-लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी.प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय)		8,362.00	1,317.00
अन्य आय-लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी.प्रशासनिक प्रभार लेखा - केन्द्रीय)		-	-
जोड़ आय-क.नि.स.बी.प्रशासन निधि (ङ)		2,75,22,95,918.59	3,23,54,33,967.96

राशि (रुपए)			
व्यय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
सदस्यों को ब्याज भुगतान	42	4,60,16,34,00,000.00	3,91,97,93,00,000.00
प्रतिभूतियों की खरीद हेतु बिक्रेताओं को ब्याज भुगतान		4,95,98,20,184.15	2,10,30,44,237.56
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान		-	-
विशेष आरक्षित निधि पर उपार्जित ब्याज		27,13,13,362.43	25,26,33,870.15
ओवरड्राफ्ट हेतु बैंकों को ब्याज भुगतान		35,21,01,795.61	34,56,98,707.32
विविध-जमाओं पर ब्याज की छूट प्राप्त न्यायों को वापसी		-	-
जोड़ व्यय-क.भ.नि. अंशदान निधि (क-1)		4,65,74,66,35,342.19	3,94,68,06,76,815.03
I-अधिक आय(क) अधिक व्यय (क-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		64,53,80,60,272.09	(3,89,60,35,182.68)
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.नि. - अंशदान निधि			
जाने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि		1,65,97,03,89,956.24	1,55,10,22,87,706.52
पेंशन के संवितरण हेतु बैंकों को कमीशन	43	54,67,96,555.67	71,65,27,910.84
निवेशों(प्रतिभूतियों) पर उपार्जित ब्याज का भुगतान		2,30,20,94,149.68	90,01,58,044.86
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान		-	-
अन्य			
लेखा सं-10 (क.पें.यो.लेखा सं-क्षेत्रीय)		1,83,21,83,671.00	1,60,05,748.00
लेखा सं-11 (क.पें.यो.लेखा सं-केंद्रीय)		-	-
जोड़ व्यय-पेंशन निधि (ख-1)		1,70,65,14,64,332.59	1,56,73,49,79,410.22
II-अधिक आय(ख) अधिक व्यय (ख-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		5,62,67,72,80,273.67	4,73,81,08,57,094.15
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.अंशदान निधि			
बीमा लाभ भुगतान		5,79,43,34,727.02	3,86,45,99,465.80
निवेशों(प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपार्जित ब्याज का भुगतान		20,08,98,537.70	5,10,46,746.76
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान		-	-
अन्य भुगतान			
लेखा सं-21 (क.नि.स.बी. लेखा सं-क्षेत्रीय)		3,72,898.75	5,94,864.49
लेखा सं-25 (क.नि.स.बी. लेखा सं-केंद्रीय)		-	-
जोड़ व्यय-क.नि.स.बी.अंशदान निधि (ग-1)		5,99,56,06,163.47	3,91,62,41,077.05
III-अधिक आय(ग) अधिक व्यय (ग-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		30,93,29,24,802.93	25,53,71,51,567.64
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - प्रशासन निधि-(क.भ.नि.सं.क. का 100% व्यय)			
क-स्थापना व्यय			
अधिकारियों एवं स्टाफ का वेतन तथा बोनस		11,36,93,49,145.25	10,78,31,31,631.00
भत्ते तथा मानदेय		2,73,38,87,816.64	1,98,23,39,143.00
अनुदान-कल्याण निधि आदि		6,72,23,157.00	8,07,84,188.00
स्टाफ पेंशन सह रैच्युटि निधि में अंशदान		22,23,59,23,806.54	19,74,57,78,711.58
स्टाफ भ.नि., डी.एल.आई. लाभ		9,97,674.00	23,97,139.00
टी.ए. तथा एल.टी.सी		27,11,69,882.00	21,37,78,439.70
जोड़ क		36,67,85,51,481.43	32,80,82,09,252.27
ख-अन्य प्रशासनिक व्यय			
विद्युत पर खर्च		26,99,90,596.09	24,16,41,807.00
डाक पर खर्च		8,30,14,109.00	8,89,74,840.00
मृदुण एवं लेखन सामग्री		12,39,69,076.79	12,71,25,066.00
किराया, दर तथा कर		25,91,96,336.95	23,66,01,882.00
वाहन चालन एवं रखरखाव पर खर्च		1,46,05,693.00	1,37,51,743.00
दूरभाष, इंटरनेट तथा संचार प्रभार		5,50,12,842.00	5,04,35,059.00
बीमा खर्च		0.00	0.00
जल प्रभार		1,76,28,196.00	1,25,22,346.00
आकस्मिकताओं से स्टाफ को भुगतान		70,14,26,471.00	42,06,68,375.25
विज्ञापन एवं प्रचार		2,35,48,529.00	16,76,01,469.00
ए.एम.सी-कंप्यूटर,सर्वर,बिजली उपकरण तथा अन्य कार्यालय उपकरण		44,96,30,704.22	69,71,20,854.00
यात्रा खर्च		5,30,51,681.00	4,05,49,677.00
अन्य प्रभार(आवर्ती/अनावर्ती)		71,65,20,809.49	1,80,58,06,999.23
कार्यालय भवन / स्टाफ क्वार्टरस का रखरखाव		17,71,43,963.40	16,94,54,018.72
अचल संपत्ति का निवल ह्रास		29,25,87,310.87	40,02,77,292.19
परिसंपत्तियों के परिसमापन पर हानि/लाभ		5,51,214.00	0.00
भवन निर्माण निधि के लिए प्रावधान		0.00	0.00
देय एन.पी.एस. हेतु बोर्ड के अंशदान का प्रावधान		0.00	2,22,72,164.00
जोड़ ख		3,23,78,77,532.81	4,49,48,03,592.39
जोड़ व्यय-क.भ.नि.प्रशासन निधि (घ-1)		39,91,64,29,014.24	37,30,30,12,844.66

IV-अधिक आय(घ) अधिक व्यय (घ-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		14,85,07,04,285.56	18,54,99,51,739.40
<u>कर्मचारी विरोध सहवर्द्ध बीमा योजना, 1976</u>			
<u>क.नि.स.बी.प्रशासन निधि</u>			
क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक व्यय में समानुपातिक अंश (1 प्रतिशत)		39,91,64,290.14	37,30,30,128.45
अन्य भुगतान:			
लेखा सं-22		41,196.15	1,29,698.05
लेखा सं-24		-	1,092.50
जोड़ व्यय क.नि.स.बी.प्रशासन निधि (इ-1)		39,92,05,486.29	37,31,60,919.00
V- अधिक आय(इ) अधिक व्यय (इ-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		2,35,30,90,432.30	2,86,22,73,048.96
क.भ.नि.संगठन की जोड़ आय (I + II + III + IV + V)		6,75,35,20,60,066.55	5,16,86,41,98,267.48

ह०
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०
(सुनील बड़थवाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं			
		चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
क.भ.नि.अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 31			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	3,76,29,40,83,355.27	2,94,87,00,43,909.71
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	1,36,94,86,47,290.60	89,41,31,33,919.58
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	26,48,918.43	5,49,18,884.42
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	10,11,83,32,562.60	0.00
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	88,26,086.95	74,50,45,344.56
6	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	48,15,971.47	11,29,022.27
7	क.भ.नि. न्यायों से प्राप्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	0.00	15,15,567.00
8	ऋणों पर अंशदाताओं/सदस्यों से प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
9	पूर्व वर्षों के लिए ब्याज हेतु अतिरिक्त उपबंध- वापिस लिखा गया	0.00	0.00
जोड़		5,23,37,73,54,185.32	3,85,08,57,86,647.54
अनुसूची संख्या. 32			
वर्ष के दौरान अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान बमुली गई शान्तिक नुकसानी	3,90,60,88,311.88	2,67,58,29,798.83
2	वर्ष के दौरान बमुला गया 7क्यू ब्याज	2,99,04,32,698.08	3,02,16,45,377.98
3	अन्य प्रामियां (क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज)	1,08,20,419.00	13,79,808.00
जोड़		6,90,73,41,428.96	5,69,88,54,984.81
क.पं.यो. अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 33			
पेंशन अंशदान से प्राप्त आय			
1	नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन अंशदान	3,66,18,23,32,452.61	3,21,08,65,21,427.67
2	केन्द्र सरकार से प्राप्त पेंशन अंशदान	-15,51,49,26,212.00	-3,67,13,00,000.00
3	केन्द्र सरकार से प्राप्ति योग्य पेंशन अंशदान	73,08,91,35,828.00	66,62,67,26,212.00
जोड़		4,23,75,65,42,068.61	3,84,04,19,47,639.67
अनुसूची संख्या.34			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	1,46,09,89,37,809.41	1,19,70,61,35,306.69
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	60,65,12,94,608.83	42,12,25,08,757.24
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	5,08,204.40	7,06,12,500.00
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	64,14,130.43	81,30,31,458.75
6	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	79,25,69,92,174.00	80,77,20,00,000.00
7	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	16,63,76,07,826.00	0.00
8	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
9	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्ति योग्य ब्याज	2,20,62,86,163.18	0.00
10	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	5,06,86,685.78	1,65,88,137.46
जोड़		3,04,90,87,27,602.03	2,43,50,08,76,160.14
अनुसूची संख्या.35			
वर्ष के दौरान अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान बमुली गई शान्तिक नुकसानी	1,86,18,76,382.14	1,13,97,95,955.66
2	वर्ष के दौरान बमुला गया 7क्यू ब्याज	1,36,01,18,354.76	94,89,48,986.06
3	अन्य प्रामियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-10	1,44,14,80,198.72	91,42,67,762.84
4	अन्य प्रामियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-11	0.00	0.00
जोड़		4,66,34,74,935.62	3,00,30,12,704.56
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या.36			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	8,73,80,39,564.28	6,37,58,57,079.10
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	3,34,92,15,180.81	1,64,79,81,984.47
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	0.00	0.00
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	92,565.03	4,35,479.45
6	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	6,61,13,59,030.00	6,69,27,00,000.00
7	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	65,03,02,727.49	23,46,00,000.00
8	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	6,60,956.42	97,144.87
जोड़		19,34,96,70,024.03	14,95,16,71,687.89

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं			
		चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
अनसूची संख्या.37			
वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	11,08,37,510.44	11,60,86,632.69
2	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	8,95,97,005.32	6,05,48,642.26
3	लेखा संख्या 21 में अन्य प्रामियां	6,68,37,548.00	4,02,39,424.00
4	लेखा संख्या 25 में अन्य प्रामियां	0.00	0.00
जोड़		26,72,72,063.76	21,68,74,698.95
क.भ.नि.प्रशासन निधि			
अनसूची संख्या.38			
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभार, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय			
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार	35,99,14,86,633.31	39,05,40,32,843.50
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. निरीक्षण प्रभार	2,14,84,32,147.00	1,14,11,51,566.72
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	31,90,67,416.18	19,99,30,112.37
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	18,78,26,793.37	19,20,09,105.92
जोड़		38,64,68,12,989.86	40,58,71,23,628.51
अनसूची संख्या.39			
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	15,51,02,30,298.26	14,42,79,45,013.89
2	अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	0.00	0.00
3	देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नहीं	0.00	0.00
4	सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	7,10,42,345.00	28,50,82,930.00
5	क्षेत्रीय वचन बैंक खाते पर ब्याज	22,29,777.09	1,63,07,261.14
जोड़		15,58,35,02,420.35	14,72,93,35,205.03
घटाएं: भवन निर्माण निधि पर क्रेडिट किया गया ब्याज		0.00	0.00
जोड़		15,58,35,02,420.35	14,72,93,35,205.03
क.नि.स.बी.यो.प्रशासन निधि			
अनसूची संख्या.40			
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभारों, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय			
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.प्रशासन प्रभार	63,08,98,956.34	1,26,97,06,909.77
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.निरीक्षण प्रभार	7,55,25,257.00	4,14,68,021.00
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	1,00,77,408.01	48,94,961.27
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	70,27,304.96	45,57,733.82
जोड़		72,35,28,926.31	1,32,06,27,625.86
अनसूची संख्या.41			
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,02,83,24,925.86	1,91,44,89,113.11
2	अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	0.00	0.00
3	देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नहीं	0.00	0.00
4	वचन बैंक खाते पर ब्याज	4,33,704.42	3,15,911.99
जोड़		2,02,87,58,630.28	1,91,48,05,025.10
क.भ.नि.अंशदान निधि			
अनसूची संख्या.42			
सदस्यों को ब्याज का भुगतान			
1	वर्ष के दौरान सदस्यों के भविष्य निधि खातों पर क्रेडिट ब्याज(निष्क्रिय खातों सहित)	0.00	0.00
2	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	4,60,16,34,00,000.00	3,91,97,93,00,000.00
3	पूर्व के वर्षों के लिए सदस्यों के भ.नि.खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	0.00	0.00
जोड़		4,60,16,34,00,000.00	3,91,97,93,00,000.00

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं		
	चालू वर्ष (2017-18)	पिछला वर्ष (2016-17)
<u>क.पे.यो. अंशदान निधि</u>		
अनुसूची सं- 43		
सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि		
1 प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ	69,83,44,60,321.75	62,97,97,73,037.85
2 जीवन बीमा लाभ	0.00	0.00
3 पेंशन	96,13,59,29,634.49	92,12,25,14,668.67
जोड़	1,65,97,03,89,956.24	1,55,10,22,87,706.52

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

क्र.सं.	अचल परिसंपत्तियां (मूल)	सकल ब्लॉक				मूल्यदास				राशि (रुपये में)	
		वर्ष के आरंभ में लागतमूल्यान	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में जुड़ाव	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में लागतमूल्यान (ए)	वर्ष के आरंभ में उमा मूल्यदास	वर्ष के लिए मूल्यदास	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों पर हटाए गए मूल्यदास	वर्ष के अंत में उमा मूल्यदास (पी)	चाहू वर्ष के अंत में (ए-पी)	शुद्ध ब्लॉक सिद्धि वर्ष के अंत में
1	भूमि										
a	की होल्ड भूमि	58,10,38,903.63	9,66,65,874.00	6,11,92,952.80	61,65,11,824.83	-	3,69,684.00	-	3,69,684.00	61,61,42,160.83	58,10,38,903.63
b	लीज होल्ड भूमि	26,62,23,245.30	21,70,772.00	-	26,83,94,017.30	3,07,20,009.30	1,00,57,839.86	-	4,07,77,849.16	22,76,16,168.14	23,55,03,236.00
2	भवन										
a	भवन-कार्यालय	1,65,77,90,318.92	10,22,10,854.80	3,74,26,646.00	1,72,25,74,527.72	26,53,78,006.81	7,93,93,298.17	-	34,47,71,304.98	1,37,78,03,222.74	1,39,24,12,312.11
b	लीज होल्ड भवन-कार्यालय	83,68,93,273.85	-	-	83,68,93,273.85	14,33,91,551.39	1,18,69,336.46	-	15,52,60,887.85	68,16,32,386.00	89,35,01,722.46
c	भवन-आवासीय	76,08,76,174.90	5,79,13,940.00	5,29,86,744.00	76,58,03,370.90	17,70,25,042.21	3,56,30,457.43	-	21,26,55,499.64	55,31,47,871.26	58,38,51,132.69
d	लीज होल्ड भवन-आवासीय	16,13,22,500.00	-	-	16,13,22,500.00	5,12,56,152.00	16,64,413.00	-	5,29,20,565.00	10,84,01,935.00	11,00,66,348.00
3	संचयन यंत्रोपकरण एवं उपकरण	64,23,556.00	56,003.00	-	64,79,559.00	8,72,852.66	6,15,631.32	-	14,88,483.98	49,91,075.02	55,50,703.34
4	वाहन एवं मोटर कार	1,02,44,277.76	41,78,629.13	1,34,123.00	1,42,88,783.89	47,78,692.59	9,45,521.91	-	57,24,204.50	85,64,579.39	54,65,595.17
5	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10,75,19,733.24	2,95,72,170.90	17,30,637.00	13,53,61,267.14	1,25,78,612.79	1,11,56,767.62	2,78,310.00	2,37,35,380.41	11,16,25,866.73	9,49,41,120.45
6	कार्यालय उपकरण	2,29,49,133.44	2,59,72,594.00	3,33,881.00	4,85,87,846.44	64,05,807.16	60,42,884.59	-	1,24,48,691.75	3,61,39,154.69	1,65,43,326.28
7	कंप्यूटर/परिफरल	42,79,66,088.77	13,54,34,483.50	7,40,899.00	56,26,59,673.27	11,92,31,967.83	13,32,28,344.85	2,19,902.00	25,24,60,312.68	31,01,99,360.59	30,87,34,120.94
8	इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन	1,59,81,001.99	81,27,294.00	22,479.00	2,40,85,816.99	23,13,901.58	9,92,498.45	1,749.00	33,06,400.03	2,07,79,416.96	1,36,67,100.41
9	पुस्तकालय की पुस्तकें	10,72,111.00	6,90,398.00	1.00	17,62,508.00	11,903.40	2,73,345.12	-	2,85,248.52	14,77,259.48	10,60,207.60
10	टयूबवैल एवं जल आपूर्ति	4,83,253.00	10,64,683.00	23,402.00	15,24,534.00	66,033.07	1,23,587.55	11,386.00	1,89,620.62	13,34,913.38	4,17,219.93
11	अन्य अचल परिसंपत्तियां	2,18,86,666.00	24,99,266.75	2,17,987.00	2,41,67,945.75	9,48,614.00	71,007.54	50,168.00	10,19,621.54	2,31,48,324.21	2,09,38,052.00
कुल		4,87,86,70,237.80	46,65,56,963.08	15,48,09,751.80	51,94,17,449.08	81,49,79,136.79	29,24,34,597.87	5,96,126.00	1,10,74,13,734.66	4,08,30,03,714.42	4,06,36,91,101.01
क्र.सं.	अचल परिसंपत्तियां (मूल)	सकल ब्लॉक				मूल्यदास				राशि (रुपये में)	
		वर्ष के आरंभ में लागतमूल्यान	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में जुड़ाव	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में लागतमूल्यान (ए)	वर्ष के आरंभ में उमा मूल्यदास	वर्ष के लिए मूल्यदास	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों पर हटाए गए मूल्यदास	वर्ष के अंत में उमा मूल्यदास (पी)	चाहू वर्ष के अंत में (ए-पी)	शुद्ध ब्लॉक सिद्धि वर्ष के अंत में
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	8,01,050.00	-	8,01,050.00	-	1,52,713.00	-	1,52,713.00	6,48,337.00	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		-	8,01,050.00	-	8,01,050.00	-	1,52,713.00	-	1,52,713.00	6,48,337.00	-
कुल योग		4,87,86,70,237.80	46,73,58,013.08	15,48,09,751.80	51,94,12,18,499.08	81,49,79,136.79	29,25,87,310.87	5,96,126.00	1,10,75,66,447.66	4,08,36,52,051.42	4,06,36,91,101.01

01-04-2017 से पूर्व यदि अचल परिसंपत्तियां कोई हैं तो वो इसमें शामिल हैं ।
S:\God Section (New) (BSC)

अनुसूची सं. 18		अति शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	कुट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहूँ मूल्य	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य					परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	11,46,48,13,89,640.00		57,17,72,44,110.01	7,29,40,000.00	10,51,39,38,000.00	(84,43,44,880.00)		11,91,07,60,01,640.00
2	संवैधानिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	14,14,78,83,07,587.52		1,91,23,15,70,362.91	-	67,07,72,43,600.00	(3,98,88,965.23)		15,27,67,53,89,382.22
3	निजी प्रतिभूतियां	3,97,23,79,80,200.00		81,87,95,88,432.12	-	7,02,56,50,000.00	1,87,58,758.39		4,70,17,61,69,800.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल	15,32,94,83,86,500.00		6,05,43,63,32,542.06	6,32,70,000.00	44,04,64,60,000.00	1,33,24,15,502.07		20,80,30,55,96,500.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	1,30,73,21,94,587.31		-	2,71,00,000.00	8,07,46,666.34	14,97,85,378.00		1,30,67,85,42,919.33
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	5,29,54,09,69,727.67		-	46,87,32,121.20	-	-		5,30,00,97,01,849.60
7	लोक सेवा	-		-	-	-	-		-
8	ई.टी.एफ	1,43,73,91,94,776.62		1,53,83,58,89,086.27	-	26,86,51,06,162.00	-		2,70,70,99,77,680.89
9	एल.एम.एफ	2,22,97,62,970.13		1,60,03,86,25,293.00	-	1,62,76,12,41,821.00	-		10,75,44,379.46
10	एफ.डी.आर	11,60,00,00,000.00		11,60,00,00,000.00	-	11,60,00,00,000.00	-		11,60,00,00,000.00
11	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-		-	-	-	-		-
जोड़		53,09,29,81,85,989.25	53,08,52,08,87,524.59	12,61,19,92,49,806.37	63,20,42,121.20	3,29,97,03,86,249.34	61,67,25,793.23	62,45,14,65,10,480.52	62,12,33,89,24,151.50

अनुसूची सं. 20		अति शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	कुट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहूँ मूल्य	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य					परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	6,04,22,91,03,700.00		24,34,77,99,578.64		4,10,50,00,000.00	1,35,32,115.26		6,23,53,16,03,700.00
2	संवैधानिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	6,28,04,32,18,951.74		83,40,81,20,411.57		39,28,66,62,000.00	95,23,317.89		6,72,57,31,11,304.32
3	निजी प्रतिभूतियां	1,78,17,38,22,000.00		34,87,52,50,489.58		3,10,85,60,000.00	(2,24,786.77)		2,09,88,64,97,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल	6,83,00,08,78,700.00		2,54,72,91,13,044.07		18,30,85,25,000.00	55,51,31,525.63		9,15,36,95,23,700.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	57,28,90,00,000.00		-		5,00,00,000.00	3,57,31,800.95		56,78,90,00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	14,00,52,28,022.64		-		-	-		14,00,52,28,022.64
7	लोक सेवा	10,19,38,25,20,241.86		1,19,65,87,92,174.00		-	-		11,39,04,13,12,415.86
8	ई.टी.एफ	65,47,95,36,102.30		66,01,06,58,817.22		67,34,18,40,503.87	-		1,31,49,01,94,919.52
9	एल.एम.एफ	4,03,33,02,661.99		64,48,36,98,255.00		8,43,00,00,000.00	-		1,34,42,15,259.17
10	एफ.डी.आर	8,43,00,00,000.00		8,43,00,00,000.00		-	-		8,43,00,00,000.00
11	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-		-		-	-		-
जोड़		32,62,06,66,10,380.53	32,64,19,41,43,431.61	6,55,94,34,32,770.08	-	1,40,63,05,87,503.87	61,36,93,973.16	37,76,74,37,18,923.40	37,72,46,06,86,321.51

अनुसूची सं. 22		अति शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	कुट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहूँ मूल्य	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य					परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	29,77,24,82,000.00		1,39,33,61,319.45		8,30,00,000.00	(1,70,92,943.65)		31,04,89,82,000.00
2	संवैधानिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	33,83,14,39,840.00		5,44,86,76,527.54		1,76,45,14,000.00	(5,25,368.66)		37,46,82,55,521.90
3	निजी प्रतिभूतियां	9,98,69,51,000.00		1,40,00,00,000.00		39,80,00,000.00	3,88,733.50		10,98,89,51,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल	37,63,63,07,800.00		14,44,28,35,117.47		1,80,22,65,000.00	3,64,75,624.72		50,01,03,62,800.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	3,37,70,00,000.00		-		-	53,99,260.99		3,37,70,00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	2,49,76,309.05		-		-	-		2,49,76,309.05
7	लोक सेवा	88,19,13,14,794.14		6,84,59,59,030.00		-	-		95,03,72,73,824.14
8	ई.टी.एफ	3,66,62,11,468.37		4,06,93,00,739.00		-	-		7,73,55,12,207.37
9	एल.एम.एफ	94,70,26,724.37		2,76,65,40,022.00		3,64,30,20,128.55	-		7,88,83,488.21
10	एफ.डी.आर	11,00,00,000.00		*10114767		11,00,00,000.00	-		11,01,14,767.00
11	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-		-		-	-		-
जोड़		2,07,54,37,09,935.93	2,07,50,19,68,196.72	36,36,66,72,755.46	-	7,80,07,99,128.55	2,46,45,306.90	2,35,91,54,14,156.47	2,35,88,03,11,917.67

*लघु संख्या 25 से काटी गई टीडीएस राशि है और इसी राशि को एफडी बनाया गया था। इसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नोट किया गया और अब इसे दर्शाया जा रहा है।

अनुसूची सं 26									
क.म.नि.स्टाफ भविष्य निधि-निवेश									
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चालू मूल्य		
		अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य				परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ-सी.टी.डी.	4,02,24,81,000.00		13,29,57,788.89	10,30,00,000.00	(19,48,509.15)		4,04,84,81,000.00	
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	3,87,00,31,771.32		45,03,82,500.00	14,00,49,000.00	7,56,446.32		4,18,84,66,968.61	
3	निजी प्रतिभूतियाँ	96,40,64,000.00		12,00,00,000.00	1,40,00,000.00	(58,494.30)		1,07,00,64,000.00	
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	3,85,54,20,000.00		1,01,43,28,286.45	25,13,30,000.00	48,70,265.03		4,61,06,50,000.00	
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ-एस.टी.डी.	24,60,00,000.00		-	-	4,11,011.18		24,60,00,000.00	
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस	83,33,20,534.92		-	-			83,33,20,534.92	
7	लोक लेखा								
8	ई.टी.एफ	23,68,04,001.58		30,87,01,277.80	-				
9	एल.एम.एफ	-		18,67,83,901.00	18,70,89,060.67	-		54,55,05,279.38	
10	समाशोधन के अंतर्गत राशि								
जोड़		14,02,81,21,307.82	14,12,08,67,904.72	2,21,31,53,754.14	69,54,68,060.67	40,30,719.08	15,62,80,13,290.03	15,54,24,87,782.91	

अनुसूची सं 27									
क.म.नि.स्टाफ पेंशन सह रैच्युटि निधि-निवेश									
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चालू मूल्य		
		अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य				परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ-सी.टी.डी.	9,08,84,81,200.00		1,16,48,54,025.00	10,00,000.00	(17,07,393.18)		10,21,94,81,200.00	
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	12,80,12,79,347.20		4,77,77,16,083.19	57,30,37,000.00	(2,14,468.93)		17,10,47,69,810.18	
3	निजी प्रतिभूतियाँ	3,19,88,10,000.00		98,00,00,000.00	2,30,00,000.00	6,55,482.94		4,15,58,10,000.00	
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	15,10,04,90,000.00		12,10,02,06,135.32	90,20,00,000.00	2,05,37,110.44		26,07,68,10,000.00	
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ-एस.टी.डी.	49,30,00,000.00		-	-	8,33,357.56		49,30,00,000.00	
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस	91,79,27,326.87		-	-			91,79,27,326.87	
7	लोक लेखा								
8	ई.टी.एफ	2,47,68,40,971.71		3,43,53,99,526.80	-			5,91,22,40,498.51	
9	एल.एम.एफ	3,75,48,55,673.00		3,56,12,54,396.97	3,30,35,82,563.69	-		30,42,00,925.22	
10	समाशोधन के अंतर्गत राशि								
जोड़		47,83,16,84,518.78	44,34,75,48,230.33	26,01,94,30,167.28	4,80,26,19,563.69	2,01,04,088.83	65,50,94,88,346.93	65,18,42,39,760.78	

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995						
वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्त तथा अदायगी लेखा						
(अंशदान लेखा)						
पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं.	अदायगियां
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे		रुपये
27,97,24,47,01,880.54	1.	01-04-2017को आदि शेष	32,58,82,02,79,708.62		1.	जाने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को दी गयी राशि:
3,21,08,65,21,427.67	2.	(i) नियोक्ताओं का अंशदान	3,66,18,23,32,452.61			(क) नियोक्ता के भाग की ब्याज सहित राशि
5,00,00,00,000.00		(ii) सरकार का अंशदान 2017-2018*	51,11,18,00,000.00	0.00		
		(iii) वर्ष 2016-17 तक सरकार के अंशदान का बकाया				(ख) प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ
37,84,80,00,000.00			0.00			(ग) जीवन बीमा लाभ
	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में शेष पर ब्याज	79,25,69,92,174.00			(घ) पेंशन
80,77,20,00,000.00					2.	पेंशन के संवितरण के लिए कमीशन
1,65,88,137.46	4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	5,06,86,685.78			के रूप में भुगतान की गई राशि
1,70,58,44,34,968.61	5.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	1,89,10,50,90,525.40			
2,08,87,44,941.72	6.	शास्तिक नुकसानी	3,22,19,94,736.90		3.	पेंशन निधि में दी गयी राशि
	7.	अन्य प्राप्तियां :		0.00		प्रशासकीय व्यय
		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	1,44,14,80,198.72		4.	छूट देने पर अंतरित की गयी प्रतिभूतियों की राशि
91,42,67,762.84						
0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11	0.00		5.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के
				90,01,58,044.86		रूप में अदा की गई राशि
					6.	अन्य भुगतान :
				1,60,05,748.00		((क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10
				0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11
				32,58,82,02,79,708.62	7.	31-03-2018 को अंत शेष
34,15,55,52,59,118.84		जोड़	39,49,19,06,56,482.03	34,15,55,52,59,118.84		जोड़

*इसमें न्यूनतम पेंशन 1,000.00 रु की प्रतिपूर्ति हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त रु. 10,71,00,00,000.00 की राशि शामिल है।

हो
(सुनील बडव्याल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

हो
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976									
वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियां तथा अदायगियां									
(अंशदान लेखा)									
पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं.	अदायगियां	राशि		
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	
1,81,19,28,74,510.16	1.	01-04-2017 को आदि शेष	2,07,47,63,81,918.07	3,86,45,99,465.80	1.	बीमा लाभ	5,79,43,34,727.02		
14,28,48,46,257.85	2.	नियोक्ताओं का अंशदान	17,31,15,88,878.61		2.	छूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को			
6,69,27,00,000.00	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में निवेश पर ब्याज	6,84,59,59,030.00	0.00		वापिस की गई राशि			0.00
9,00,52,30,383.29	4.	प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	10,38,64,57,028.20		3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के			
97,144.87	5.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	6,60,956.42	5,10,46,746.76		रूप में अदा की गई राशि	20,08,98,537.70		
17,66,35,274.95	6.	शास्तिक नुकसानी एवं धारा 7 क्यू के अंतर्गत ब्याज	20,04,34,515.76		4.	अन्य अदायगियां			
4,02,39,424.00	7.	अन्य प्राप्तियां :		5,94,864.49		लेखा संख्या 21	3,72,898.75		
		लेखा संख्या 21	6,68,37,548.00	0.00		लेखा संख्या 25	0.00		
0.00		लेखा संख्या 25	0.00	2,07,47,63,81,918.07	5.	31-03-2018 को अंत शेष	2,36,29,27,13,711.59		
2,11,39,26,22,995.12		जोड़	2,42,28,83,19,875.06	2,11,39,26,22,995.12		जोड़	2,42,28,83,19,875.06		

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976									
वर्ष 2017-18 का प्राप्ति और अदायगी लेखा									
(प्रशासन लेखा)									
पिछला वर्ष	क्र.सं..	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं..	अदायगियां	राशि		
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	
23,84,85,15,191.52	1.	01-04-2017 को आदि शेष	26,71,07,88,240.48	37,30,30,128.45	1	क.भ.नि.सं.पर 1% समानुपातिक व्यय			39,91,64,290.14
1,26,97,06,909.77	2.	नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासकीय प्रभार	63,08,98,956.34		2	अन्य अदायगियां :			
4,14,68,021.00	3	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	7,55,25,257.00	1,29,698.05		लेखा संख्या 22			41,196.15
94,52,695.09	4	शास्तिक नुकसानों एवं धारा 7 ब्यू के अंतर्गत ब्याज	1,71,04,712.97	1092.5		लेखा संख्या 24			0.00
1,91,44,89,113.11	5	निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,02,83,24,925.86	26,71,07,88,240.48	3	31-03-2018 को अंत शेष			29,06,38,78,672.78
3,15,911.99	6	बचत बैंक खाते पर ब्याज	4,33,704.42						
	7.	अन्य प्राप्तियां :	0.00						
1,317.00		लेखा संख्या 22	8,362.00						
0.00		लेखा संख्या 24	0.00						
27,08,39,49,159.48		जोड़	29,46,30,84,159.07	27,08,39,49,159.48		जोड़			29,46,30,84,159.07

हो
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

हो
(सुनील बड़थवाल)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अनुसूची जो 2017-18 की अवधि के लिए खातों का भाग होगी

अनुसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा पद्धति

वित्तीय विवरणी प्रोदभवन आधार पर तैयार की जाती है जब तक कि अन्यथा भारत सरकार द्वारा सिफारिश की गई लेखांकन हेतु आम प्रारूप की संबंधित प्रस्तुतिकरण आवश्यकताओं और लागू अनिवार्य लेखा मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत न कहा जाए।

2. सूची मूल्यांकन

स्टोर, स्टॉक और अतिरिक्त सभी मदों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

3. निवेश

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) ने वर्ष 2014-15 तक केवल ब्याज सहित निश्चित आय साधनों में ही निवेश करता था। क.भ.नि.सं. के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश का नए पैटर्न के अनुसार अगस्त, 2015 में उसने इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश करना आरंभ किया।

निधि द्वारा धारण किए गए निश्चित आय साधनों से आकलित अर्जनों के आधार पर प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों के कर्मचारी भविष्य निधि (क.भ.नि.) खातों में जमा होने वाला वार्षिक ब्याज निर्धारित किया जाता है। चूंकि ये परिपक्वता (मेच्यूरिटी) के लिए रखे रहते हैं, अतः इन ब्याज सहित साधनों की पूंजी वृद्धि / मूल्यहास पर विचार नहीं किया जाता।

यद्यपि क.भ.नि.सं. इक्विटी में निवेश को अनिवार्य/ आवश्यक बनाया है, पूंजी वृद्धि / मूल्यहास के लेखांकन पर उचित कार्रवाई का निर्णय लिया जाना चाहिए क्योंकि इक्विटी निवेश से प्राप्त रिटर्न, मुख्य रूप से पूंजीगत वृद्धि / मूल्यहास के जरिए हो सकता है, हालांकि लाभांश से कुछ नकदी प्रवाह हो सकता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन तथा इक्विटी निवेश के लेखांकन हेतु निम्नलिखित नीति अपनाई जानी प्रस्तावित है।

यूनिट आधारित एनएवी (इकाईकरण)

- किए गए इक्विटी निवेश को एनएवी आकलन के साथ-साथ तुलनपत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य हेतु या तो बाजार मूल्य (यदि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है) या उचित मूल्य का उपयोग कर बाजार मूल्य (मार्किट में चिह्नित) पर लेखांकन किया जा रहा है।
- निवेश का मूल्यांकन (एनएवी की गणना) मासिक आधार पर (महीने के अंतिम दिन) की जाए।
- क.भ.नि.सं. इक्विटी पोर्टफोलियो की एनएवी हमेशा सभी इक्विटी के बाजार मूल्य के बराबर होगी, जो उस इकाई की संचयी संख्या से विभाजित होगी जो उस तिथि को क.भ.नि.सं. ने अपने अंशदाताओं को आबंटित कर दिया हो।
- प्रति इकाई एन.ए.वी

राशि से संबंधित निवल परिसंपत्ति मूल्य

माह के अंत में यूनिट धारकों की संख्या

इकाई आबंटन मानदंड (पैरामीटर)

- रूपए 1 प्रति इकाई पर इकाइयों का अंकित मूल्य
- 4 दशमलव तक एनएवी की गणना
- 4 दशमलव तक सदस्यों के इकाई आबंटन

क.भ.नि.सं. के इक्विटी यूनिटों का लेखा प्रबंधन

- जब क.भ.नि.सं. इक्विटी इकाइयों को यूनिट के बिक्री मूल्य और अंकित मूल्य के बीच के अंतर पर बेचा जाता है, यदि परिणाम धनात्मक होता है, तो यह राशि रिजर्व में जमा किया जाए और यदि परिणाम ऋणात्मक होता है तो राशि आरक्षित / रिजर्व में से डेबिट की जाए, अंकित मूल्य को पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाए।
- जब यूनिटों की पुनर्खरीद (पुनः क्रय) की जाती है, तो यूनिट के खरीद मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर, यदि धनात्मक राशि हो आरक्षित भंडार में डेबिट किया जाए और यदि ऋणात्मक हो तो इसे रिजर्व में जमा किया जाए; अंकित मूल्य को पूंजीगत खाते में डेबिट किया जाए।

क.भ.नि.सं. इक्विटी यूनिट आबंटन पद्धति

- महीने के दौरान इक्विटी में किए गए निवेश उस सदस्य के व्यक्तिगत योगदान के अनुपात में व्यक्तिगत सदस्य खातों को आबंटित किया जाता है।

सदस्य के हिस्से के इक्विटी यूनिटों के समायोजन के उपरांत शुद्ध राशि ऋण योगदान के रूप में परिलक्षित होती है जिसे निश्चित आय प्रतिभूतियों में निवेश करती है।

- (यानि कि मासिक अंशदान - इक्विटी अंशदान = ऋण अंशदान)
- किसी सदस्य का उक्त माह हेतु मासिक अंशदान इक्विटी घटक का आनुपातिक हिस्से की गणना निम्न प्रकार की जाती है:-

= माह के दौरान क.भ.नि.सं. द्वारा इक्विटी में निवेश की गई राशि X माह के लिए सदस्यों का व्यक्तिगत अंशदान

माह के लिए सदस्यों का कुल अंशदान

- माह के अंत में एनएवी पर आधारित व्यक्तिगत सदस्यों को आबंटित क.भ.नि.सं. की इक्विटी इकाइयां

किसी सदस्य के मासिक अंशदान का क.भ.नि.सं. के इक्विटी घटक

माह के अंत में प्रति यूनिट एनएवी

क.भ.नि.सं. की इक्विटी प्रत्याहरण पद्धति

- सदस्य जो सेवा से बाहर होते हुए / सेवानिवृत्ति / अग्रिम लेने के लिए क.भ.नि. शेष का प्रत्याहरण करते हैं, उस मात्रा के क.भ.नि.सं. इक्विटी इकाइयों को रिडीम किया जाना चाहिए।
- चूंकि, महीना जिसमें सदस्य काम से बाहर हुआ हो/ सेवानिवृत्त हुआ हो या अग्रिम मांगा हो, उसमें एनएवी की गणना के इंतजार किए बिना तत्काल सदस्य के दावों का निपटान किया जाना है, अतः ऐसे रिडमशन के लिए विगत महीने का इक्विटी पोर्टफोलियो का एनएवी लागू होगा।
- क.भ.नि. योजना में कार्य छोड़ने वाले सदस्यों द्वारा किए गए प्रत्याहरणों से वर्तमान सदस्यों के अंशदान अधिकतर है। अतः कार्य से बाहर हो रहे सदस्यों के प्रत्याहरण के लिए वित्त पोषण करने हेतु अपने इक्विटी निवेश को परिसमाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान सदस्यों (प्रत्याहरण) द्वारा जारी इक्विटी यूनिटों के विरुद्ध वर्तमान सदस्यों द्वारा किए गए अंशदानों से नई इकाइयों के सृजन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।
- क.भ.नि.सं. के अंशदान से प्रत्याहरण अधिक होने की स्थिति में, वर्तमान सदस्यों को सही वित्तपोषण करने के लिए इक्विटी निवेश को परिनिर्धारित किया जा सकता है

प्रतिभूतियों की बिक्री पर लेखांकन प्रबंधन

- प्रतिभूतियों की विक्रय पर, प्रतिभूति के विक्रय मूल्य तथा खरीद मूल्य में अंतर यदि सकारात्मक (लाभ) हो, राशि रिजर्व में जमा की जाएगी तथा यदि नकारात्मक (नुकसान) हो तो रिजर्व में डेबिट किया जाएगा तथा अंकित मूल्य को पूंजी राशि में जमा किया जाएगा।

क.भ.नि.सं. के सदस्यों के विवरणियों में प्रकटीकरण

- किसी सदस्य के क.भ.नि.सं. विवरणी के दो भाग होंगे- नियत आय निवेश तथा इक्विटी निवेश से इकाइयां
- नियत आय निवेश भाग वर्तमान मानदंडों के अनुसार जारी रहेगा।
- इक्विटी निवेश को निम्नलिखित शीर्षों सहित सदस्य के खाते में पृथक से दर्शाया जाएगा:

अवधि (मासिक)	अंशदान	ईटीएफ यूनिट	लागू एनएवी	इक्विटी मूल्य	कुल

नोट: इस लेखा पद्धति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पहले उचित संशोधन करना आवश्यक होगा।

4. अचल परिसंपत्तियां :

- 4.1 वर्ष 2015-16 तक भूमि एवं भवन एक साथ दर्शाए जाते थे, हालांकि 2015-2016 से नए फार्मेट में भूमि को अलग दिखाया गया। भूमि को लीज भूमि एवं फ्री होल्ड भूमि के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।
- 4.2 सभी मदों पर व्यय जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, को परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है तथा ऐसी परिसंपत्ति पर मूल्यहास को वर्ष के दौरान किया गया खर्च माना जाएगा।
- 4.3 सभी मदों पर व्यय रु. 5000/- से अधिक लागत वाले तथा जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, को अचल परिसंपत्ति के रूप में विचार किया जाता है।
- 4.4 अचल परिसंपत्तियों को परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है ।
- 4.5 भूमि, भवन के अतिरिक्त सभी अचल परिसंपत्तियां जो 01.04.2015 (लेखांकन के आकस्मिक आधार से नकद आधार पर स्विच करने की तिथि)

से पहले अर्जित की गई हैं, का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति मद के नाम मात्र मूल्य पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण :

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, केवल भूमि एवं भवन को अचल परिसंपत्ति के रूप में माना जाता था, किंतु नई प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी मदों को अचल परिसंपत्ति के रूप में लिया जाता है तथा तदनुसार मूल्यहास लगाया जाता है। 01.04.2015 से पहले खरीदी गई और संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में बुक की गई सभी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति परिसंपत्ति और लेखांकन के लिए प्रारंभिक परिसंपत्ति के रूप में किया जाएगा। यह, भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गठित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी), जो संघ और राज्यों में प्रोद्घवन आधार पर लेखांकन की ओर पलायन पर कार्य कर रहा है, द्वारा जारी भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई.जी.एफ.आर.एस.) के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

5. मूल्यहास

- 5.1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधित) में निर्दिष्ट दरों से किया गया है।
- 5.2 पूंजीकरण के वर्ष के दौरान अचल संपत्ति जिसे 180 दिन से ज्यादा उपयोग किया गया है पर पूरी दर से मूल्यहास दिया गया और यदि 180 दिन तक उपयोग किया गया है तो आधी दर से दिया गया।
- 5.3 पट्टाधृत भवनों जैसे भवन जिनका सरकारी एजेंसियों से अधिग्रहण किया गया या पट्टे के वर्ष की निर्धारित संख्या के लिए एकमुश्त भुगतान किया गया, पर मूल्यहास पट्टा अवधि के संदर्भ में सीधी कटौती प्रणाली पर प्रदान किया गया।
- 5.4 पट्टाधृत भूमि पर अदा की गई एकमुश्त पट्टा राशि जो पट्टा अवधि पर प्रतिवर्ष उसी अनुपात में परिशोधित की गई।
- 5.5 पूर्ण स्वामित्व वाले भवन पर अर्जन की तिथि से दिनांक 01.04.2015 तक की अवधि के लिए मूल्यहास पहले लागू होगा। उसके पश्चात् दिए गए मूल्यहास चार्ट (मानचित्र) के अनुसार मूल्यहास की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(संदर्भ लेखा मानक-6 एवं 10)

स्पष्टीकरण: मूल्यहास की गणना करने के लिए संलग्न कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" के अनुसार मूल्यहास दर चार्ट का अनुसरण करने की आवश्यकता है।

6. सरकारी अनुदान /सब्सिडी

कर्मचारी पेंशन योजना में देय सरकारी अनुदान अंशदान को उपार्जन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

7. कर्मचारी देय:

7.1 मार्च माह के लिए कर्मचारियों को देय वेतन, अदायगी की वास्तविक तिथि कोई भी हो, उपार्जन आधार पर उसी वित्तीय वर्ष का व्यय माना जाएगा।

7.2 कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, ब्याज की वसूली अवधि कोई भी हो, वसूली की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

8. लीज

8.1 लीज शर्तों के संदर्भ में लीज किराए खर्च किए जाते हैं।

8.2 किराए के भवनों के लिए वर्ष के अंत में देय किराए की उपार्जन आधार पर लेखाबद्ध किया जाएगा तथा इस सीमा तक प्रावधान किया जाएगा।

9. ब्याज से आय

9.1 वर्ष से संबंधित निवेश पर ब्याज से आय को उस वर्ष की आय माना जाएगा।

9.2 चूंकि वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसे "ब्याज संचित परंतु अप्राप्त" लेखा शीर्ष के अंतर्गत आनुपातिक रूप में दर्शाया जाएगा।

9.3 निवेशों पर संचित और उपार्जित अप्राप्त ब्याज 2015-16 से संचित आधार (accrual basis) पर गिने जाते हैं।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

10.1 क.भ.नि.सं. पेंशन-सह-ग्रेच्युटि के लिए पृथक निधि का रखरखाव करता है क.भ.नि.सं. की इस मद से संबंधित मदों को बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में लेखाबद्ध किया जाता

है। बीमांकक मूल्यांकन के चलते निधि में जोड़ अथवा घटाव को क.भ.नि.सं. की आय अथवा व्यय, जैसा भी मामला हो के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है, पिछले लेखाकरण पद्धति-15 के मानकों के अनुसार कर्मचारियों के लाभों को बीमांकक मूल्यांकन एवं उपबंधों के अनुसार लेखाबद्ध किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभ लागत को उसी अवधि के लिए लेखाबद्ध किया जाना चाहिए जिसमें सेवा की गई है।

10.2 वर्ष के दौरान भुगतान किया गया छुट्टी नकदीकरण को उस वर्ष का राजस्व व्यय माना जाना चाहिए।

11. राजस्व पहचान

नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से यदि कोई वसूली होती है तो राजस्व को रोकड़ आधार पर लिखा जाता है। क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण, धारा 14बी के अंतर्गत नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत लगाए गए ब्याज का प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों में किया जाता है।

12. भवन निर्माण हेतु ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम

निर्माण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम को चालू परिसंपत्ति माना जाएगा और शुरुआत में "ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम" के रूप में दर्शाया जाएगा। वर्ष के अंत में माप के आधार पर जहां तक कार्य किया गया है, परंतु अभी पूरा नहीं किया है तब राशि को "पूँजी कार्य प्रगति में" हस्तांतरित किया जाएगा।

13. किसी शीर्ष को जोड़ना/ हटाना

नीति निर्णय अथवा सांविधिक जरूरत के कारण, यदि लेखे के नए शीर्ष को जोड़ने/हटाने की आवश्यकता हो तो इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाना चाहिए जो वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, क.भ.नि.सं. है।

अनुसूची 45 : आकस्मिक दायित्व एवं लेखों पर नोट :

1. आकस्मिक दायित्व

क्र.सं.	आकस्मिक दायित्व	चालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)
1.1	वे एनटाइटी जिन्हें ऋण नहीं माना गया है के विरुद्ध किए गए दावे		
(क)	सेवाकर	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर कार्यान्वित किए जाने वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य का आकलन करना बाकी है तथा 31,773.99 लाख रुपये हेतु यह उपलब्ध कराया जाना है। पिछले वर्ष के अंत में यह 19,244.43 लाख रुपये।

लेखों पर नोट

I. सामान्य लेखा प्रारूप अपनाना

वित्त मंत्रालय ने 2001 में सामान्य लेखा प्रारूप निर्धारित किया था जिसका केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा अपने लेखें तैयार करते समय अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था। लेखा के प्रारूप का उद्देश्य केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों में पारदर्शिता एवं एकरूपता लाना था। समेकित वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में लेखों के सामान्य प्रारूप को न अपनाए जाने को बार-बार उठाया जाता है।

वर्ष 2015-16 में पहली बार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य लेखा प्रारूप के आधार पर लेखों का एक मसौदा प्रारूप तैयार किया गया। क.भ.नि.सं. द्वारा की जा रही गतिविधियों के अनुसार कुछ परिवर्तन किए गए। इसी प्रकार, क.भ.नि.सं. द्वारा वर्तमान रोकड़ आधारित लेखा प्रणाली के स्थान पर संभूति लेखा प्रणाली अपनाने के लिए अपनाई जाने वाली मसौदा लेखा नीतियां भी तैयार कर ली गईं। प्रारूप एवं नीतियों का वित्त, निवेश एवं लेखा समिति तथा के.न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है। तत्पश्चात् लेखों के प्रारूप को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक से परामर्श के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रस्तुत लेखों के प्रारूप के मसौदा और लेखा नीतियों के मसौदा को अपनी स्वीकृति दे दी है और वर्तमान में वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास अधिसूचना हेतु प्रस्तुत है।

क.भ.नि.सं. ने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा स्वीकृत सामान्य प्रारूप में उपार्जन आधार पर लेखांकन पर वर्ष 2017-18 के लिए समेकित वार्षिक लेखे तैयार किए हैं। उपार्जन आधार पर लेखांकन और उपार्जन आधार पर मार्च, 2018 के व्यय की बुकिंग का प्रथम वर्ष होने के कारण, लेखांकन वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय 13 महीनों के लिए बुक किया गया है।

II. उपार्जन आधार पर व्यय पर कार्रवाई

(क) अप्रैल, 2018 में भुगतान किए गए मार्च, 2018 माह के लिए वेतन और अन्य व्यय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखों में बुक किए गए हैं। अतः उपार्जन आधार पर व्यय बुक करने का प्रथम वर्ष होने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन अन्य 13 महीने अर्थात् मार्च, 2017 से मार्च, 2018 माह तक बुक किए गए हैं।

(ख) आय और व्यय लेखों में पूर्व अवधि की 7,04,000.00 रुपये की आय और 26,87,25,347.91 रुपये का व्यय शामिल है।

III. सांविधिक देयों की वसूली

1. धारा 7ए के अंतर्गत अप्राप्य श्रेणी (कोर्ट स्टे, समापन तथा बीआईएफआर मामले) 14-बी के अंतर्गत नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की राशि को योजनावार दिखाया गया है।

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	चालू वर्ष- 7ए के अंतर्गत संचयी राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं अप्राप्य श्रेणी के अंतर्गत 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)		पिछला वर्ष- 7ए के अंतर्गत संचयी राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं अप्राप्य श्रेणी के अंतर्गत 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)	
		बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज	बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज
1.	कर्मचारी भविष्य निधि	2,19,543.43	1,81,360.06	2,06,525.19	188844.05
2.	क.भ.नि. प्रशा. निधि	15,454.59	17,861.75	15,313.70	12684.66
3.	कर्मचारी पेंशन योजना	1,08,850.06	82,231.21	1,04,151.06	92336.92

4.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.)	9,686.75	7,707.78	9,149.74	7594.30
5.	ई.डी.एल.आई. प्रशा. निधि	373.83	274.65	307.79	249.15
कुल		3,53,908.66	2,89,435.45	3,35,447.48	2,89,024.40

(स्त्रोत एम.आई.एस.)

2. 7ए के अंतर्गत अप्राप्य श्रेणी राशि, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज तथा नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से वसूली, सभी के संबंध में राजस्व नकद आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।
3. वसूली की अनिश्चितता के कारण तथा कार्यवाही पूर्ण होने से पहले वसूली की सटीक राशि की मात्रा का पता न चल पाने के कारण, राजस्व की पहचान को लेखांकन मानक-9 के उपबंधों के अनुसार राजस्व पहचान के संबंध में स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, वास्तविक अंशदान राशि की प्राप्ति होने पर इसे क.भ.नि. सदस्य खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए न कि देय के आधार पर ।

IV कर्मचारी पेंशन निधि

कर्मचारी पेंशन निधि का अंतिम बीमांकन मूल्यांकन 31.03.2015 को किया गया था और रिपोर्ट किए गए प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:-

- i. क.पें.यों. के लिए वेतन सीमा में कुछ समय से बढ़ोतरी नहीं की गई है, मंहगाई के कारण लाभों का क्षरण हो जाता है, परंतु वेतन सीमा में बढ़ोतरी के प्रभाव पर विचार करते हुए जिसका योजना की वित्तीय सेहत पर प्रभाव पड़े, मंहगाई का ध्यान रखने के लिए कुछ वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। क.पें.यो. के लिए वेतन सीमा में कोई भी बढ़ोतरी निधि पर प्रभाव को देखते हुए की जानी चाहिए। हमारे विचार में वेतन सीमा में यदि कोई भी वृद्धि की जाती है तो योजना में संशोधन की आवश्यकता होगी जिससे वेतन सीमा के विभिन्न स्तरों पर सेवा क्रेडिट दिया जा सके।

- ii. पेंशन भुगतान पर महंगाई से कोई सुरक्षा नहीं है, इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है, परंतु इससे योजना के वित्त पर भार पड़ेगा। मूल्यांकन अधिशेष की स्थिति में एक प्रावधान है जिस पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।
- iii. योजना के उचित मूल्यांकन हेतु सभी प्रकार के लाभार्थियों के पूर्ण डाटा के एकीकरण के लिए एक अभियान चलाया गया। चालू वर्ष में डाटा को एकत्र करने के लिए एक प्रयास किया गया और हमें पेंशनभोक्ताओं तथा लाभार्थी पेंशनभोक्ताओं का 100% डाटा तथा सक्रिय सदस्यों का 58% डाटा प्राप्त हो गया है जो पूर्ववर्ती डाटा प्रावधान की तुलना में काफी ज्यादा है। सदस्यों की अन्य श्रेणियों तथा सक्रिय सदस्यों के लिए शेष डाटा भी एकत्र किया जाना चाहिए।
- iv. क.भ.नि.सं. में सांख्यिकी प्रकोष्ठ बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि योजना विशेष के संबंध में मृत्यु दर, क्षयण तथा वेतन बढ़ोतरी में वृद्धि सृजित किया जा सके।
- v. कैश फ्लो पर विचार करते हुए उचित परिसंपत्ति दायित्व मिलान तथा धन का निवेश होने से समुचित निवेश तथा निधि की आय में सहायता मिलेगी। निवेश विभाग उच्च आय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाभ विभाग के साथ मिलकर कार्य करे। यह तभी संभव हो सकता है, जब कैश फ्लो अनुमान के लिए आवश्यक डाटा उपलब्ध हो।
- vi. पेंशन एक दीर्घावधि की देयता है तथा रियायत दर एवं आय दर आर्थिक अवयवों के अनुसार होती है। ऐसा संभव नहीं होता कि इतने लंबे समय तक आर्थिक अवयव स्थिर रियायत एवं आय दर पर विचार करने से वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में देयता आधारित परिदृश्य का पता चल सकेगा। चूंकि योजना लगातार चल रही है तथा लाभ एवं अंशदान परिभाषित है, बीमांकक पैरामीटरों में किसी अंतर को वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है जिसमें कि वर्ष-दर वर्ष योजना का परिप्रेक्ष्य मिल सके।

- vii. संवेदी विश्लेषण की सिफारिश तभी की जा सकती है जब ऐसा करने के लिए डाटा उपलब्ध हो, फिलहाल वर्तमान में उपलब्ध डाटा एवं मूल्यांकन के उद्देश्य के अनुसार विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।
- viii. 5026.86 करोड़ रूपए के अधिशेष से भुगतान में पेंशन पर 5% की एक बार राहत संभव है, हम जानते हैं कि 1000/- रु. की न्यूनतम पेंशन के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी, चूंकि डाटा 15 मार्च तक का है तथा राहत प्रत्याशित है, इसलिए एक बार दी जाने वाली राहत के मूल्य पर विचार करने के बाद भी 100 करोड़ रूपए का अधिशेष रहेगा, यह अधिशेष, हमें लगता है कि आवश्यक है क्योंकि निधि की कुल देयता अधिक है।
- ix. भविष्य में कोई भी राहत तभी दी जाएगी जब भविष्य में कोई अधिशेष हो।
- x. मूल्यांकन परिणाम :

कुल देयता वर्गीकरण	रूपए करोड़ में
(क) सभी लाभों का वर्तमान मूल्य	5,25,315.42
(ख) अंशदान का वर्तमान मूल्य	2,91,810.45
(ग) सभी लाभों का कुल वर्तमान मूल्य (ग)=(क)-(ख)	2,33,504.98
31-03-2015 को संग्रह (घ)	2,38,531.84
कुल देयता {(ग)-(घ)}	(-) 5,026.86

इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि मूल्यांकन परिणामों में बीमांकक ने कुल देयता का कुल परिणाम 5026.86 करोड़ रूपए माईनस में दर्शाया है, क्योंकि यह क.भ.नि.सं. की देयता है किन्तु आंकड़ा "अधिशेष" में है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए वार्षिक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

V. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि का बीमांकक मूल्यांकन अंतिम बार 01.09.2014 वर्ष के लिए किया गया तथा इसकी विस्तृत निष्कर्ष रिपोर्ट निम्नलिखित है:

वर्तमान लाभों सहित क.नि.स.बी.यो. में शोधन-क्षमता की कोई तत्काल समस्या नहीं है, योजना का आधार मजबूत है तथा वर्तमान दस्ता (cohort) में लाभ संधारित कर सकती है।

- I. योजना की संधारिता का प्रमुख कारण 13,711 करोड़ रु. की वर्तमान संग्रह राशि की उपलब्धता है।
- II. योजना के वार्षिक मूल्यांकन की सिफारिश की जाती है।
- III. यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में योजना में कोई भी संशोधन औपचारिक मूल्यांकन के बाद ही किया जाए।
- IV. योजना का मॉरटैलिटी अनुभव कुछ समय बाद बदल जाएगा, तथा यह सुझाव दिया जा सकता है कि योजना के लिए एक अनुभव मॉरटैलिटी टेबल बनाया जाए।

VI. सदस्य खाते:

(क) **निष्क्रिय खाते:** किसी ऐसे सदस्य से संबंधित संग्रह जो नौकरी छोड़ चुका है अथवा जिसकी मृत्यु हो चुकी है, किंतु पैरा 69 अथवा 70 के अंतर्गत प्रत्याहरण अथवा अंतरण का कोई आवेदन, जैसा भी मामला हो, भुगतान की देय तिथि से 36 माह के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है (यदि नौकरी छोड़ने का कारण त्यागपत्र है तो नौकरी छोड़ने की तिथि से 60 दिन के भीतर भविष्य निधि देय होता है। हालांकि 60 दिन की प्रतीक्षा अवधि ऐसे मामले में लागू नहीं होती जब कर्मचारी ने विदेश जाने के लिए त्यागपत्र दिया हो अथवा महिला कर्मचारी ने विवाह कर लिया हो) भविष्य निधि ऐसे मामलों में तत्काल दिया जाता है जब नौकरी छोड़ने का कारण सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्थायी अशक्तता तथा मृत्यु हो अथवा किसी व्यक्ति को प्रेषित राशि अगर वापस आ जाए तथा देय तिथि से 36 माह के भीतर दोबारा उसका दावा न किया जाए तो ऐसी राशि को निष्क्रिय खाते में अंतरित कर दिया जाता है। ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72 (6) के अंतर्गत निष्क्रिय खातों की परिभाषा में दिनांक 11-11-2016 को संशोधन किया गया। वर्ष 2016-17 के समेकित वार्षिक लेखों में निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत एवं रिपोर्ट की गई राशि 11-11-2016 से पहले की परिभाषा पर आधारित है। 'निष्क्रिय खातों' की संशोधित परिभाषा के आधार पर, इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत राशि को सूचना सेवा प्रभाग द्वारा भी केंद्रीकृत रूप से दिखाया जाता है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, जहां जन्म तिथि उपलब्ध है, वहां निष्क्रिय खातों की राशि 1,344,79 करोड़ रुपये है तथा ऐसे खातों की संख्या 5,47,018 लाख है। नई परिभाषा के

अनुसार निष्क्रिय खातों के लिए अपेक्षित डाटा की अनुपलब्धता के कारण शेष मामलों की 'निष्क्रिय खातों' के रूप में पहचान अथवा वर्गीकरण किया जाना शेष है।

(ख) अद्यतन हेतु लंबित वार्षिक लेखे

वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों को अद्यतन किया गया और 31.03.2018 को केवल 20,21,32,783 खाते अद्यतन के लिए लंबित थे।

(ग) अनियमित भुगतान, अधिक भुगतान और ऋणात्मक शेष

दिनांक 31.03.18 को, क्रमशः रु 5.88 करोड़ और रु. 6.35 करोड़ "अनियमित भुगतान" और "अधिक भुगतान" शीर्ष में अंतर्शेष थे। अधिक भुगतान या अनियमित भुगतान के जानकारी होने पर नुकसान की भरपाई उस नुकसान के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से की जाती है। इन भुगतानों को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है तथा गठित की गई अधिक भुगतान समीक्षा जिसके अध्यक्ष क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त होते हैं, द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है। फील्ड कार्यालयों द्वारा सिविल/अपराधिक मुकदमें ऐसे मामलों में संलिप्त संगठन के कर्मचारियों एवं बाह्य व्यक्तियों पर दायर किए गए हैं। आंतरिक लेखा दलों को उचित निदेश दिए गए हैं कि फील्ड कार्यालयों के ऑडिट के दौरान अधिक भुगतान एवं अनियमित भुगतान के मामलों की जांच करें।

(घ) अंशदाता खातों में नकारात्मक शेष

31.03.2018 को, 2,51,483 अंशदाता खातों में 269.30 करोड़ रुपये का नकारात्मक शेष सामने आया।

क.भ.नि.सं. द्वारा ऋणात्मक शेष के समाधान का कार्य आरंभ किया गया है। ऋणात्मक शेष के कारणों की जांच के लिए अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक प्रयास आरंभ किए गए हैं। यह पाया गया कि ऋणात्मक शेष का कारण अधिकांशतः लेखा त्रुटियां / सॉफ्टवेयर त्रुटियां थीं। यद्यपि कुछेक मामलों में यह अधिक भुगतान के कारण था। अधिक भुगतान समिति को ऐसे ऋणात्मक शेष के कारणों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है। यदि ऋणात्मक शेष किसी कर्मचारी की अनदेखी के कारण है तो समिति संबंधित कार्मिक से वास्तविक राशि की वसूली की सिफारिश करती है।

VII. निवेश

(क) वसूली हेतु लंबित निवेश

मूल राशि एवं इस पर ब्याज एवं क.भ.नि.स द्वारा की गई कार्रवाई परिशिष्ट -'क' पर संलग्न है।

(ख) टी.डी.एस. का रिफंड

वर्ष 1997-1998 से 2005-2006 के दौरान टी.डी.एस. के रूप में 8.37 करोड़ की राशि गलती से कटौती की गई और आयकर विभाग में जमा कराई गई। काटी गई राशि को ब्याज सहित वापस करने हेतु मामले को सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ यू-ओ नोट दिनांक 20.06.2018 द्वारा उठाया गया है, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि रु 8,36,98,105.70 की राशि ब्याज सहित शीघ्रतम लौटाने के लिए माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार के स्तर पर मामला माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार के साथ आयकर प्रधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु उठाया जाए। अपर सचिव भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पत्र दिनांक 16.07.2018 द्वारा अनुरोध किया गया है कि टैक्स कटौती का विवरण, काटे गए टैक्स, तिथिवार एवं टैक्सवार प्रमाणपत्र संख्या एवं प्रत्येक प्रमाणपत्र की तिथि सहित उपलब्ध कराए।

(ग) निवेश के आंकड़ों के बीच अंतर

तुलनपत्र में दर्शाए गए निवेश आंकड़ों में तथा निवेश भाग की होल्डिंग आंकड़ों में अंतर का कारण ये है कि तुलनपत्र में ऋण परिशोधन के बाद निवेश आंकड़ों को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है, वही निवेश रिकॉर्ड में इसे अंकित मूल्य पर रखा गया है। अतः ऋण परिशोधन के पश्चात् लागत मूल्य तथा अंकित मूल्य का अंतर, दिए गए प्रीमियम / लिए गए डिस्काउंट की सीमा पर निर्भर करता है तथा उस सीमा तक इसका ऋण परिशोधन कर दिया गया है। चूंकि प्रतिभूतियां नियमित रूप से खरीदी जाती हैं, ऋण परिशोधन की गणना एक अति सक्रिय एवं निरंतर प्रक्रिया है तथा इसकी कंप्यूटिंग हेतु एक समर्पित सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है।

VIII. उंचत खाते

उंचत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	70,36,16,853.78
जोड़े: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	2,25,66,65,630.85
जोड़	2,96,02,82,484.63
घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	1,99,78,27,671.82
अंतशेष	96,24,54,812.81

उंचत खाता (प्राशासनिक निधि), अनुसूची संख्या 15 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	51,70,71,904.97
जोड़े: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	1,96,20,28,597.45
जोड़	2,47,91,00,502.42
घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	2,27,33,29,159.35
अंतशेष	20,57,71,343.07

उंचत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 19 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	
प्रारंभिक शेष	82,73,39,191.78
जोड़े: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	1,65,71,12,019.91
जोड़	2,48,44,51,211.69
घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	1,60,68,43,835.65
अंतशेष	87,76,07,376.04

उंचत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 28 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	
प्रारंभिक शेष	22,76,81,077.16
जोड़े: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	8,79,46,798.35
जोड़	31,56,27,875.51
घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	8,79,95,610.63
अंतशेष	22,76,32,264.88

पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई:

निजी क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन के लिए पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई सरकार की प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएं हैं। ये योजनाएं अक्टूबर, 2016 के दौरान शुरू की गई तथा सरकार इस उद्देश्य के लिए इंडियन बैंक स्थित क.भ.नि.सं. के बैंक खाते के द्वारा सहायता- अनुदान उपलब्ध कराती है।

पी.एम.आर.पी.वाई योजना नए भविष्य निधि सदस्यों के संबंध में पेंशन अंशदान से जुड़ी नियोक्ता की जिम्मेदारी को कम करती है। क.भ.नि.सं. उपर्युक्त बैंक खाते से काटी गई राशि की सीधे प्रतिपूर्ति कर देता है।

पी.एम.पी.आर.पी.वाई वस्त्र क्षेत्र की विशिष्ट योजना है, जिसमें नियोक्ता के पूरे भाग (कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान दोनों) की क.भ.नि.सं. को प्रतिपूर्ति उपलब्ध है।

पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई के लिए बनाए गए बचत बैंक खातों पर अर्जित ब्याज को लेखा उद्देश्यों के लिए विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है जबकि दोनों योजनाओं की उपयोग न की गई सहायता अनुदान राशि को क्रमशः पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई योजनाओं के लिए क.भ.नि. योजना तथा कर्मचारी पेंशन योजना में अग्रिम के रूप में रखा जाता है।

(IX) केंद्रीकृत बैंक संग्रह खाते:

दिसंबर, 2016 के दौरान, क.भ.नि.सं. ने विविध बैंकों में, एक बैंक खाते में सांविधिक अंशदान के केंद्रीकृत प्राप्ति को अपनाया है जबकि पहले सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के विकेंद्रीकृत पांच एकत्रीकरण खातों में प्राप्ति की जाती थी। निधि की केंद्रीकृत प्राप्ति को इस प्रकार किया जाता है:

- i. डुप्लीकेट टी.आर.आर.एन. में गलती से किए गए जमा देयता है, जिसे भविष्य में रिफंड किया जाएगा। लेखा सुविधा के लिए इसे भविष्य निधि योजना खाते में दिखाया जाता है।
- ii. जमा की गई असमेकित राशि को भविष्य निधि योजना खाते में देयता के रूप में देखा जा सकता है। राशि के समेकन के बाद इसे अंशदान के रूप में संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।
- iii. लेन-देन की जांच के लिए बैंक द्वारा किए गए जमा को आय एवं व्यय लेखे में विविध आय के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार, बैंक प्रभार को भविष्य निधि योजना के आय एवं व्यय लेखे में दर्शाया जाता है।
- iv. एकल एकत्रीकरण लेखों के अंत शेष को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बैंक शेष के रूप में दिखाया जाता है।

(X) अंचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 24)

(क) अन्य अंचल परिसंपत्तियों में परिसंपत्तियां जैसे बायोमैट्रिक मशीन, टेबल के शीशे, अग्निशमक, पानी के फिल्टर शामिल हैं।

(ख) जमीन जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से पंजीकृत नहीं है निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	अंचल/कार्यालय का नाम	भूमि का विवरण
1	चैन्नै एवं पुदुचेरी	स्टाफ क्वार्टर्स, नुनगमबकम्म (फेस I एवं II)
2	मुख्यालय	क.भ.न.सं. मुख्यालय, 14 भीकाजी कामा प्लेस, हाडको विशाला भवन में निर्मित कार्यालय स्थान हाडकों से लीज के आधार पर लिया गया था, परन्तु आजतक डीड क.भ.नि.सं. के नाम पर पंजीकृत नहीं हुई है। 31.03.2018 को इस भवन का बुक मूल्य केवल 21,71,07,673/- रुपये है।

स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि:

कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1962 के साथ पठित क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5-डी में दिए गए उपबंध के अनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के अधिकारी एवं कर्मचारी केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के समान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी लाभों के पात्र हैं। सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 यथोचित परिवर्तनों सहित क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. को उनके कर्मचारियों के प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के दायित्वों का पर्याप्त रूप से निर्वाह करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 1965 से कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि का सृजन किया गया था। निधि का पोषण स्थापनाओं पर लगाए गए अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार से होता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 23.02.2006 को हुई उनकी 174वीं बैठक में अंशदान को मासिक हस्तांतरण द्वारा दिनांक 23.02.2006 से पहले हस्तांतरण कुल परिलब्धियों के 12.4% से बढ़ाकर कुल परिलब्धियों के 21% करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. ने उपर्युक्त बैठक में पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि की बीमांकक द्वारा द्विवार्षिक आधार पर मूल्यांकन करने की भी सिफारिश की।

बीमांकक ने नवम्बर, 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुल अनुमानित लाभ भार (पी.बी.ओ.) नीचे सारणीबद्ध है:

(रुपये करोड़ों में)

(i)	पेंशन	9,809.39
(ii)	ग्रेच्युटी	750.27
(iii)	कुल देयताएं (i) + (ii)	10,559.66
(iv)	31.03.2015 को प्राप्त बकाया	2,269.68
(v)	घाटा (iii) - (iv)	8,289.98
(vi)	31.03.2017 तक पेंशन- सह- ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,706.81
(vii)	01-04-2017 से 31-03-2018 तक पेंशन- सह- ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,728.80
	शेष घाटा [(v) - (vi)]	4,854.37

बीमांकक की रिपोर्ट केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा स्वीकार की गई और, उसके पश्चात् प्रशासनिक प्रभार की अतिरिक्त राशि निधि की आवश्यकता की पूर्ती हेतु कर्मचारी पेंशन सह-ग्रेच्यूटी निधि में हस्तांतरित की जा रही है। रु.3,435.61 करोड़ की राशि कर्मचारी पेंशन सह-ग्रेच्यूटी निधि में हस्तांतरित की जा चुकी है।

ह०

(हेमंत जैन)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०

(सुनील बड़वाल)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के संबंध में ब्याज एवं परिपक्वता की बकाया चूक की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण- मार्च (31-03-2018)

क्र.सं	स्थापना का नाम	मूल(प्रतिभूति का अंकित मूल्य)/आंशिक रूप से छुड़ाना	कूपन ब्याज	कूपन ब्याज(अल्प प्राप्ति)	विलंबित अवधि का ब्याज / परिपक्वता / ब्याज राशियों के देरी से भुगतान पर अर्जित ब्याज	वर्तमान स्थिति
1	मैसर्स उत्तर प्रदेश वित्तिय निगम (1 अप्रैल, 2004 से)	25,00,00,000.00			956,759,059.82 (31-03-2018)	यूपीएफसी मूल राशि के भुगतान के लिए यूपी(लखनऊ बैंच) के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का पालन करने में विफल रहा है। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.08.16 द्वारा उप.क्षे.का. लखनऊ को एक पत्र भेजा गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उप.क्षे.का. द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता यूपी पीआईसीयूपी और यूपीएफसी के मामले को देखते रहेंगे। इसके अलावा क्षे.भ.नि.आ., उप.क्षे.का. लखनऊ को भी पत्र संख्या दिनांक 11.11.2016 द्वारा अनुरोध किया गया कि वह मामले की रिट याचिका संख्या 1760 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए उच्च न्यायालय में अवमानना दायर करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.01.2017, 20.03.2017 और दिनांक 08.05.2017 के द्वारा अनुबन्ध के अनुसार मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए एस सी बी के साथ उठाया गया है। टिप्पणी-27.09.2018 को यूपीएफसी से मूल राशि के रूप में 25,00,00,000.00 प्राप्त हुए हैं।
2.	मैसर्स प्रदेशीय इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड (यूपी पीआईसीयूपी)(जुलाई, 2003 से)	-		-	37,588,237.26	यूपी-पीआईसीयूपी ब्याज राशि के भुगतान के लिए यूपी (लखनऊ बैंच) के मननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का पालन करने में विफल रहा है। दिनांक 16.08.2016 को दिए गए इस कार्यालय के पत्र के बारे में उप.क्षे.का. लखनऊ को एक पत्र भेजा गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उप.क्षे.का. लखनऊ द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव यूपी पीआईसीयूपी और यूपी एसएफसी के मामले को देखते रहेंगे। इसके अलावा क्षे.भ.नि.आ., उप.क्षे.का. लखनऊ से भी इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.11.2016 द्वारा डबल्यू पी संख्या 1759 में मामले की जल्द सुनवाई के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.01.2017, 20.03.2017 और 08.05.2017 के द्वारा मामले में समझौते के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने लिए एस सी बी के साथ उठाया गया है। इस मामले पर श्री जयदीप जयकर, निदेशक एससीबी के साथ 08.06.2017 को टेलिफोन पर बात की गई, जिन्होंने बताया कि एससीबी वर्ष 2011 के डबल्यू पी संख्या 1760 के मामले में आवेदन करने के लिए अधिवक्ता के साथ सम्पर्क में है। टिप्पणी- 29.10.2018 को पीआईसीयूपी से रुपये 2,38,07,502.00 ब्याज राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं।

3.	मैसर्स रिचर्ड एण्ड कूडस (आरसीएल) (मार्च, 2002 से)	-	-	-	36,774,572.04	क.भ.नि.सं. ने देयों की वसूली हेतु रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता ने क.भ.नि.सं. से निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। क.भ.नि.सं. ने एस सी बी को दिनांक 25.07.2014 को पत्र द्वारा अधिवक्ता से उन कागजातों को एकत्र करने के लिए कहा जिसमें यह दिखाया गया है कि क.भ.नि.सं. ने संपूर्ण देयों की वसूली हेतु रिचर्डसन एंड कूडस लिमिटेड (आरसीएल) के संबंध में वर्ष 1992 के बीआईएफआर मामला संख्या 509 में अपना दावा फाइल किया है। मामले को हल करने के लिए हमारे पत्र दिनांक 19.09.2016 तथा दिनांक 17.03.2017 द्वारा विलंबित देयों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया गया है। पत्र दिनांक 22.05.2017 तथा दिनांक 09.11.2017 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आर एंड सी एल) के साथ और संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 31.05.2018 तथा एस सी बी को पत्र दिनांक 08.10.2018 बकाया ब्याज के भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को उठाया गया है।
4.	मैसर्स बैंगलोर महानगर पालिका(बीएमपी) (2004 से)	-	-	-	2,05,02,313.00	बॉन्ड मूल्य का 30% अर्थात् ₹ 6 करोड़ को 31.12.2004 को भुनाया जाना था, जिसे 15.11.2005 को भुगतान किया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने विलंबित अवधि अर्थात् 31.12.2004 से 31.10.2008 के लिए ब्याज अर्थात् ₹ 1,13,59,987 के कुल देयों की मांग की, क्योंकि देयों का भुगतान जारीकर्ता अर्थात् बी बी एम पी द्वारा नहीं किया गया था अतः सिविल जज, बंगलौर की अदालत में एक वसूली मुकदमा दायर किया गया, इसे खरिज कर दिया गया कि भारतीय स्टेट बैंक गलत है। अब पत्र दिनांक 10.01.2017 द्वारा एस एस बी, एस.बी.आई. मुंबई को सूचित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने ₹ 2,05,02,313.00 की बकाया राशि में से भारतीय स्टेट बैंक की पोर्टफोलियो प्रबंधन फीस में से ₹ 2,00,92,365.85 की राशि की वसूली का निर्णय लिया है। इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर 2016 की तिमाही हेतु, त्रैमासिक बिल में से ₹ 4,09,942.15/- की शेष राशि की वसूली की गई है। उपरोक्त पैरा के वांछित उत्तर को पहले ही आई एम सी प्रभाग ने अपने पत्र यू ओ नोट दिनांक 11.05.2017 द्वारा उप निदेशक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया है।
5.	मैसर्स पीएसआईडीसी (2013 से* - वर्ष 2004 से देरी से परिपक्वता और ब्याज भुगतान पर अर्जित ब्याज लंबित हैं)	65,00,000.00	15,432,609.16	-	3,069,149.30	अध्यक्ष पी एस आई डी सी को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12.12.2014 द्वारा चूक राशि की वसूली हेतु एक दावा फाइल किया गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को लंबित देय भुगतानों को के.न्या.बो. क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए दिनांक 19.04.2016 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को 16.08.2016 को अनुस्मारक भी भेजा गया है। चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी लंबित देय भुगतानों के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एस आई डी सी द्वारा जारी बॉन्ड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने के लिए गवर्नर, आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 15.03.2017, 13.07.2017 तथा 05.02.2018 को तथा मैसर्स पी एस आई डी सी

						को 15.03.2017 तथा दिनांक 13.07.2017 द्वारा अनुस्मारक जारी किया गया है।
6.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) बीआईएफ आर मामला(1996 से)	-	-	-	405,084.00	सिटी सिविल न्यायालय बंगलौर में वसूली मुकद्दमे दायर किए गए हैं। एच एम टी ने एस आई सी ए की धारा 22 के अंतर्गत आगे की कार्यवाही पर स्टे हेतु एक आवेदन फाइल किया है। मामला अभी भी लंबित है। अधिवक्ता को बीआईएफ आर पर राय प्रस्तुत करने तथा स्टे ऑर्डर को चुनौती देने और स्थिति रिपोर्ट से अवगत करवाने के लिए दिनांक 09.05.2013, 11.03.2016, 16.08.2014, 27.03.2015 तथा 05.05.2016 को पत्र जारी किया गया है।
7.	मैसर्स पंजाब फाउन्डेशन कापिरिशन (2014 से)	42,20,000.00	4,683,461.97	-	986,810.58	अध्यक्ष, पी एफ सी को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12.12.2014 द्वारा चूक की राशि की वसूली हेतु दावा फाइल किया गया है इसके अलावा सभी लंबित देय भुगतानों को के.न्या.बो. क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 19.04.2016 को एक अर्ध शासकीय पत्र जारी किया गया है। मुख्य सचिव पंजाब सरकार को दिनांक 16.08.2016 को पुनः अनुस्मारक भी जारी किया गया है। चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी लंबित देय भुगतानों के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एफ सी द्वारा जारी बांड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए गवर्नर , आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 27-04-2017, 19-9-2017, 13-2-2018 तथा 4-12-2018 और मैसर्स पी एफ सी को 27.04.2017 , 19.09.2017 , 16.02.2018 को अनुस्मारक जारी किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट - टिप्पणियां	संगठन की अभ्युक्तियां
हमने 31 मार्च, 2018 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के संलग्न तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (6) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (दायित्व, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियों में मुख्यालय, 135 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.), पीडीनास तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (नई दिल्ली एवं बंगलूरू) के क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण सहित 21 आंचलिक कार्यालयों के लेखे शामिल हैं। मुख्यालय के इन लेखों में 06 आंचलिक कार्यालय, पीडीनास तथा 18 क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई तथा टिप्पणियों को इस रिपोर्ट में उचित प्रकार से शामिल किया गया है। ये वित्तीय विवरणियां क.भ.नि.सं. के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणियों पर अपने लेखा परीक्षा के आधार पर, अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। 2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रक्रियाओं के साथ समानरूपता, लेखा मानक और प्रकटीकरण के मानदंड आदि से संबंधित लेखा निरूपण पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां निहित हैं। विधि अनुपालन, नियम व विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता एवं कार्यपालन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हों, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है। 3. भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा इस प्रकार योजना बनाकर की जाए जिससे कि वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण न होने के	1. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं। 2. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं। 3. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।

संबंध में उचित आश्वासन मिल सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में परीक्षण आधार पर प्रकटित राशियों को समर्थित करने वाले प्रमाणों को परखना शामिल है। वित्तीय विवरणियों के कुल प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अलावा, प्रबंधकों द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों तथा लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत का यथोचित आधार बनेगी। 4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :- (i) रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के अनुसार हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जोकि हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक था; (ii) समेकित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार तैयार किया गया है। (iii) हमारे विचार में, क.भ.नि.सं. की लेखा बहियों एवं अन्य संगत अभिलेखों की जांच के बाद यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इनका क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (5) के अनुसार रख-रखाव किया जा रहा है। iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:	ए. तुलन पत्र ए.1 देयताएं ए.1.1.
ए. तुलन पत्र ए.1 देयताएं ए.1.1. सदस्यों के निष्क्रिय लेखे (अनुसूची 2) - 54657.87 करोड़ रुपये	

(i) क्षेत्रीय कार्यालय, द्वारा निष्क्रिय लेखों के मद में वर्ष के दौरान 42.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, हालांकि, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा सं.1 में शून्य दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय लेखों में 42.65 करोड़ रुपये अधिक दर्शाए गए। (ii) क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै । एवं चेन्नै ॥ क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की "निष्क्रिय लेखों के निपटान का सार" के अनुसार, 18,06,556 निष्क्रिय लेखों के संबंध में 829.51 करोड़ रुपये की राशि को 01.05.2010 के आदि शेष के रूप में दर्शाया गया है। 01.05.2010 के बाद निष्क्रिय लेखों में कोई वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 2017-18 का कुल भुगतान 1308.83 करोड़ रुपये था जबकि वास्तविक शेष 829.51 करोड़ रुपये था जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2018 को निष्क्रिय लेखों में 479.32 करोड़ रुपये का नकारात्मक शेष था किंतु वार्षिक लेखों में, निष्क्रिय लेखों में 366.19 करोड़ रुपये का नकारात्मक शेष दर्शाया गया था जिसके कारण 113.13 करोड़ रुपये का अंतर सामने आया। निष्क्रिय लेखों में दर्शाया गया गलत शेष तथा निष्क्रिय लेखों में पड़ी शेष राशि से अधिक भुगतान ईडीपी द्वारा सृजित रिपोर्ट में तकनीकी गलती के कारण हुआ। इसे लेखों में ठीक किए जाने की आवश्यकता है। ए.1.2. चालू देयताएं एवं उपबंध(क.भ.नि.) (अनुसूची-5) - 555.72 करोड़ रुपये उपर्युक्त में, 31 मार्च, 2018 तक 1976-77 से 2017-18 की अवधि के 140.86 करोड़ रुपये के असमेकित अधिकावृत्ति पूर्ण जमा राशि शामिल है।	(i) सदस्यों के निष्क्रिय लेखे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्य की भविष्य निधि देयताओं का हिस्सा होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने निष्क्रिय लेखों के भुगतान को सदस्य लेखों को भुगतान (सक्रिय) में दर्शाया है, वरना उनकी रोकड़ बही का समेकन नहीं होता। यह केवल सदस्य लेखों के बीच लेखों का गलत-वर्गीकरण है। अतः, सदस्य लेखों की देयताओं को अधिक नहीं दर्शाया गया है। हालांकि, क्षेत्रीय कार्यालय को चालू वित्तीय वर्ष में लेखों के आंकड़ों को सही शीर्ष में दर्शाने के लिए कहा गया है। (ii) उत्तर उपर्युक्तानुसार ही है।
ए.1.2. चालू देयताएं एवं उपबंध(क.भ.नि.) (अनुसूची-5) - 555.72 करोड़ रुपये उपर्युक्त में, 31 मार्च, 2018 तक 1976-77 से 2017-18 की अवधि के 140.86 करोड़ रुपये के असमेकित अधिकावृत्ति पूर्ण जमा राशि शामिल है।	ए.1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों को असमेकित अधिक/गलत जमा राशि का समेकन करने के निर्देश दिए गए हैं।

ए.1.3 निर्धारित/अक्षय निधियां (एन्डोमेंट फंड्स)

स्टाफ भविष्य निधि (अनुसूची-13) 1077.69 करोड़ रुपये

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ भविष्य निधि लेखे में 1307.61 करोड़ रुपये की देयता थी (स्टाफ भविष्य निधि लेखे (अनुसूची 13) : 1077.69 करोड़ रुपये तथा स्टाफ भविष्य निधि ब्याज लेखा (अनुसूची 11) : 229.92 करोड़ रुपये) जिसके विरुद्ध लेखों में 1604.33 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति दर्शाई गई (स्टाफ भविष्य निधि निवेश (अनुसूची 26) 1562.80 करोड़ रुपये, ट्रांजिट में स्टाफ भविष्य निधि राशि (अनुसूची 28) : 1.23 करोड़ रुपये, भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ भविष्य निधि निवेश लेखा (अनुसूची 28): 0.73 करोड़ रुपये, स्टाफ भविष्य निधि लेखे में गलत डेबिट (अनुसूची 28) 0.02 करोड़ रुपये तथा उपार्जित किंतु निवेश पर देय न होने वाला ब्याज: 39.55 करोड़ रुपये)। 296.72 करोड़ रुपये के अंतर का समेकन नहीं किया गया।

ए.2. परिसंपत्तियां

ए.2.1 निम्नलिखित तालिका में 2015-16 से पहले मार्गस्थ प्रेषण की धन-प्रेषण राशि दर्शाई गई है जिसके समेकन व लेखाकरण की आवश्यकता है।

लेखा शीर्ष	उपशीर्ष	राशि लाखों में
चालू परिसंपत्तियां, एवं अग्रिम (अनुसूची 23) कनिसबी 453.82 करोड़ रुपये	कनिसबी अंशदान लेखा क्षेत्रीय (लेखा सं. 21) से कनिसबी अंशदान लेखा केंद्रीय (लेखा सं. 25) में मार्गस्थ प्रेषण बैंक से लेखा सं. 25 में मार्गस्थ प्रेषण	974.97
चालू परिसंपत्तियां, एवं अग्रिम (अनुसूची 28) कनिसबी प्रशासकीय निधि 1154.03 करोड़ रुपये	कनिसबी प्रशासकीय प्रभार लेखा केंद्रीय (लेखा सं. 4) की मार्गस्थ राशि स्टाफ भविष्य निधि लेखा की मार्गस्थ राशि (लेखा सं. 8)	5.32
		518.03
		122.68
चालू परिसंपत्तियां,	कनिसबी प्रशासकीय प्रभार क्षेत्रीय लेखा	154.32

ए.1.3

स्टाफ भविष्य निधि में देयताओं के समक्ष तुलन पत्र में अतिरिक्त निवेश पिछले कई वर्षों के दौरान स्टाफ भविष्य निधि लेखे में अधिक राशि के अंतरण के कारण है। निवेश अनुभाग से स्टाफ भविष्य निधि लेखे में अतिरिक्त निवेश को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशासकीय निधि में अंतरित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

ए.2. मार्गस्थ राशि 2014-15 से पहले की अवधि की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1989 से मई 1999 तक की अवधि का चालान उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। इसी प्रकार 2014-15 से पहले के रिकार्ड का रख-रखाव मैनुअली किया जाता था तथा भारतीय स्टेट बैंक ने पुराने रिकार्ड उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर की है। हालांकि, असमेकित मार्गस्थ राशि के समेकन के मामले पर भारतीय स्टेट बैंक के साथ बातचीत चल रही है।

ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 30) कनिसबी प्रभार लेखा केन्द्रीय (लेखा सं. 24) में - प्रशासकीय निधि मार्गस्थ प्रेषण 141.77 करोड़ रुपये	(लेखा सं. 22) से कभनिसबी प्रशासकीय प्रभार लेखा केन्द्रीय (लेखा सं. 24) में मार्गस्थ प्रेषण	इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा की गई, जहां पर एस.डी.ए. का रखरखाव किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण 1989 से 24.07.1998 तक की अवधि के अंतर के लिए लेखा विवरणी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई।
ए 2.2 कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासकीय निधि निवेश (अनुसूची 25) - 21810.85 करोड़ रुपए	जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा बताया गया 31.03.2018 तक विशेष जमा लेखा के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय प्रशासकीय निधि (लेखा संख्या 4) का निवेश 21,608.47 करोड़ रुपये था। हालांकि, लेखों में इसे 21600.85 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। इसके कारण 31.03.2018 को अंत शेष में 7.62 करोड़ रुपए का अंतर सामने आया, जिसका समाशोधन नहीं किया गया।	ए 2.2 इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा की गई, जहां पर एस.डी.ए. का रखरखाव किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण 1989 से 24.07.1998 तक की अवधि के अंतर के लिए लेखा विवरणी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई।
ए 2.3 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासकीय निधि निवेश (अनुसूची 29) - 2813.94 करोड़ रुपए	जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा बताया गया 31.03.2018 तक विशेष जमा लेखा के अंतर्गत क.नि.स.बी. प्रशासकीय प्रभार निधि (लेखा संख्या 24) का निवेश 2811.61 करोड़ रुपये था। हालांकि, लेखों में इसे 2813.94 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। इसके कारण 31.03.2018 को अंत शेष में 2.33 करोड़ रुपए का अंतर सामने आया, जिसका समाशोधन नहीं किया गया।	ए 2.3 इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा की गई, जहां पर एस.डी.ए. का रखरखाव किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण 1989 से 24.07.1998 तक की अवधि के अंतर के लिए लेखा विवरणी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई।
ए 2.4 निवेश (अनुसूची 18,20,22,26,27) - 1033894.31 करोड़ रुपये	ए 2.4.1 निवेश की उपर्युक्त पांच अनुसूचियों से क.भ.नि.सं. के निवेश की स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आती जिसका विवरण इस प्रकार है:-	ए 2.4 (i) एवं (ii) निवेश के परिशोधित मूल्य तथा निवेश के अंकित मूल्य को अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के प्रकटीकरण में अलग से दर्शाया जाएगा।

ही निवेश का अंकित मूल्य पता लगाया जा सकता है। (ii) इसके साथ ही, क.भ.नि.सं. ने तुलन पत्र में दर्शाए गए कुल निवेश के परिशोधित मूल्य में किए गए निवेश के प्रकारों को वर्गीकृत नहीं किया है।	ए.2.4.2 उपर्युक्त में 41639.34 करोड़ रुपये का ईटीएफ निवेश शामिल है (अनुसूची 18,20,22,26 एवं 27 में दिखाए गए ईटीएफ निवेश का कुल जोड़) जबकि निवेश मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ (आईएमसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को ईटीएफ निवेश का मूल्य 43663.23 करोड़ रुपये था। इसके परिणामस्वरूप ईटीएफ निवेश में 2023.89 करोड़ रुपये कम दर्शाए गए। साथ ही ईटीएफ निवेश का बाजार मूल्य 47480.08 करोड़ रुपये था जिसे लेखा- नोट में दर्शाया नहीं गया। ए.2.5 चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 28) - 1154.03 करोड़ रुपये मासिक बिजली एवं जल प्रभार तथा हड़को विशाला भवन में आमतौर पर साझा प्रयोग में लेने वाले सेवाओं के रख-रखाव का सितंबर, 2009 से सितंबर, 2016 तक की अवधि के लिए सीबीईसी तथा सीबीडीटी (सीबीईसी 1.87 करोड़ रुपये तथा सीबीडीटी: 2.03 करोड़ रुपये) से 3.90 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जानी है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चालू वर्ष का बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि मामला विवादित है। इस तथ्य को लेखा-नोट में दर्शाया जाए।	ए.2.4.2 राशि में अंतर प्रतिभूतियों के गलत-वर्गीकरण की वजह से सामने आया। लेखों में दर्शाई गई निवेश की कुल राशि, निवेश अनुसूची की कुल राशि से मेल खाती है। वर्गीकरण में अंतर को अगले तुलन-पत्र में सही कर दिया जाएगा। अभी तक, निवेश को लागत मूल्य पर दर्शाने की नीति थी, हालांकि धारित प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के कारण होने वाले लाभ तथा हानि को ईटीएफ के लिए लेखा नीति के अधिसूचित होने के बाद दर्शाया जाएगा। ए.2.5 कभनिस के लिए अलग से मीटर लगाने हेतु बिजली और जल आपूर्ति प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया गया है। तब तक, सीबीईसी एवं सीबीडीटी से कहा गया है कि वे कभनिस को पिछली देय राशि सहित अपने भाग के देय का भुगतान करें। इस मामले पर जोर देकर कार्रवाई की जा रही है।
बी. आय एवं व्यय लेखा बी.1 आय बी.1.1 ब्याज आय - 30490.87 करोड़ रुपये (अनुसूची 34) उपर्युक्त में, वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिले अनुदान पर 4.85 करोड़ रुपये की ब्याज आय भी शामिल है जिसे सरकार की देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। साथ ही, पिछले वर्ष (2016-17) के दौरान अर्जित 1.44 करोड़ रुपये की ब्याज आय (उपयोग प्रमाणपत्र के अनुसार 166.58 करोड़ रुपये के आदि शेष में से घटाए गए कभनिस द्वारा उपलब्ध विवरण के अनुसार 165.14 करोड़ रुपये का अंतर) को भी सरकार की देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप 4.85 करोड़	बी. बी.1. बी.1.1 प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के लिए खोले गए बैंक खाते पर अर्जित ब्याज राशि संबंधी मामला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है। इस मामले पर निर्णय हो जाने के बाद, ऐसे ब्याज की राशि पर भारत सरकार के निर्णयानुसार कार्रवाई की जाएगी।	

रूपये की ब्याज आय, कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान निधि (अनुसूची 6) में 1.44 करोड़ रुपये अधिक दर्शाए गए तथा चालू देयताओं एवं उपबंधों में 6.29 करोड़ रुपये कम दर्शाए गए।	व्यय न किए गए शेष (आदिशेष तथा अंतर्शेष) के अंतर के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदान एवं अंशदान स्वीकृति पत्र के आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र जारी किया गया। उपयोग प्रमाणपत्र द्वारा अग्रोषित विवरण में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का आदि तथा अंतर्शेष शामिल नहीं है 7,925.69 करोड़ रुपये की ब्याज राशि कर्पेयो, 1995 में सरकार के अंशदान पर अर्जित ब्याज से संबंधित है जिसे लोक लेखा में जमा किय गया है (केंद्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) संबंधित बैंक खातों में वास्तविक प्राप्तियों तथा उस पर क्रेडिट ब्याज के आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना तथा पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्र भेजे गए।
सी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची 44) सी.1 किसी शीर्ष को जोड़ने/हटाने से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 13 प्रकटीकरण प्रकृति की है तथा इसे आकस्मिक देयताओं एवं लेखों पर नोट की अनुसूची के अंतर्गत दर्शाए जाने की आवश्यकता है। सी. 2 महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 7.2 जिसमें यह कहा गया कि स्टाफ को दिए गए अग्रिम पर ब्याज को वसूली अवधि पर ध्यान दिए बगैर वसूली की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा, को कभनिसं द्वारा 2017-18 के दौरान लागू नहीं किया गया जबकि इसे लागू करने के आदेश कभनिसं द्वारा अगस्त, 2018 में जारी किए गए थे। सी.3 महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 10.2. में कहा गया कि अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में देखा जाएगा। यह लेखा नीति लेखों के सामान फार्मेट तथा एएस-15 का उल्लंघन है जिसमें यह कहा गया है कि सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के बाद किया जाए।	सी. सी.1 अनुपालन के लिए नोट किया गया इसे चालू वित्तीय वर्ष में आकस्मिक देयताओं एवं लेखों पर नोट की अनुसूची के अंतर्गत दिखाया जाएगा। सी.2 भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया। सी.3 अनुमोदित लेखा के सामान फार्मेट तथा इसकी अनुसूचियां अनुसूची 44: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां बिंदु 10.2 में कहा गया है कि 'वर्ष के दौरान दिए गए अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में देखा जाएगा'। तदनुसार अवकाश नकदीकरण व्यय को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में देखा जाता है। सी.4 दिनांक 27.01.2007 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की 178वीं बैठक द्वारा अनुमोदित निवेश के लिए संशोधित लेखा नीति के अनुसार परिशोधित मूल्य पर

वाले स्थिर आय साधनों में निवेश का परिशोधित मूल्य पर मूल्यांकन किया गया, जिसे लेखा नीति में प्रकट किया जाना चाहिए।	निवेश/प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाता है।									
सी.5 कभनिस ने एक्सचेंज ट्रेंडड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश किया है तथा निवेश के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (अनुसूची 44 में नीति सं. 3) को प्रकट किया है। हालांकि, प्रकट की गई नीति के अनुसार निवेश का मूल्यांकन नहीं किया गया। कभनिस ने कहा कि लेखा नीति में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है।	सी.5 अनुसूची में 44 में नीति सं.3 के अनुसार मूल्यांकन को अधिसूचित किया जाना बाकी है। अभी, ईटीएफ में निवेश को लागत मूल्य पर दिखाया जा रहा है।									
सी.6 कभनिस का अगस्त, 2015 से भारत 22 ईटीएफ में 2024.75 करोड़ रुपये का निवेश है, जिसका 31 मार्च, 2018 तक बाजार मूल्य 1980.45 करोड़ रुपये है यानी 31 मार्च, 2018 तक 44.30 करोड़ रुपये की कमी है जिसे लेखों पर नोट में दर्शाया नहीं गया।	सी.6 इक्विटी अथवा ऐसे ही अन्य साधनों में निवेश का मूल्य बाजार में अस्थिरता के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा लगभग दैनिक आधार पर उतरते-चढ़ते रहते हैं। मूल्य तथा बाजार भाव में किसी नकारात्मक अंतर को इसलिए तब तक कमी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि निवेश की बिक्री तथा घाटे को बुक नहीं कर लिया जाता। ईटीएफ के लिए आगामी लेखा नीति ऐसे मामलों पर विचार करेगी।									
सी.7 महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 10.1 में कहा गया है कि स्टाफ पेंशन-सह ग्रेच्युटी निधि संबंधी देयताओं का बीमांक आधार पर वर्ष के अंत में लेखाकरण किया जाता है तथा बीमांक मूल्यांकन के कारण निधि में किसी कमी अथवा आधिक्य का, संबंधित वर्ष में ही लेखाकरण किया जाता है। कभनिस ने नवंबर, 2015 से उपर्युक्त निधि के लिए बीमांक मूल्यांकन नहीं करवाया। साथ ही, नवंबर, 2015 में किए गए उपर्युक्त मूल्यांकन के कारण 4854.37 करोड़ रुपये के घाटा (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि में लेखों पर नोट का अवलोकन करें) का लेखानीति सं. 10 (1) का उल्लंघन करते हुए लेखों में लेखाकरण नहीं किया गया।	सी.7 पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि लेखे के बीमांकक मूल्यांकन (2014-15) के अनुसार 10,559.66 रुपये का निवल घाटा था। केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार लेखा सं. 4 तथा 24 में राजस्व अधिशेष को घाटे की पूर्ति हेतु पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि में अंतरित किया जा रहा है। 31.03.2018 तक अंतरित कुल राशि को ग्रेच्युटी एवं पेंशन के वास्तविक भुगतान सहित संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में देखा जाता है।									
डी सामान्य डी.1 कभनिस निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत उचित लेखों का परिचालन किया जा रहा है:	डी.1 इसके रखरखाव के संबंध में कहा जाता है कि राशि/लेन-देन का फील्ड कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से उपयुक्त लेखाकरण, मॉनीटरिंग एवं समायोजन किया जाता है। इस रिकॉर्ड का रख-रखाव फील्ड कार्यालयों द्वारा किया जाता है तथा राज्यों के संबंधित महा लेखाकारों द्वारा जांच/लेखा परीक्षा की जा सकती है।									
<table><tr><td>क्र.सं.</td><td>शीर्ष का नाम</td><td>शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत राशि</td></tr><tr><td></td><td>विविध जमा</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>उचित लेखा (अवर्गीकृत कर्मचारी भविष्य</td><td>96.25</td></tr></table>	क्र.सं.	शीर्ष का नाम	शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत राशि		विविध जमा		1.	उचित लेखा (अवर्गीकृत कर्मचारी भविष्य	96.25	
क्र.सं.	शीर्ष का नाम	शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत राशि								
	विविध जमा									
1.	उचित लेखा (अवर्गीकृत कर्मचारी भविष्य	96.25								

	निधि) (अनुसूची 5)		
2.	उचत लेखे (प्रशासकीय निधि) (अनुसूची 15)	20.58	कर्मनिस के लेखंकन प्रक्रिया मैनुअल भाग-1 के अध्याय 10 के अंतर्गत पैरा VII पैरा 10.6 के अनुसार प्रत्येक वर्ष तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं दोनों के पक्ष में "अवर्गीकृत उचत" के अंतर्गत शेष का विवरण दर्शाने वाली विवरणी, जिसमें लेन-देन की तिथि, संक्षिप्त विवरण, राशि इत्यादि दर्शाई गई हो, संलग्न की जाए। विनिर्दिष्ट आवश्यक विवरण वार्षिक लेखों में शामिल नहीं किया गया है।
3.	विविध नामे उचत लेखे (अवर्गीकृत क.भ.नि.) (अनुसूची 19)	87.76	
4.	उचत लेखे (प्रशा निधि) (अनुसूची 28)	22.76	
			डी.2 वार्षिक मूल्यांकन - कर्मचारी पेंशन योजना के अनुच्छेद 32 के अनुसार, संघ सरकार को द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जानी शेष है और वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यांकन किया जाना शेष है।
	ई. अनुदान सहायता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्य रूप से अंशदान से प्राप्तियों एवं प्रशासनिक शुल्क से वित्तपोषित है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार से संगठन को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, क.प.यो. 1995, पीएमआरपीवाई और पीएमपीआरपीवाई योजनाओं के अंतर्गत 1000/- रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के लिए केंद्र सरकार से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुदान प्राप्त हुआ है : (i) क.भ.नि.सं के पास क.प.यो 1995 योजना के तहत (-)6663.67 करोड़ रुपये (वसूली योग्य) अव्ययित शेष था, वर्ष 2017-18 के दौरान 5111.18 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, वर्ष के दौरान 5757.42 करोड़ रुपये का उपयोग करने के पश्चात योजना के अंतर्गत		डी.2 वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट बीमांकक से प्राप्त हुई है और इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है तथा वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यांकन अभी शेष है। ई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का संपूर्ण व्यय प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार से वित्तपोषित होता है, प्रशासनिक व्यय के लिए बजटीय सहायता के रूप में भारत के समेकित कोष से क.भ.नि.सं को कोई अनुदान सहायता प्राप्त नहीं होती है। हालाँकि, क.प.यो. 1995, पीएमआरपीवाई और पीएमपीआरपीवाई योजनाओं के अंतर्गत प्रति माह 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त हुआ है। बिंदु संख्या (i), (ii) और (iii) में दर्शाए गए आंकड़े समुचित लेखा शीर्षों में वार्षिक लेखों में दर्शाए गए हैं।

(-)7308.91 करोड़ रुपये (वसूली योग्य) अव्ययित शेष रहे । (ii) क.भ.नि.सं के पास पीएमआरपीवाई योजना के अंतर्गत 165.14 करोड़ रुपये अव्ययित शेष था, वर्ष 2017-18 के दौरान 470.25 करोड़ रुपये हुए, वर्ष के दौरान 491.31 करोड़ रुपये का उपयोग करने के पश्चात योजना के अंतर्गत 144.08 करोड़ रुपये अव्ययित शेष रहे। (iii)) क.भ.नि.सं के पास पीएमपीआरपीवाई योजना के तहत 29.82 करोड़ रुपये अव्ययित शेष था, वर्ष 2017-18 के दौरान 12.00 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। वर्ष के दौरान 18.40 करोड़ रुपये का उपयोग करने के पश्चात योजना के अंतर्गत रुपये 23.42 करोड़ अव्ययित शेष बचा।	एफ. सीएजी द्वारा प्रकाश में लाई गई कमियों का संज्ञान लिया गया है और सुधारात्मक कार्रवाई अलग से की जा रही है। एफ. प्रबंधन पत्र ऐसी कमियां जिन्हें (महत्ता के आधार पर) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है को सुधारक / निवारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के द्वारा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु ध्यान में लाया गया है। v. पिछले पैरा में दी गई टिप्पणियों को देखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाते तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाते लेखा पुस्तिका के अनुसार सही हैं । vi. हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण उपर्युक्त पैरा एवं उपर्युक्त अन्य महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट के अधीन है तथा यह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार एक सत्य एवं निष्पक्ष मत प्रस्तुत करता है । ए. जहां तक तुलनपत्र का संबंध है, यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 31 मार्च, 2018 तक के क्रियाकलापों को दर्शाता है । बी. जहां तक आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है, यह उस तिथि को समाप्त वर्ष से संबंधित है ।
--	---

भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की ओर से
हस्ता / -
महानिदेशक लेखा परीक्षा, (केंद्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23-07-2019

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (परिशिष्ट) - अभियुक्तियां	संगठन की अभियुक्तियां
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता • कुल 132 इकाइयों में से, 132 इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा की योजना बनाई गई थी और केवल 131 इकाइयों का लेखा परीक्षण किया गया था। • आपत्तियों के निपटारे के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि 31.3.2018 को 12899 आंतरिक ऑडिट पैरा बकाया थे।	1 • ईपीएफटी के सीजीआईटी में विलय के कारण एक इकाई का ऑडिट नहीं किया जा सका। • ई-समीक्षा के माध्यम से उचित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और निगरानी की जा रही है। इन पैरा को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता • 31 मार्च 2018 विविध डेबिट (अनुसूची 19) में ओवरपेमेंट और अनियमित भुगतान का संचयी शेष क्रमशः 6.35 करोड़ और 5.88 करोड़ रुपये शामिल है। एक वर्ष की अवधि में अधिक भुगतान की राशि में 84 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। यह प्रणाली की गंभीर चूक और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। • क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर 1.98 करोड़ रुपये की अन्य अचल संपत्तियों और 2.04 लाख रुपये की सिक्क्योरिटी डिपॉजिट के विवरण की पुष्टि नहीं कर सका। • आंचलिक कार्यालय भोपाल और आंचलिक कार्यालय पटना द्वारा समेकित खातों के आंकड़े उनके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के खाते से मेल नहीं खा रहे हैं। • क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली, क्षेत्रीय कार्यालय बजट नियंत्रण रजिस्टर के आंकड़ों में भिन्नता। • आंचलिक कार्यालय भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली, क्षेत्रीय कार्यालय बजट नियंत्रण रजिस्टर के आंकड़ों में दर्शाई गई अचल संपत्तियों के आंकड़ों एवं इनके विवरण के बीच में कोलकाता की खातों में भिन्नता।	2. • ऐसे भुगतानों की वसूली के लिए सभी फील्ड कार्यालयों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे। भुगतान और अनियमित भुगतानों की वसूली के लिए अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया गया है • क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को ऑडिट टीम के आने वाले दौर के समय अचल संपत्तियों और सिक्क्योरिटी डिपॉजिट के आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। • इसका समाधान किया जाएगा और यदि कोई अंतर होगा तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा। • क्षेत्रीय कार्यालयों ने स्पष्ट किया है कि ये अंतर बजट नियंत्रण रजिस्टर में कुछ लिपिकीय और टाइपोग्राफिक गलतियों के कारण हैं और भविष्य में इन्हें दोहराया नहीं जाएगा। • समाशोधन के पश्चात अंतर, यदि कोई हो, अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

भिन्नता। • आ.प्र.सं कोलकाता द्वारा लेखा बहियों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए लेखा बहियों के मामले में यह देखा गया कि आंकड़े पैसिल द्वारा लिखे और जोड़े गए थे और प्रविष्टियों के संबंध में कोई अधिकृत हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में प्रविष्टियों की प्रमाणीकरण और उपयुक्तता का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, प्रविष्टियाँ लेखों में दिखाए गए हेड डिवीजनों के अनुसार नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक संबंधित हेड से संबंधित आंकड़े ट्रेस करने में कठिनाई होती है। • कई क्षेत्रों के लिए पूर्व-संशोधित खातों को प्रस्तुत किया है	• विभिन्न खातों में दिखाए गए अंतर को फिर से जांचा गया और सही पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडिट टीम को भूलवश पूर्व-संशोधित बैलेंस शीट प्रस्तुत कर दी गई थी। ऑडिट टीम के अगले दौर में इसका सत्यापन किया जा सकता है। • आ.का/ क्षेत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे लेखा परीक्षा के लिए केवल अंतिम खातों को प्रस्तुत करें जिन्हें समग्र रूप से क.भ.नि.सं के लेखों के समेकन के लिए अपनाया गया है।
3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली • क.भ.नि.सं., मुख्यालय की पुस्तकों, प्रकाशनों और वाहनों को छोड़कर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन 3/12/2018 को किया गया था। • क.भ.नि.सं के क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है (क्षेत्रों का देहरादून, क्षेत्रों का पटना और जोनल ऑफिस फरीदाबाद द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में)।	3. • संबंधित कार्यालयों में अचल संपत्तियों के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए समितियों का गठन किया गया है। • संबंधित कार्यालयों में अचल संपत्तियों के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए समितियों का गठन किया गया है।
4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली • क.भ.नि.सं., मुख्यालय के संबंध में उपभोग्य और स्टेशनरी के संबंध में भौतिक सत्यापन 3/12/2018 को किया गया है। • क.भ.नि.सं के क्षेत्रीय कार्यालयों की क्षेत्रीय कार्यालयों की इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है (क्षेत्रों का देहरादून, क्षेत्रों का पटना और जोनल कार्यालय फरीदाबाद अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में)।	4. • अचल संपत्तियों के नियमित सत्यापन के लिए समिति का गठन किया गया है। • इन्वेंट्री के नियमित सत्यापन के लिए समिति का गठन किया गया है।
5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता लेखों के अनुसार 31.03.2018 तक सांविधिक देयों के संबंध में पिछले 6 महीनों से कोई भुगतान बकाया नहीं है।	5. तथ्यात्मक, है कोई टिप्पणी नहीं ।

प्रबंधन पत्र के लिए परिशिष्ट

1. चालू वर्ष के दौरान वर्ष 2016-17 के लिए बैंकिंग अनुभाग और क.भ.नि.सं के निवेश अनुभाग की राशि के बीच अंतर को समायोजित नहीं किया गया था जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>लेखा शीर्ष</th><th>राशि (लाख में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.भ.नि) (अनुसूची 5) - क.भ.नि निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट</td><td>63.66</td></tr> <tr> <td>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.पें.यो) (अनुसूची 7) - क.पें.यो निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट</td><td>26.39</td></tr> <tr> <td>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.नि.सह.बी.यो.) (अनुसूची 9) - क.नि.सह.बी.यो.निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट</td><td>40.85</td></tr> <tr> <td>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 15) स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी फंड - पेंशन-पेंशन-कम-ग्रेच्युटी फंड निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट</td><td>5.13</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>136.03</td></tr> </tbody> </table>	लेखा शीर्ष	राशि (लाख में)	वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.भ.नि) (अनुसूची 5) - क.भ.नि निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट	63.66	वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.पें.यो) (अनुसूची 7) - क.पें.यो निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट	26.39	वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.नि.सह.बी.यो.) (अनुसूची 9) - क.नि.सह.बी.यो.निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट	40.85	वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 15) स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी फंड - पेंशन-पेंशन-कम-ग्रेच्युटी फंड निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट	5.13	कुल	136.03	1. अगले वित्तीय वर्ष में इसे समायोजित कर दिया जाएगा।
लेखा शीर्ष	राशि (लाख में)												
वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.भ.नि) (अनुसूची 5) - क.भ.नि निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट	63.66												
वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.पें.यो) (अनुसूची 7) - क.पें.यो निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट	26.39												
वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.नि.सह.बी.यो.) (अनुसूची 9) - क.नि.सह.बी.यो.निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट	40.85												
वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 15) स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी फंड - पेंशन-पेंशन-कम-ग्रेच्युटी फंड निवेश खाते में अतिरिक्त क्रेडिट	5.13												
कुल	136.03												
2. ब्याज खाता - क.भ.नि. अंशदान निधि (अनुसूची-4) रु. 27006.83 करोड़ उपर्युक्त में निवेश घटाव-चढ़ाव लेख के अंतर्गत रुपये 270.08 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जो 2006-07 से संचालित नहीं हुए हैं। इस गैर-परिचालन लेख की निरंतरता और लेखों में परिणामस्वरूप आवश्यक लेखा समायोजन के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए।	2. इस मामले को के.न्या.बो., क.भ.नि.सं. के विचारार्थ रखा जाएगा।												
3. क.नि.सह.बी. अंशदान निधि निवेश (अनुसूची 22) - रु. 23591.54 करोड़ उपर्युक्त राशि में वर्ष 2017-18 के लिए सार्वजनिक खाते में क.नि.सह.बी. निवेश पर ब्याज के रूप में प्राप्त किए गए 684.60 करोड़ रुपये शामिल हैं, लेकिन निवेश अनुभाग द्वारा लेखा परीक्षा के लिए प्रदान किए गए निवेश के विवरण में यह राशि शामिल नहीं है। इसके समायोजन की आवश्यकता है।	3. चूंकि 684.60 करोड़ रुपये को लोक लेख के तहत क.नि.सह.बी.यो. पर अर्जित ब्याज के रूप में रखे जाने के संबंध में जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय के पत्र संख्या जी-20016/1/2018-एसएस-II दिनांक 07-12-2018 द्वारा प्राप्त हुई अतः इसे निवेश अनुभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिखाया जाएगा।												

4. अचल संपत्तियां (अनुसूची 24) - 408.37 करोड़ रुपये (i) उपरोक्त में रु 2.70 करोड़ की राशि शामिल है जिसे क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा 2016-17 के दौरान खतों की लीगेसी प्रणाली से खतों के एकरूप प्रारूप में रूपांतरण के लिए कटौती के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, इन कटौतियों का विवरण न तो 2016-17 के दौरान और न ही चालू वर्ष (2017) में लेखा परीक्षा के लिए प्रदान किया गया था। अतः ऑडिट इन कटौती को सत्यापित नहीं कर सका। (ii) आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़	4. (i) 2.70 करोड़ का ब्योरा, राज्य एजी दल द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, अगली वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए कोलकाता के दौरे के समय सत्यापित किया जा सकता है।
(iii) आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़ (ए) मुख्य कार्य की प्रगति में क्षे.का जालंधर द्वारा एजेंसियों / ठेकेदारों को एडवांस के तहत 6.74 करोड़ रुपये दिखाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम को अधिक दर्शाया गया है और 6.74 करोड़ रुपये मुख्य कार्य की प्रगति को कम दर्शाया गया है।	(ii) (ए) वर्ष 2018-19 के वार्षिक खातों में इसे समायोजित किया जाएगा।
(बी) क्षे.का जालंधर द्वारा अचल संपत्तियों-भवन के अंतर्गत 2.26 करोड़ रुपये मुख्य कार्य की प्रगति के रूप में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य कार्य की प्रगति 2.26 करोड़ रुपये रुपये से फिक्स्ड एसेट्स की ओवरस्टेजमेंट की समझ है। जिसके परिणामस्वरूप एजेंसियों / कॉन्ट्रैक्टर्स को अग्रिम को अधिक दर्शाया गया है और 6.74 करोड़ रुपये मुख्य कार्य की प्रगति को कम दर्शाया गया है।	(बी) वर्ष 2018-19 के वार्षिक खातों में इसे समायोजित किया जाएगा।
(सी) एसबीएस नगर लुधियाना क.भ.नि.सं कॉलोनी में बाउंड्री वाल के काम के एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम में 19.63 लाख रुपए (क्षे.का., लुधियाना) एवं ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए 22.54 लाख (क्षे.का., चंडीगढ़) की राशि शामिल है। कार्य क्रमशः 19/9/2017 और 8/4/2016 को पूरा किया गया है और इसलिए इसे अचल संपत्तियों-भवन के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान अधिक और अचल संपत्तियों को 42.17 लाख रुपए कम दर्शाया गया है।	(सी) इसे वर्ष 2018-19 के वार्षिक खातों में इसे समायोजित किया जाएगा।
(iii) 3.39 लाख रुपये रुपये का पूंजीगत व्यय क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा राजस्व व्यय के रूप में लेखे में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को 3.39 लाख रुपये कम दर्शाया गया है।	(iii) गणना की गलती के कारण मूल्यहास अंतर को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

5. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 28) (i) वसूली योग्य अग्रिम उपरोक्त में 52.19 लाख रुपए की नकारात्मक शेष राशि शामिल है (क्षे.का. तांबरम, 41 लाख रुपये और क्षे.का सिलीगुड़ी: 11.19 लाख रुपये)। इसे सुधारने की आवश्यकता है। (ii) एजेंसियों / ठेकेदार को अग्रिम एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम में रु 12.72 लाख की राशि शामिल है (क्षे.का चंडीगढ़) जो पहले ही वर्ष 2015-16 में कार्यालय उपकरणों के तहत पूंजीकृत हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप एजेंसियों / ठेकेदारों को 2.72 लाख रुपए अग्रिम अधिक दर्शाया गया है। (iii) सिक्वोरिटी डिपॉजिट वर्तमान आस्तियों, ऋण और अग्रिमों में रु 9.09 लाख छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड (एससीपीडीसीएल) रायपुर (क्षे.का रायपुर) के साथ शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति और देनदारियों का राजस्व (राजस्व अधिशेष) 9.09 लाख रुपये कम दर्शाया गया है।	5. (i) वर्ष 2017-18 के लिए बैलेंस शीट में वसूली योग्य अग्रिमों के तहत नकारात्मक शेष, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित किए जा रहे हैं। (ii) इसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों में समायोजित किया जाएगा। (iii) राजस्व व्यय के रूप में गलत तरीके से दिखाए गए सिक्वोरिटी डिपॉजिट को अगले वित्तीय वर्ष में वापस 'सिक्वोरिटी डिपॉजिट' में लिखा जाएगा।
6. व्यय- रु 68270.92 चालू वर्ष के दौरान रु. 127.91 करोड़ रुपये के निवेश के परिशोधित मूल्य (कर्मचारी भविष्य निधि रु. 61.67 करोड़, कर्मचारी पेंशन निधि रु. 61.37 करोड़, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना रु. 2.46 करोड़, क.भ.नि. स्टाफ भविष्य निधि रु. 0.40 करोड़ तथा क.भ.नि. स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि रु. 2.01 करोड़) को निवेश के ब्याज आय के साथ जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप आय एवं व्यय पर ब्याज में रु. 127.91 करोड़ कम दर्शाए गए।	6. निवेश खंड के संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में परिशोधित मूल्य एवं ब्याज दोनों को पृथक दर्शाया गया है। तथापि आय एवं व्यय लेखों में परिशोधक लागत को ब्याज की आय में समायोजित किया गया है। अगले वर्ष से उसे अलग से दर्शाया जाएगा।
7. मूल्य हास (i) आंचलिक कार्यालय भोपाल द्वारा फ्री होल्ड भूमि पर रु. 3.61 राशि का मूल्य हास का प्रभार डाला गया है जिसके परिणाम स्वरूप रु. 3.61 लाख तक मूल्य हास में अधिकता तथा अचल परिसंपत्तियां में कमी आई है। (ii) क.भ.नि.सं. मुख्यालय पत्र सं. बी.एस.सी.-12(3)2014-15 दिनांक 24.06.2016 के अनुसार	7. (i) फ्री होल्ड भूमि पर त्रुटिपूर्ण अधिभारित मूल्यहास को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, कम्पनी अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी कटौती पद्धति (एस.एल.एम.) पर दिया जाना चाहिए, जबकि मूल्यहास मूल्य पद्धति में दिए जाने के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा उक्त अधिनियम के अनुसार मूल्य हास की दर नहीं अपनाई गई है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।	(ii) गणना में की गई त्रुटि के कारण मूल्यहास में आए अंतर को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाए। 8. पीएमपीआरपीवाई योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के लिए खोला गए बैंक खाते पर अर्जित ब्याज राशि से संबंधित मामला, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत, सरकार, नई दिल्ली के समक्ष विचारधीन है। इस मुद्दे को अंतिम रूप देने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार ऐसे ब्याज की राशि की गणना की जाएगी। अर्थात् शेष (आदि शेष एवं अंतः शेष) में दर्शाए गए अंतर के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदान एवं अंशदान के मंजूरी पत्र के आधार पर क.पे.यो., 1995 के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र में अंग्रेषित विवरण में क.पे.यो., 1995 से संबंधित आदि एवं अंतः शेष शामिल नहीं है रु. 7,925.65 करोड़ की ब्याज राशि, लोक लेखे (केंद्र सरकार द्वारा यथा सूचित) में जमा किया गया, क.पे.यो., 1995 में सरकार अंशदान पर अर्जित ब्याज से संबंधित है। संबंधित बैंक खातों में वास्तविक प्राप्ति तथा उस पर क्रेडिट हुए ब्याज के आधार पर पीएमपीआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के तहत उपयोगिता प्रमाणपत्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजे गए थे।
8. अन्य आय- रु 690.73 करोड़ (अनुसूची 32) उपर्युक्त कथन पी.एम.पी.आर.पी.वाई. योजना के तहत क.भ.नि.सं. द्वारा प्राप्त अनुदान राशि पर रु.1.08 करोड़ का ब्याज आय का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सरकार की देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष (2016-17) के दौरान अर्जित रु. 0.41 करोड़ की ब्याज आय (यू.सी. के अनुसार रु. 29.96 करोड़ के अनुदान राशि के आदि शेष घटा क.भ.नि.सं. द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार रु. 29.82 करोड़ में अंतर को भी सरकार की देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज आय में रु. 1.08 करोड़ की अधिकता, क.भ.नि. अंशदान निधि (अनुसूची-4) में रु 0.14 करोड़ की अधिकता तथा चालू देयताएं एवं प्रावधान में रु 1.22 करोड़ कम दर्शाए गए।	9. आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट (अनुसूची 45) (i) विलम्बित अवधि, चूक में निवेश एवं ब्याज आय के संबंध में लेखों पर नोट के परिशिष्ट ए के क्रम सं. 4 में बैंगलूरु महानगर पालिके (बी.एम.पी.) के संबंध में रु 2.05 करोड़ चूक में दर्शाया गया है जबकि उसकी वसूली कर ली गई है। लेखों पर नोट को संशोधित करने की आवश्यकता है। (ii) लेखों पर नोट के परिशिष्ट ए के क्र.सं. 5 एवं 7 में दिया गया प्रकटीकरण और रिकार्डों में भिन्नता है जिसके विवरण निम्नानुसार है:
	9. (i) अगले वित्तीय वर्ष में इसे संशोधित किया जाएगा। (ii) चूक में सही मूल राशि रु. 1,170,000 है तथा चूक में ब्याज रु. 89,46,071 है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे संशोधित किया जाएगा।

<table><tr><th>क्र. सं.</th><th>निवेश का नाम</th><th>चूक में राशि (उपलब्ध कराए गए) रिकार्डों के अनुसार</th><th>वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध कराए गए रिकार्डों के अनुसार चूक में ब्याज</th><th>वर्ष 2017-18 के लिए लेखों के नोट में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार चूकों की मूल राशि</th><th>वर्ष 2017-18 के लिए लेखों के नोट के अनुसार चूक में ब्याज</th><th>मूल के आंकड़ों में अंतर</th><th>ब्याज के आंकड़ों में अंतर</th></tr><tr><td></td><td>पंजाब वित्तीय निगम तथा मेसर्स पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड</td><td>1,11,70,000</td><td>89,46,071</td><td>1,07,20,000</td><td>40,55,959</td><td>4,50,000</td><td>48,90,112</td></tr></table> इसे समाशोधित किए जाने की आवश्यकता है। (iii) लेखों का नोट सं. III (2 एवं 3) में वसूलीय श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित राशि का कोई वर्णन नहीं करता।	क्र. सं.	निवेश का नाम	चूक में राशि (उपलब्ध कराए गए) रिकार्डों के अनुसार	वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध कराए गए रिकार्डों के अनुसार चूक में ब्याज	वर्ष 2017-18 के लिए लेखों के नोट में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार चूकों की मूल राशि	वर्ष 2017-18 के लिए लेखों के नोट के अनुसार चूक में ब्याज	मूल के आंकड़ों में अंतर	ब्याज के आंकड़ों में अंतर		पंजाब वित्तीय निगम तथा मेसर्स पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1,11,70,000	89,46,071	1,07,20,000	40,55,959	4,50,000	48,90,112	(iii) अनुमोदित सामान्य लेखा प्रारूप एवं उसकी अनुसूचियों के अनुसार होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
क्र. सं.	निवेश का नाम	चूक में राशि (उपलब्ध कराए गए) रिकार्डों के अनुसार	वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध कराए गए रिकार्डों के अनुसार चूक में ब्याज	वर्ष 2017-18 के लिए लेखों के नोट में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार चूकों की मूल राशि	वर्ष 2017-18 के लिए लेखों के नोट के अनुसार चूक में ब्याज	मूल के आंकड़ों में अंतर	ब्याज के आंकड़ों में अंतर										
	पंजाब वित्तीय निगम तथा मेसर्स पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1,11,70,000	89,46,071	1,07,20,000	40,55,959	4,50,000	48,90,112										
10. 135 क्षेत्रीय कार्यालयों में 50 के लिए अंतः शेष प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अतिरिक्त, इन 85 क्षेत्रों में से 26 से बी.आर.एस. पस्तुत नहीं किए गए।	10. तथ्यपूर्ण होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के पास ही ये रिकार्ड उपलब्ध हैं। इन रिकार्डों का रखरखाव फील्ड कार्यालयों द्वारा किया जाता है तथा उनके राज्यों के संबंधित महालेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित/लेखा परीक्षित किए जाते हैं।																
11. क.भ.नि.सं. ने इसकी व्याख्या नहीं दे पाया कि लेखों पर नोट, सं. VII ए (परिशिष्ट ए) पर जैसा अंकित है क्या चूककर्ता संस्थाओं से देय ब्याज को खातों में लिया गया या नहीं।	11. लेखों पर नोट, सं. VII ए (परिशिष्ट ए) में जैसा उल्लेखित है निवेश पर देय ब्याज के आंकड़ों को समाशोधित किया जा रहा है तथा अंतर, यदि कोई हो, को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा।																

12. क.भ.नि.सं. के क्षेत्रीय कार्यालय अपने लेखों को एक समान फार्मेट में तैयार नहीं कर रहे हैं। वे, अपने लेखों को क.भ.नि.सं. मुख्यालय द्वारा डिजाइन किए गए एक विनिर्दिष्ट फार्मेट में तैयार कर रहे हैं, जिसमें पांच प्राप्ति एवं भुगतान लेखे (क.भ.नि. अंशदान खाता सं.1) क.भ.नि. प्रशासन निधि (खाता सं. 2), क.पै.यो. खाता (खाता सं. 10) क.नि.सं. बी अंशदान खाता (खाता सं. 21) तथा क.नि.सं. बी प्रशासन निधि (खाता सं. 22) और एक आय एवं व्यय खाता (क.भ.नि. प्रशासन खाता) तथा एक तुलनपत्र (क.भ.नि. अंशदान खाता एवं क.भ.नि. प्रशासन निधि खाता के लिए संयुक्त रूप से) समाहित है। क.भ.नि.सं. के क्षेत्रीय कार्यालय अपने खातों को एक यूनिफार्म फार्मेट में तैयार करें जिसमें क.भ.नि.सं. के समेकित खाते रखे जा रहे हैं। क.भ.नि.सं. के क्षेत्रीय कार्यालयों ने प्राप्ति एवं भुगतान खातों का शीर्षवार लेजर खातों के रखरखाव नहीं किया जो लेखों सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है। शीर्षवार खाता बहियों के अभाव में क्षेत्रीय कार्यालयों में दर्शाए गए आंकड़ों को मात्र समेकित मासिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, बजट/व्यय नियंत्रण, रजिस्टर, रोकड़ वही एवं बैंक विवरणियों के संदर्भ में सत्यापित किए गए। क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि समेकित वार्षिक लेखे वर्ष 2017-18 से लेखों के सामान्य प्रारूप में तैयार किए गए। क्षेत्रीय कार्यालयों/एककों ने लेखों के परंपरागत फार्मेट का प्रयोग करते हुए प्रोद्गवन आधार पर वार्षिक लेखों की तैयारी किया है। डबल एंटी अकाउंटिंग सिस्टम (द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली) तथा नया लेखा साफ्टवेयर के विकास का क्रियान्वयन होने के पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे भी लेखों के सामान्य फार्मेट में तैयार किए जाएंगे। इसके क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा के बारे में ऑडिट को सूचित किया जाए।	12. वर्ष 2017-18 से समेकित वार्षिक लेखों के सामान्य फार्मेट में बनाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय/एकक प्रोद्गवन आधार पर लेखों के परंपरागत फार्मेट का प्रयोग कर के वार्षिक लेखे तैयार किए हैं। डबल एंटी अकाउंटिंग सिस्टम (द्विप्रविष्टि लेखो प्रणाली) तथा नया लेखा साफ्टवेयर के विकास के क्रियान्वयन के पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे भी लेखों के सामान्य फार्मेट में तैयार किए जाएंगे। 13. अंतर को समाशोधित किया जा रहा है तथा अंतर यदि कोई हो तो उसे अगले वर्ष के वार्षिक लेखों में समायोजित किया जाएगा।
13. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखों में दर्शायी गई अचल परिसंपत्तियों के अंतः शेष तथा लेखों के साथ संलग्न अचल परिसंपत्तियों के विवरण में भिन्नता पाई थी जिसके विवरण निम्नानुसार हैं।	

रु करोड़ में

क्षे.का./आ.का. का नाम	तुलन पत्र के अनुसार राशि	लेखों के साथ प्रस्तुत अचल परिसंपत्तियों के विवरण के अनुसार राशि	अंतर
आंचलिक कार्यालय, भोपाल	23.01	22.54	0.47
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	4.99	5.04	(-)0.05
क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर	5.87	2.22	3.65
क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्ने	5.98	7.57	(-)1.59
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	4.41	4.49	(-)0.08

इसे समाशोधित करने की आवश्यकता है।

14. आंचलिक कार्यालय दिल्ली एवं उत्तराखंड

लेखा प्रक्रिया (सामान्य) मैन्युअल के पैरा 6.9.1 के अनुसार प्रत्येक दिन भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं द्वारा प्राप्त अंशदान राशि तथा अन्य देयों को उसी दिन भारतीय स्टेट बैंक के संबंधित बैंक में प्रेषित किया जाना चाहिए। अंतरण में कोई विलंब होने से विधि और उसके ब्याज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, स्थापना द्वारा चालान प्रस्तुत करने की तिथि से सात दिनों के भीतर बैंक में जमा की गई राशि क.भ.नि.सं. खातों में जमा हो जानी चाहिए। राशि के अंतरण में विलम्ब होने से उसकी बचत दरों के ऊपर 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लगाया जाएगा।

आंचलिक कार्यालय दिल्ली एवं उत्तराखंड के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (उत्तर) एवं क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (दक्षिण) को बैंक से क्रमशः रु. 1,18,67,249 एवं रु. 4,92,76,733 विलम्बित जमाओं पर ब्याज प्राप्त होना है परन्तु उसे लेखों में नहीं लिया गया है। क.भ.नि.सं. ने

14. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विकेंद्रीकृत पांच वसूली लेखों में प्राप्ति की पूर्व प्रणाली के स्थान में क.भ.नि.सं. में दिसम्बर, 2016 के दौरान बहु बैंकों में एकल संग्रह खातों में सांविधिक अंशदानों की केंद्रीकृत प्राप्ति को अपनाया है। अतः अब अंशदान राशि और अन्य देय राशि क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंक शाखाओं द्वारा प्राप्त/वसूली नहीं की जा रही है। इससे अंतरण में देरी होने का सवाल नहीं उठता। वसूली राशि तथा अनुमोदित लेखा नीति पर बैंक द्वारा उठाए गए विवाद के कारण पिछली अवधि की देरी के लिए बैंक से विलम्ब जमाओं पर प्राप्त ब्याज राशि को लेखों में शामिल नहीं किया गया है।

कहा कि नगद आधारित लेखांकन के वर्तमान पद्धति के अनुसार विलम्बित जमाओं पर प्राप्त ब्याज वसूली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस खाते पर वसूली राशि लेखों पर नोट में प्रकट करना चाहिए।				15. (क) अंतर का समाशोधन किया जा रहा है और यदि कोई अंतर है तो उसे अगले वर्ष के वार्षिक लेखों में समायोजित किया जाएगा।			
15. आंचलिक कार्यालयों के आंकड़े तथा आंचलिक कार्यालयों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के आंकड़ों में भिन्नताओं के दृष्टांत देखे गए हैं जिसके विवरण निम्नानुसार है:- (क) आंचलिक कार्यालय भोपाल आंचलिक कार्यालय के लेखों के आंकड़े तथा आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखों को दिए गए आंकड़ों के बीच जो अंतर देखे गए हैं उसके विवरण निम्न प्रकार है:				करोड़ों में रु.			
लेखों के शीर्ष	आंचलिक कार्यालय द्वारा समेकित लेखों के अनुसार राशि	आंचलिक कार्यालय, भोपाल के अंतर्गत 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों के अनुसार राशि	अंतर				
वर्ष 2017-18 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का जोड़	78,07,013	1,20,53,490	(-) 42,46,477				
दिनांक 31.03.2018 तक फ्रीहोल्ड भूमि	1,67,70,045	1,08,86,950	58,83,095				
दिनांक 31.03.2018 लीजहोल्ड भूमि	1,28,64,353	54,46,679	74,17,674				
वेतन							
अधिकारियों के वेतन	9,42,91,843	9,15,14,643	27,27,200				
स्थापना का वेतन	34,44,83,217	31,25,03,419	3,19,79,798				
महंगाई भत्ता	2,24,61,830	2,05,45,800	19,16,030				
छुट्टी नकदीकरण	2,81,17,639	2,80,87,050	30,589				
भत्ते एवं मानदेय							
नगर प्रतिकर भत्ता	64,61,382	66,56,493	(-) 1,95,111				
परिवहन भत्ता	1,30,94,006	1,10,78,036	20,15,970				
मकान किराया भत्ता	4,19,38,361	3,74,42,319	44,96,042				
अन्य भत्ते	2,64,36,383	2,53,30,715	11,05,668				
शिक्षा शुल्क	61,22,510	57,97,824	3,24,686				

स्टाफ के लिए मेडिकल सहायता	85,40,245	82,14,245	3,26,000
यात्रा भत्ता एवं एल.टी.सी.			
यात्रा भत्ता	99,51,896	99,44,196	7,700
छुट्टी याता सहायत (एल.टी.सी.)	41,60,694	40,36,494	1,24,200
पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन निधि को अंतरित मृत्यु सह सेवानिवृत्ति पर उठाया गया व्यय	10,60,16,893	10,58,65,146	1,51,747
अन्य प्रभार	9,29,94,870	8,37,34,351	92,60,519
कल्याण गति विधियों के लिए अनुदान	31,09,992	24,40,438	6,69,554

इस अंतरों का समाशोधन करने की आवश्यकता है।

(ख) आंचलिक कार्यालय पटना

(i) आंचलिक कार्यालय के लेखों के आंकड़े तथा आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के लेखों के आंकड़ों के बीच अंतर देखे गए, जिसके विवरण निम्नानुसार है:

खातों के शीर्ष	आंचलिक कार्यालय द्वारा समेकित लेखों के अनुसार राशि	आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों के अनुसार राशि	अंतर
खाता सं. 1			
खाता सं. 1 का आदिशेष	(-) 5,67,76,45,985.45	(-) 2,85,04,07,883.66	(-) 2,82,72,38,101.79
शास्तिक नुकसान	7,16,17,373.42	7,02,27,217.42	13,90,156
7 क्यू ब्याज	3,89,91,356.76	4,03,81,512.76	(-) 13,90,156
सदस्यों के खातों का अंतरण	80,25,897	65,41,972	14,83,925
खाता. 2			
बकाया व्यय	3,38,80,892	3,37,03,687	1,77,205
वर्ष पर आय की अधिकता	2,09,49,429	2,13,41,753	(-) 3,92,324
दिनांक 31.03.2018 तक कुल परिसंपत्तियाँ/देयताएं	52,88,53,19,342.72	40,36,14,40,176.72	12,50,38,79,165.80
वर्ष के आरंभ में कार्यालय भवन का लागत मूल्यांकन	1,81,30,056	1,80,21,988	1,08,068

(ख) इसका समाशोधन किया जाएगा तथा अंतर यदि कोई हो तो अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

इन विसंगतियों को समाशोधित करने की आवश्यकता है।																													
16. आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़ रु. 3.11 करोड़ के समय बाधित चेकों की राशि (क्षेत्रीय कार्यालय भठिण्डा: रु. 2.85 करोड़, क्षे.का. लुधियाना: रु. 0.15 करोड़ और क्षे.का. चण्डीगढ़: रु. 0-11 करोड़) को लेखों में वापस नहीं लिखा गया है। इसके परिणामस्वरूप रु. 3.11 करोड़ की देयताओं में कमी तथा बैंक शेष में कम दर्शाए गए।	16. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंक प्राधिकरणों से समय बाधित चेक संबंधी मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ के संबंध में आज की तिथि में कोई भी पुराना चेक भुगतान हेतु लम्बित नहीं है।																												
17. क्षेत्रीय कार्यालय पटना (i) क्षेत्रीय कार्यालय पटना ने वर्ष 2017-18 से संबंधित रु. 5.68 लाख राशि के व्यय के लिए देयता में नहीं दर्शाया है जिसके परिणाम स्वरूप रु. 5.68 लाख वर्तमान देयताएं एवं उपबंध की कमी तथा व्यय की कमी हुई है।	17. (i) क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखों के समेकन के पश्चात् यहां दर्शाए गए बिलों को प्राप्त/अनुमोदित किया गया। उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में वार्षिक लेखों में समायोजित किया जाएगा।																												
<table><tr><th>क्र.सं.</th><th>भुगतान का प्रयोजन</th><th>बिल स. एवं. तिथि</th><th>राशि</th></tr><tr><td>1</td><td>मार्च 2018 महीने के लिए सेक्युरिटी गार्ड के वेतन</td><td>47/06.04.2018</td><td>1,94,887</td></tr><tr><td>2</td><td>बेलट्रॉन से नियोजित 05 कर्मचारियों के वेतन</td><td>62/09.04.2018</td><td>76,065</td></tr><tr><td>3</td><td>मार्च, 2018 के लिए आंचलिक कार्यालय में नियोजित सेक्युरिटी गार्ड के वेतन</td><td>103/20.04.2018</td><td>91,913</td></tr><tr><td>4</td><td>बेलट्रॉन से आंचलिक कार्यालय में नियोजित 4 कर्मचारियों के वेतन</td><td>71/12.04.2018</td><td>56,841</td></tr><tr><td></td><td>शेष, अन्य कार्य के पक्ष में: गेस्ट हाऊस, क्षे.का.-I एवं क्षे.का.-II के चैम्बर, आगतुक कक्ष, शौचालय के मरम्मत एवं नवीकरण</td><td>सी.पी. डब्ल्यू.डी. द्वारा फरवरी 2018 के लिए प्रस्तुत फार्म-65</td><td>1,48,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>कुल</td><td>5,67,706</td></tr></table>	क्र.सं.	भुगतान का प्रयोजन	बिल स. एवं. तिथि	राशि	1	मार्च 2018 महीने के लिए सेक्युरिटी गार्ड के वेतन	47/06.04.2018	1,94,887	2	बेलट्रॉन से नियोजित 05 कर्मचारियों के वेतन	62/09.04.2018	76,065	3	मार्च, 2018 के लिए आंचलिक कार्यालय में नियोजित सेक्युरिटी गार्ड के वेतन	103/20.04.2018	91,913	4	बेलट्रॉन से आंचलिक कार्यालय में नियोजित 4 कर्मचारियों के वेतन	71/12.04.2018	56,841		शेष, अन्य कार्य के पक्ष में: गेस्ट हाऊस, क्षे.का.-I एवं क्षे.का.-II के चैम्बर, आगतुक कक्ष, शौचालय के मरम्मत एवं नवीकरण	सी.पी. डब्ल्यू.डी. द्वारा फरवरी 2018 के लिए प्रस्तुत फार्म-65	1,48,000			कुल	5,67,706	(ii) दिनांक 27.03.2018 को सीपीडब्ल्यू.डी. ने पहले से ही दिनांक 28.02.2018 तक की अवधि के लिए फार्म 65 प्रस्तुत किया है। अतः रु. 8.5 लाख राशि को व्यय के रूप में सही तरह से दर्शाया गया है।
क्र.सं.	भुगतान का प्रयोजन	बिल स. एवं. तिथि	राशि																										
1	मार्च 2018 महीने के लिए सेक्युरिटी गार्ड के वेतन	47/06.04.2018	1,94,887																										
2	बेलट्रॉन से नियोजित 05 कर्मचारियों के वेतन	62/09.04.2018	76,065																										
3	मार्च, 2018 के लिए आंचलिक कार्यालय में नियोजित सेक्युरिटी गार्ड के वेतन	103/20.04.2018	91,913																										
4	बेलट्रॉन से आंचलिक कार्यालय में नियोजित 4 कर्मचारियों के वेतन	71/12.04.2018	56,841																										
	शेष, अन्य कार्य के पक्ष में: गेस्ट हाऊस, क्षे.का.-I एवं क्षे.का.-II के चैम्बर, आगतुक कक्ष, शौचालय के मरम्मत एवं नवीकरण	सी.पी. डब्ल्यू.डी. द्वारा फरवरी 2018 के लिए प्रस्तुत फार्म-65	1,48,000																										
		कुल	5,67,706																										
(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में शौचालय तथा स्कूटर शेड के पिछले भाग के मरम्मत एवं नवीकरण के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को रु. 8.50 लाख अग्रिम में दिए जिसे सी.पी.डब्ल्यू.डी. से व्यय रिपोर्ट (फार्म 65) के रसीद के बिना लेखों में व्यय के रूप में दर्शाया गया। इसके परिणाम स्वरूप रु. 8.50 लाख चालू परिसंपत्ति में कमी तथा व्यय में अधिकता दर्शाया गया।																													

(iii) सॉफ्टकापी में प्रस्तुत वाउचर के अनुसार, यह देखा गया कि क्षेत्रीय कार्यालय पटना ने कार्यालय उपस्कर पर ₹. 7,02,140 का व्यय किया या पर वर्ष 2017-18 के अचल परिसंपत्तियों के विवरण में केवल ₹. 5,98,875.00 दर्शाया गया है। इसे समाशोधित करना अपेक्षित है।	(iii) अंतर को अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों में समायोजित किया जाएगा।
18. क्षेत्रीय कार्यालय सागर क.भ.नि. के प्राप्ति एवं भुगतान खाता (खाता सं. 1) में आदि शेष को (-) ₹. 13.46 करोड़ के स्थान में (-) ₹. 14.55 करोड़ लिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप प्राप्ति एवं अंतःशेष में ₹. 1.09 करोड़ कम दर्शाए गए। क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि क्षेत्रीय कार्यालय, सागर ने रिपोर्ट किया जनवरी, 2017 के खाता के वर्गीकृत सारांश में शेष ₹. 1.09 करोड़ की त्रुटि हुई है, जो वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने के पश्चात् नोटिस में आई है। वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों में इसका सुधार कर दिया गया है।	18. अंतर का कारण का विश्लेषण किया जा रहा है। यदि कोई अंतर हो तो समुचित शीर्ष में तदनुसार समायोजित किया जाएगा।
19. निम्नलिखित मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रख-रखाव किए जा रहे आधारभूत रिकॉर्ड तथा लेखों के आंकड़ों के बीच विसंगतियां देखी गईं जिनका विवरण इस प्रकार है :- (क) क्षेत्रीय कार्यालय, बेहरामपुर वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्राप्ति एवं भुगतान लेखों तथा बजट रजिस्टर से पता चला कि नीचे दर्शाए गए विभिन्न शीर्षों के बीच विसंगतियां थीं :-	19. (क) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के अंतर्गत बुक किए गए व्यय सही हैं। अंतर का कारण कुछ भुगतानों का बजट रजिस्टर में प्रदर्शित न होना, बजट रजिस्टर के शीर्षों की पोस्टिंग में लिपिकीय त्रुटियां होना आदि है। क्षेत्रीय कार्यालय को भविष्य में अधिक सावधान रहने के अनुरोध दिए जा रहे हैं।

शीर्ष	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के अनुसार राशि	बजट रजिस्टर के अनुसार राशि	अंतर
वेतन	5,09,24,577	5,21,84,480	12,59,903
अन्य भत्ते	91,05,110	91,78,803	73,693
यात्रा भत्ते	8,71,550	9,34,980	63,430
अवकाश यात्रा रियायत	4,30,604	4,31,611	1,007
कार्यालय किराया, दर एवं कर	28,22,861	27,50,649	(-) 72,212

टेलीफोन व्यय	1,74,382	1,75,900	1,518
विधि प्रभार	2,16,476	1,44,406	(-) 72,070
वाहन किराये पर लेना	3,24,787	3,98,377	73,590
विविध कार्यालयीन व्यय	3,74,834	3,75,284	450

उपर्युक्त विसंगतियों का समाशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई 1 एवं चेन्नई II

लेखों के आंकड़ों एवं बजट नियंत्रण रजिस्टर के आंकड़ों के नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अंतर पाए गए हैं :-

क्र.सं.	विवरण	बजट नियंत्रण रजिस्टर के अनुसार राशि	वार्षिक लेखों में दर्शाई गई राशि	अंतर (रुपये में)
1.	स्थापना के वेतन	25,98,66,833	28,32,04,603	-2,33,37,770
2.	महंगाई भत्ते	1,31,87,108	1,42,71,107	-10,83,999
3.	अवकाश नकदीकरण	76,46,299	76,26,979	19,320
4.	उत्पादकता सहबद्ध बोनस	66,03,406	65,89,590	13,816
5.	चिकित्सा सहायता	1,44,72,697	1,54,11,108	-9,38,411
6.	मानदेय	43,100	70,100	-27,000
7.	अन्य भत्ते	6,44,08,649	7,03,36,936	-59,28,287
8.	अवकाश यात्रा रियायत	29,44,148	48,97,817	-19,53,669
9.	यात्रा भत्ता	5,03,103	28,91,326	-23,88,223
10.	पेंशन, परिवार पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति पेंशन	2,79,79,485	2,82,60,983	-2,81,498
	निधि को स्थानांतरित			

(ख) वार्षिक लेखों में दिखाई गई राशि तथा बजट नियंत्रण रजिस्टर के अनुसार राशि के बीच अंतर को समाशोधित कर लिया गया है। 'स्थापनाओं का वेतन', 'महंगाई भत्ता' तथा 'अन्य भत्ते', शीर्षों के अंतर्गत, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मार्च माह के दौरान किए गए व्यय जिसे अगले वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को वास्तव में व्यय किया गया था, को 'वेतन' शीर्ष के अंतर्गत बकाया व्यय के बजट शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया था। वास्तव में यह राशि 31 मार्च को भुगतान नहीं की गई थी और वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखों में इसे एकूण आधार पर बुक किया गया था। यही कारण है कि बजट नियंत्रण रजिस्टर के अनुसार राशि तथा वार्षिक लेखों के अनुसार राशि में उपर्युक्त शीर्षों में अंतर आया है। अन्य शीर्षों में बजट नियंत्रण रजिस्टर के अनुसार राशि तथा वार्षिक लेखों में दर्शाई गई राशि में मामूली अंतर इस तथ्य के कारण है कि वापसी प्राप्त हुए धन प्रेषण को बजट नियंत्रण रजिस्टर में लेखांकित किया गया है जबकि वार्षिक लेखों में इसे सही रूप में रिपोर्ट किया गया है। सभी संबंधित शीर्षों को अब समाशोधित कर लिया गया है और संबंधित प्रविष्टियों को बजट नियंत्रण रजिस्टर में जोड़ दिया गया है। अतः बजट नियंत्रण रजिस्टर को वार्षिक लेखों के साथ समाशोधित कर लिया गया है।

	करने पर किए गए व्यय			
11.	किराया दरें एवं कर	35,86,547	38,50,547	-2,64,000
12.	विद्युत प्रभार और जल प्रभार	87,83,197	86,75,155	1,08,042
13.	फर्नीचर व फिक्सचर	6,81,984	6,71,610	10,374
14.	डाक	18,72,570	18,72,070	500
15.	विधि प्रभार	80,996	27,905	53,091
16.	एनपीएस में बोर्ड का भाग	97,08,605	93,78,604	3,30,001
17.	विविध कार्यालयीन खर्च	11,25,726	10,48,070	77,656
18.	पेटी कार्य	59,02,436	56,10,438	2,91,998
19.	खेलकूद गतिविधियां	8,06,883	9,45,688	-1,38,805
20.	कल्याण गतिविधियाँ	4,66,470	13,96,470	-9,30,000
	कुल			-3,63,66,864

इन अंतरों को समाशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लेखों (क.भ.नि. प्रशा. लेखा, लेखा संख्या 2) एवं बजट नियंत्रण रजिस्टर के आंकड़ों के बीच अंतर देखा गया :-

लेखा शीर्ष	रजिस्टर के अनुसार व्यय (रु. में)	लेखों के अनुसार व्यय (रु. में)	अंतर (रु. में)
अवकाश नकदीकरण	6,67,895	6,49,695	18,200
यात्रा भत्ता	14,91,253	15,51,826	60,573

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक ने स्पष्ट किया है कि ये अंतर बजट नियंत्रण रजिस्टर में कुछ लिपिकीय एवं टंकण की त्रुटियों के कारण हैं और भविष्य में इन्हें नहीं दोहराया जाएगा।

अवकाश यात्रा रियायत	6,45,213	6,25,696	19,517
विद्युत प्रभार एवं जल प्रभार	1,62,153	16,13,924	14,51,771
विधि प्रभार	5,84,397	6,03,352	18,955

(घ) क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लेखों (क.भ.नि. प्रशा. लेखा, लेखा संख्या 2) एवं बजट नियंत्रण रजिस्टर के आंकड़ों के बीच अंतर देखा गया :-

लेखा शीर्ष	बजट नियंत्रण रजिस्टर	व्यय प्राप्ति	भुगतान लेखा के अनुसार (रु. में)	एवं अंतर (रु. में)
महंगाई भत्ता	43,93,617		43,97,188	(3571)
अन्य भत्ते	2,80,88,511		2,85,67,214	(478703)
यात्रा भत्ते	6,87,747		6,87,613	134
अवकाश यात्रा रियायत	11,60,607		11,57,253	3354
विद्युत प्रभार और जल प्रभार	6,73,271		6,64,449	8822
फर्नीचर व फिक्सचर	1,47,339		2,43,927	(96588)
लघु कार्य	2,25,494		2,37,426	(11932)
डाक	6,22,470		6,18,340	4130
किराए दरें एवं कर	16,03,077		16,10,569	(7492)

(घ) ये अंतर बजट नियंत्रण रजिस्टर में कुछ लिपिकीय एवं टंकण की त्रुटियों के कारण हैं और भविष्य में इन्हें नहीं दोहराया जाएगा।

कार्यालयीन उपकरण	30,776	13,486	17290
विविध कार्यालयीन खर्च	5,03,285	4,93,585	9701
सूचना प्रौद्योगिकी	7,35,576	7,56,996	(21420)

इन्हें समायोजित किए जाने की आवश्यकता है।

(इ) क्षेत्रीय कार्यालय, सिलिगुड़ी

लेखों की जांच से लेजर शीर्ष एवं लेखा शीर्ष तथा आधारभूत रिकॉर्ड के आंकड़ों के बीच निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं :

रूपये में

प्राप्ति पक्ष			
लेखा शीर्ष	लेखों के अनुसार	आधारभूत रिकॉर्ड के अनुसार	अंतर
एचबीए पर ब्याज	2,22,598	2,21,546	1,052
लाइसेंस फीस की वसूली	62,924	63,884	960
अतिथि गृह प्राप्ति	1225	17,325	16,100
विविध प्राप्ति	40	1,57,287	1,57,247
एचबीए की वसूली	57,979	74,423	16,444
पार्टियों से प्राप्त प्रतिभूतियां	5500	15500	10000
भुगतान पक्ष			
विविध कार्यालयीन व्यय	4,88,682	4,87,994	688

(इ) लेजर के अनुसार' में दर्शाई गई राशि गैर अनुमोदित रिकॉर्ड से ली गई थी। 'लेखों के अनुसार' में दर्शाई गई राशि को अंतिम तुलन पत्र में दिखाया गया है जिसे वास्तविक वीडिआर प्राप्ति' से लिया गया है।

अंत शेष	(-)1606906	(-)206288	1400618
परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय।	शून्य	15,26,000	15,28,000

उपर्युक्त विसंगतियों का समाशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(च) पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय अकादमी (पीडीयूएनएसएस) जनकपुरी, नई दिल्ली

बजट नियंत्रण रजिस्टर में दर्शाए गए आंकड़े पीडीयूएनएसएस के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से मेल नहीं खाते हैं :-

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीसीआर के अनुसार आंकड़े	लेखा के अनुसार आंकड़े	अंतर
1.	अवकाश नकदीकरण	1,67,473	1,68,020	547
2.	यात्रा भत्ता	7,55,908	10,06,066	2,50,158
3.	अवकाश यात्रा रियायत	3,22,198	2,85,962	36,236
4.	आकस्मिकताओं से स्टॉफ को किया गया भुगतान	71,90,645	72,35,692	45,047
5.	फर्नीचर व फिक्सचर	8,43,768	1,41,991	7,01,777
6.	प्रिंटिंग एवं बाइंडिंग	1,61,316	1,76,121	14,805
7.	बैंक कमीशन	4,000	3,717	283
8.	वाहन किराये पर लेना	17,19,952	14,90,918	2,29,034
9.	स्टेशनरी एवं स्टोर	5,01,302	4,86,323	14,979
10.	कार्यालयीन उपकरण	1,71,834	16,005	1,55,829
11.	विविध कार्यालयीन खर्च	52,18,828	54,24,336	2,05,508
12.	पुस्तकें एवं जर्नल्स	1,52,818	1,59,922	7104

(च) बीसीआर एवं लेखों के आंकड़ों में अंतर पिछले वर्ष (वर्षों) का समायोजन लेखों के आंकड़ों में करने तथा पीडीयूएनएसएस का बजट आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानांतरित करने के कारण है, जिसकी बीसीआर में प्रविष्टि की गई है। वित्तीय वर्ष के अंत में बीसीआर को बंद करने संबंधी टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

<table><tr><td>13.</td><td>प्रशिक्षण, बैठक एवं सम्मेलन</td><td>77,49,567</td><td>33,45,450</td><td>44,04,117</td></tr><tr><td>14.</td><td>एनपीएस में बोर्ड का भाग</td><td>85,009</td><td>1,40,059</td><td>55,050</td></tr></table>					13.	प्रशिक्षण, बैठक एवं सम्मेलन	77,49,567	33,45,450	44,04,117	14.	एनपीएस में बोर्ड का भाग	85,009	1,40,059	55,050	इन आंकड़ों का समयोजन करने की आवश्यकता है। यह भी देखा गया है कि बजट नियंत्रण रजिस्टर को सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से वर्ष के अंत में बंद नहीं किया जाता है। कई अवसरों पर यह पाया गया कि आंकड़ों को पेंसिल से लिखा एवं जोड़ा गया था और इन प्रविष्टियों पर प्राधिकृत हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, इन प्रविष्टियों की प्रमाणिकता तथा उपयुक्तता को ऑडिट द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। (छ) आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता लेखों एवं लेजर के आंकड़ों में निम्नलिखित अंतर पाए गए जिन्हें समाशोधित किए जाने की आवश्यकता है। <table><tr><th>लेख का शीर्ष</th><th>प्राप्ति भुगतान के अनुसार आंकड़े</th><th>एवं लेख अनुसार आंकड़े</th><th>लेजर अनुसार आंकड़े</th><th>अंतर</th></tr><tr><td>वेतन</td><td></td><td>89,48,538</td><td>88,32,309</td><td>1,16,229</td></tr><tr><td>महंगाई भत्ता</td><td></td><td>4,63,052</td><td>3,22,814</td><td>1,40,238</td></tr><tr><td>संतान शिक्षा भत्ता</td><td></td><td>63,000</td><td>शून्य</td><td></td></tr><tr><td>मकान किराया भत्ता</td><td></td><td>13,94,254</td><td>शून्य</td><td></td></tr><tr><td>वाहन भत्ता</td><td></td><td>7,90,956</td><td>शून्य</td><td></td></tr><tr><td>यात्रा भत्ता</td><td></td><td>2,01,971</td><td>2,01,521</td><td>450</td></tr><tr><td>फार्म एवं स्टेशनरी</td><td></td><td>2,74,046</td><td>शून्य</td><td>2,74,046</td></tr></table>					लेख का शीर्ष	प्राप्ति भुगतान के अनुसार आंकड़े	एवं लेख अनुसार आंकड़े	लेजर अनुसार आंकड़े	अंतर	वेतन		89,48,538	88,32,309	1,16,229	महंगाई भत्ता		4,63,052	3,22,814	1,40,238	संतान शिक्षा भत्ता		63,000	शून्य		मकान किराया भत्ता		13,94,254	शून्य		वाहन भत्ता		7,90,956	शून्य		यात्रा भत्ता		2,01,971	2,01,521	450	फार्म एवं स्टेशनरी		2,74,046	शून्य	2,74,046	(छ) विभिन्न लेखों में दर्शाए गए अंतर की पुनः जांच की गई है और सही पाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनजाने में ऑडिट टीम के समक्ष संशोधन से पहले वाला तुलनपत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। इसे ऑडिट टीम द्वारा अगली बार आने पर सत्यापित किया जाएगा।				
13.	प्रशिक्षण, बैठक एवं सम्मेलन	77,49,567	33,45,450	44,04,117																																																												
14.	एनपीएस में बोर्ड का भाग	85,009	1,40,059	55,050																																																												
लेख का शीर्ष	प्राप्ति भुगतान के अनुसार आंकड़े	एवं लेख अनुसार आंकड़े	लेजर अनुसार आंकड़े	अंतर																																																												
वेतन		89,48,538	88,32,309	1,16,229																																																												
महंगाई भत्ता		4,63,052	3,22,814	1,40,238																																																												
संतान शिक्षा भत्ता		63,000	शून्य																																																													
मकान किराया भत्ता		13,94,254	शून्य																																																													
वाहन भत्ता		7,90,956	शून्य																																																													
यात्रा भत्ता		2,01,971	2,01,521	450																																																												
फार्म एवं स्टेशनरी		2,74,046	शून्य	2,74,046																																																												
20. क्षेत्रीय कार्यालय, तांबरम					20.																																																											

- (ii) रोकड़ बही एवं बीआरएस से यह देखने में आया कि लेखा संख्या 1 एवं 10 में क्रमशः रु. (-) 72,02,922 तथा रु. (-) 2,29,86,681 का अंतर्शेष था जबकि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में यह रु. (-) 60,58,100 तथा रु. (-) 2,25,61,163 क्रमशः बताया गया। लेखा संख्या 1 एवं 10 में क्रमशः रु. 11,44,822 तथा रु. 4,25,518 के अंतर को स्पष्ट / समाशोधित करने की आवश्यकता है।

क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि यह अंतर चालानों के समाशोधन न करने के कारण आया तथा रिकार्ड में आवश्यक समाशोधन किया जाएगा।

यह नीचे दिए गए माह के लिए लेखा संख्या 1 के चालानों में समाशोधन न करने के कारण हुआ है :-

माह	बैंक विवरण में प्राप्त परंतु लॉग इन में प्राप्त नहीं हुई राशि	लॉग इन में प्राप्त परंतु बैंक विवरण में प्राप्त नहीं हुई राशि	अंतर
11/2015	4052	0	4052
12/2015	23972	0	23972
02/2016	10526	0	10526
11/2016	16253	0	16253
12/2016	1115676	0	1115676
12/2016	1109	0	1109
04/2016	0	26766	-26766
		कुल	1144822

यह नीचे दिए गए माह के लिए लेखा संख्या X के संबंध में चालानों के समाशोधन न करने के कारण उत्पन्न हुआ है:-

माह	बैंक विवरण में प्राप्त परंतु लॉग इन में प्राप्त नहीं हुई राशि	लॉग इन में प्राप्त परंतु बैंक विवरण में प्राप्त नहीं हुई राशि	अंतर
11/2015	2154	0	2154
12/2015	12748	0	12748
02/2016	5597	0	5597
11/2016	8467	0	8467
12/2016	513275	0	513275
08/2016	0	102505	-102505
10/2016	0	14218	-14218
		कुल	425518

चूंकि रोकड़ बही में कॉलम संख्या (ii) का लेखांकन नहीं किया गया था,

(ii) लेखों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, तांबरम के संबंध में 31.03.2018 को निष्क्रिय लेखों का अंतिम शेष रु. 1075.58 करोड़ था जबकि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 'निष्क्रिय खातों का सारांश' में अंत शेष के रूप में 1073.67 करोड़ रु. की राशि दर्शाई गई है। रु. 1.91 करोड़ के अंतर का समाशोधन नहीं किया जा सका।	जबकि तुलन पत्र में इसका लेखांकन किया गया था जिसके कारण रोकड़ बही में अंतर आया। चूंकि इसे तुलन पत्र में समायोजित किया जा चुका था अतः हम रोकड़ बही के आदि शेष को वर्ष 2018-19 के तुलन पत्र के आदि शेष से मिलाने के लिए रिकार्ड को तुलन पत्र के अनुसार समायोजित करेंगे। (iii) बिंदु संख्या (iii) के संदर्भ में, 31.03.2018 को निष्क्रिय खातों में 1.91 करोड़ के अंतर को जांचा जा रहा है और रिकार्ड के सत्यापन के पश्चात, इस अंतर को 2018-19 के तुलनपत्र में संशोधित कर लिया जाएगा।
21. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता 11.39 लाख के पूंजी व्यय (फर्नीचर एवं पिकचर : रु. 2,97,440, कार्यालय उपकरण : रु. 25,332, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं जर्नल : रु. 61,254, स्टाफ कार : रु. 6,64,130 तथा कंप्यूटर हार्डवेयर : रु. 90400) को लेखों में राजस्व व्यय के रूप में दिखाया गया है जिसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों तथा पूंजी निधि में 11.39 लाख कम दिखाए गए हैं। क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि ऑडिट पैरा में दर्शाए गए लेन-देन (ट्रांसैक्शन) को क.भ.नि.सं., मुख्यालय द्वारा उनके पत्र दिनांक 24.06.2016 द्वारा परिचालित लेखांकन नीति के अनुसार दिखाया गया है जो यह बताता है कि 5,000/- रु. से कम मूल्य की मदें अथवा एक वर्ष से कम उपयोग वाली वस्तुओं को राजस्व व्यय के रूप में माना जाए। इसे अगले ऑडिट के समय सत्यापित किया जा सकता है।	21. ऑडिट पैरा में दर्शाए गए लेन-देन (ट्रांसैक्शन) को क.भ.नि.सं., मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 24.06.2016 द्वारा परिचालित लेखांकन नीति के अनुसार दिखाया गया है। यही उत्तर ऑडिट टीम को भी दिया गया था और ऑडिट पार्टी द्वारा आगामी दौर पर इसे सत्यापित किया जा सकता है।
22. आंचलिक कार्यालय, हुबली, क्षेत्रीय कार्यालय, गुलबर्गा तथा क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलौर द्वारा संबंधित ऑडिट कार्यालय को ऑडिट हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में इन लेखों को सत्यापित नहीं किया जा सका। आंचलिक / क्षेत्रीय कार्यालयों को संबंधित फील्ड कार्यालयों को	22. क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूरु द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु उनके वार्षिक लेखों को भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखांकन विभाग, बंगलूरु को उनके पत्र दिनांक 28.01.2019 द्वारा भेजा जा चुका है।

समय पर लेखों को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध दिए जाएं।	आंचलिक कार्यालय हुबली द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु उनके अंचल जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय, गुलबर्गा भी शामिल है, के वार्षिक लेखों को भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखांकन विभाग, बंगलुरु को उनके पत्र दिनांक 01.05.2019 द्वारा भेजा जा चुका है।
23. क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद 16.45 करोड़ रु. की राशि के समयवर्जित (Time barred) चैक (क.भ.नि अंशदान खाता : रु. 0.29 करोड़ तथा क.पै.यो. राशि : रु. 16.16 करोड़) को वापस नहीं लिखा गया है जिसके परिणामस्वरूप बैंक शेष तथा दायित्वों में रु. 16.45 करोड़ की कमी दिखाई गई है।	23. समाशोधन किया जा रहा है और समाशोधन के पश्चात् लेखों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
24. यह देखा गया है कि अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संशोधन पूर्व लेखों को लेखा परीक्षा हेतु रखा गया है और अतः इस संशोधन पूर्व लेखों पर ऑडिट टिप्पणियां की गई हैं। आंचलिक / क्षेत्रीय कार्यालयों को केवल अंतिम लेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के अनुरोध दिए गए हैं जिन्हें क.भ.नि.सं. के संपूर्ण लेखों के समेकन हेतु स्वीकार किया गया है।	24. आंचलिक / क्षेत्रीय कार्यालयों को केवल अंतिम लेखों को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के अनुरोध दिए गए हैं जिन्हें क.भ.नि.सं. के संपूर्ण लेखों के समेकन हेतु स्वीकार किया गया है।
25. क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर क.भ.नि अंशदान के रु. 16.16 लाख का अनियमित भुगतान का लेखांकन नहीं किया गया है।	25. वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों में संशोधित / समायोजित कर दिया गया।



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

मुख्यालय : भविष्य निधि भवन
Head Office : Bhavishya Nidhi Bhawan
14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
14, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

Website: www.epfindia.com : www.epfindia.gov.in : www.epfindia.org